मध्यप्रदेश विधान सभा
(चतुर्दश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
का
तृतीय प्रतिवेदन

(दिसम्बर, 2014 सत्र से संबंधित)

(यह प्रतिवेदन 15 दिसम्बर, 2015 को सदन में प्रस्तुत)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	**समिति का गठन**	i एवं ii
2.	**प्रस्तावना**	iii
3.	**प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची**	iv
4.	**विभागों के नाम:-**	
	(1) गृह(पुलिस)	1
	(2) पंचायत एवं ग्रामीण विकास	8
	(3) सहकारिता	16
	(4) परिवहन	20
	(5) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	21
	(6) चिकित्सा शिक्षा	23
	(7) तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	26
	(8) उच्च शिक्षा	28
	(9) सामान्य प्रशासन	31
	(10) वाणिज्यिक कर	33
	(11) ऊर्जा	35
	(12) वन	44
	(13) वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	49
	(14) खनिज साधन	53
	(15) लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	59
	(16) किसान कल्याण तथा कृषि विकास	63
	(17) मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	67
	(18) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	69
	(19) राजस्व	70
	(20) विधि एवं विधायी कार्य	84

	(21) कुटीर एवं ग्रामोद्योग	85
	(22) महिला एवं बाल विकास	87
	(23) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	89
	(24) लोक निर्माण	90
	(25) नगरीय विकास एवं पर्यावरण	99
	(26) लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	111
	(27) आयुष	122
	(28) स्कूल शिक्षा	123
	(29) आदिम जाति कल्याण	130
	(30) श्रम	137
	(31) पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	139
	(32) अनुसूचित जाति कल्याण	141
	(33) सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	142
	(34) जन शिकायत निवारण	143
	(35) लोक सेवा प्रबंधन	144
	(36) पुनर्वास	145
5.	**परिशिष्ट - 1** (विशेष टिप्पणी/अनुशंसा)	146

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
(वर्ष 2015-16)

सभापति

1. श्री राजेन्द्र पाण्डेय

सदस्यगण

2. श्री बालकृष्ण पाटीदार
3. श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर
4. श्री सूबेदार सिंह रजौधा
5. श्री इन्दर सिंह परमार
6. श्री के.के.श्रीवास्तव
7. श्री चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी
8. श्री चन्द्रशेखर देशमुख
9. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
10. श्री हरदीप सिंह डंग
11. श्री नीलेश अवस्थी

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री भगवानदेव ईसरानी	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री ए.पी.सिंह	. .	सचिव
3.	श्री जी.के.राजपाल	. .	अपर सचिव
4.	श्री बी.डी.सिंह	. .	उप सचिव
5.	श्री आर.के.गुप्ता	. .	अवर सचिव
6.	श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी	. .	अनुभाग अधिकारी
7.	श्री शिवप्रसाद बुन्देला	. .	अनुभाग अधिकारी

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति
(वर्ष 2014-15)

सभापति

1. श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

सदस्य

2. श्री दीवान सिंह पटेल
3. श्री बालकृष्ण पाटीदार
4. श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक
5. श्री अशोक रोहाणी
6. श्री वेलसिंह भूरिया
7. श्री कालूसिंह ठाकुर
8. श्री प्रदीप अग्रवाल
9. श्री उमंग सिंघार
10. श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना
11. श्री हरदीप सिंह डंग

प्रस्तावना

मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का तृतीय प्रतिवेदन (चतुर्दश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

2. यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 12 अगस्त, 2015 को गठित की गई थी।

3. इस प्रतिवेदन में दिसम्बर, 2014 सत्र में मंत्रिगणों द्वारा सदन में दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरान्त आश्वासनों को प्रतिवेदन में शामिल करने का निर्णय लिया गया। दिसम्बर 2014 सत्र में कुल 276 आश्वासन निर्मित हुये थे, जिनमें से 74 आश्वासनों की प्राथमिक जानकारी प्रतिवेदन प्रस्तुति तक अप्राप्त रही।

4. आश्वासनों की अभिपूर्ति हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी परिपत्रों का विभागों द्वारा पालन नहीं किये जाने से कई विभागीय आश्वासनों की अभिपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। समिति के समक्ष यह तथ्य भी स्पष्ट हुआ है कि अभी भी कतिपय विभागों द्वारा संसदीय कार्य नियमावली के अध्याय 8 (आश्वासन) की कण्डिका 8.5(4) अनुसार आश्वासनों के संबंध में आश्वासन पंजी का विभाग द्वारा न तो ठीक से संधारण किया जा रहा है और न ही पंजी मंत्री जी के अवलोकनार्थ नियमित भेजी जा रही है. समिति इस स्थिति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है तथा अपेक्षा करती है कि विभागों द्वारा संसदीय कार्य नियमावली का पालन कड़ाई से किया जाकर लंबित आश्वासनों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका समय सीमा में निराकरण किया जायेगा।

5. समिति की बैठक दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 में इस प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अनुमोदित किया गया।

6. यह समिति अपनी पूर्ववर्ती समिति के माननीय सभापति एवं सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है, जिनके द्वारा अथक परिश्रम कर सतत् परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों की साक्ष्य लेते हुए, आश्वासनों के निराकरण की दिशा में उल्लेखनीय पहल की गई है। समिति, विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव एवं संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों, विभागीय अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों का जिन्होंने समिति के कार्यो में सक्रिय सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

(राजेन्द्र पाण्डेय)
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

स्थान :- भोपाल
दिनाक :- 01 दिसम्बर, 2015

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	गृह(पुलिस)	991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1010, 1090, 1239, 1240, 1241,
2.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1269
3.	सहकारिता	1005, 1006, 1007, 1257, 1258, 1259,
4.	परिवहन	1008
5.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	1009, 1254, 1255, 1256
6.	चिकित्सा शिक्षा	1138, 1139, 1237
7.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	1011, 1012, 1013
8.	उच्च शिक्षा	1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020
9.	सामान्य प्रशासन	1021, 1022, 1023
10.	वाणिज्यिक कर	1024, 1025, 1026
11.	ऊर्जा	1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1118
12.	वन	1037, 1098, 1099, 1100, 1213, 1214, 1215, 1216
13.	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार	1038, 1094, 1095, 1096, 1097, 1212
14.	खनिज साधन	1039, 1268
15.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176
16.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1177, 1178

17.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	1055, 1056, 1057, 1180
18.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	1060
19.	राजस्व	1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1263, 1264, 1265
20.	विधि एवं विधायी कार्य	1085
21.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	1086, 1179
22.	महिला एवं बाल विकास	1087, 1088, 1089
23.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	1091, 1092, 1093
24.	लोक निर्माण	1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211
25.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण	1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1267
26.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231
27.	आयुष	1140, 1232
28.	स्कूल शिक्षा	1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223

29.	आदिम जाति कल्याण	1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1233, 1234, 1235, 1236
30.	श्रम	1161, 1162
31.	पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण	1163, 1164
32.	अनुसूचित जाति कल्याण	1238
33.	सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण	1260
34.	जन शिकायत निवारण	1261
35.	लोक सेवा प्रबंधन	1262
36.	पुनर्वास	1266

दिसम्बर, 2014 सत्र
गृह(पुलिस) विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	991	ता.प्र.सं.04 (क्र.225) दि.08.12.2014 (श्री रामनिवास रावत)	व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं एवं चयन परीक्षाओं में अनियमितता होने के संबंध में दिनांक 01 जुलाई 2014 के पश्चात् पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना की जाना।	50 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। पंजीबद्ध प्रकरणों में से 15 दलालों की गिरफ्तारी शेष है। प्रकरण में विवेचना जारी है।	04 आरोपियों एवं 15 दलालों में से 03 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। शेष आरोपियों एवं दलालों की गिरफ्तारी के संबंध में साक्ष्य संकलन एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी निरंतर चलने वाली सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्र:-** एफ-13/162/2014/बी-1/दो, दिनांक 10.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	992	परि.ता.प्र.सं.01 (क्र.06) दि.08.12.2014 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के थाना मिहोना में पंजीबद्ध अपराध क्र. 74/13 की विवेचना की जाकर प्रकरण का चालान मा.न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना।	विवेचना पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जायेगा।	थाना मिहोना के अपराध क्रमांक 74/13 के नामजद आरोपी सुरेन्द्र उर्फ देवेन्द्र सिंह आत्मज शंकर सिंह रजावत को दिनांक 03.11.13 एवं दीपक आत्मज सुरेन्द्र सिंह रजावत को दिनांक 05.11.13 को गिरफ्तार किया गया । उक्त आरोपी माननीय अवर सत्र न्यायाधीश के आदेश से जमानत मुचलके पर है। प्रकरण में आरोपी द्वारा गिरफ्तारी के समय कक्षा 08 अंकसूची की द्वितीय प्रति पेश की गई थी जिसका अनुक्रमांक 3538 है, जिसमें जन्मतिथि 03.04.1962 अंकित है। इस प्रकार दोनों मार्कशीट एक ही नाम की द्वितीय प्रति जिला शिक्षा अधिकारी से जारी होना बताया गया था। उक्त अंकसूची को जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित कराई गई तो अंकसूची अनुक्रमांक 6555 असत्यापित हुई एवं अनु.क्र. 6538 को सत्यापित किया गया । इस प्रकार एक ही मार्कशीट को दो बार जारी करवाना तथा परीक्षा केन्द्र का नाम अंकित न होना जन्मतिथि बदलवाना तथा कक्षा 05 की अंकसूची प्रस्तुत न कर साक्ष्य को विलोपित करना एवं षडयंत्र रचकर दो मार्कशीट बनवाकर अलग-अलग लिखवाया पाये जाने पर प्रकरण में धारा 120-बी, 201 भादवि इजाफा कर प्रकरण में प्रधान आर. देवेन्द्र सिंह, थाना अमायन को आरोपी बनाया गया है। माननीय न्यायालय में आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत हेतु आवेदन करने पर दि.27.02.2015 को जमानत आवेदन निरस्त किया गया है । प्रकरण में आरोपी देवेन्द्र सिंह की तलाश जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/157/2014/बी-1/दो, दिनांक 12.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	993	परि.ता.प्र.सं.12 (क्र.144) दि.08.12.2014 (श्री अंचल सोनकर)	जबलपुर जिले के विभिन्न थानों में विगत 03 वर्षो के दौरान पंजीबद्ध विभिन्न अपराधों के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाना।	फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हरसंभव प्रयास जारी है।	दिनांक 01.01.2012 से 31.10.2014 तक फरार इनामी आरोपियों की संख्या 66 है। इसमें से दो आरोपी (1) राजदीप कुशवाह सिमरिया रीवा, (2) कक्कू उर्फ रंजीत पिता कल्याण सिडाना उम्र 27 साल पता - ब्यौहारबाग पेट्रोलपम्प के पास थाना बेलबाग को गिरफ्तार किया गया है। शेष की गिरफ्तारी के हरसंभव प्रयास जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 34-27/2014/दो-सी-1, दिनांक 06.05.2014	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	994	परि.ता.प्र.सं.14 (क्र.159) दि.08.12.2014 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	देवास एवं रायसेन जिले में वर्ष जनवरी 2012 से नवम्बर 2014 तक की अवधि में धारा 376 के दर्ज प्रकरणों के फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी किया जाना।	आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।	जिला देवास में कोई भी आरोपी फरार नहीं है। जिला रायसेन के थाना अजाक के अपराध क्र.12/12 धारा 376, 506, 450 भादवि 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट फरार आरोपी जगदीश पंवार नि.खरबई की तलाश हेतु थाना स्तर पर टीम बनाकर संभावित स्थानों पर दिनांक 23.12.2014 एवं 25.12.2014 को तलाश की गई जो नहीं मिला थाना बेगमगंज के अप.क्र.200/14 धारा 354(घ), 363, 376 भादवि 3(1)11, 3(1)12 एसटी/एससी एक्ट एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में फरार आरोपी 01 कल्लू 02 रामकलीबाई नि.बेगमगंज की थाना स्तर पर टीम बनाकर दिनांक 24.25/12/14 को तलाश किया नहीं मिले, तलाश जारी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F13/160/2014/बी-1/दो, दिनांक 07.05.2015 प्रकरण से संबंधित थाना अजाक के अप.क्र.12/12 धारा 376, 506, 450 भादवि 3(2) 5, एससी/एसटी एक्ट फरार आरोपी जगदीश पंवार, नि.खरबई को दिनांक 16.08.2015 को गिरफ्तार किया जा चुका है एवं थाना बेगमगंज के अपराध क्रमांक 200/14 धारा 354, (घ), 363, 376 भादवि 3(1) 11, 3(1)12 एससी/एसटी एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में फरार आरोपी कल्लू उर्फ नफीस निवासी खिरिया नारायणदास बेगमगंज को दिनांक 22.06.2015 को एवं रामकली बाई नि.बेगमगंज को दिनांक 17.07.2015 को न्यायालय पेश किया गया। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F-13/160/2014/बी-1/दो, दिनांक 30.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	995	परि.ता.प्र.सं.54 (क्र.583) दि.08.12.2014 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के सुरखी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम गौंसरा में दिनांक 01 अक्टूबर 2014 को सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु बेरीकेट लगे होने से एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने पर दोषियों के विरूद्ध प्रकरण की जांच की जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना ।	प्रकरण की जांच उपरांत तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जायेगी।	थाना सुर्खी में दि.01.10.2014 को विजय केवट की सर्पदंश से हुई मृत्यु के संबंध में थाना सुर्खी में पंजीबद्ध मर्ग क्रमांक 68/14 धारा 174, जा.फौ. की जांच तथ्यों के आधार पर की गई । मृतक विजय केवट की मृत्यु एफ.एस.एस. रिपोर्ट अनुसार सर्पदंश से होना पाया गया। मृतक विजय केवट की मृत्यु झाडा फूंकी में समय बर्बाद करते व समय पर अस्पताल न ले जाने के कारण हुई थी । मृत्यु बेरीकेट लगे होने से समय एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने पर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई का प्रश्न नहीं है, क्योंकि बेरीकेट अवैध नहीं था। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2274/554/2015/बी-1/दो, दिनांक 19.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
6.	996	परि.ता.प्र.सं.77 (क्र.716) दि.08.12.2014 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	दिसम्बर 2010 से अक्टूबर 2014 तक चेकपोस्ट बेरियर ए.बी.रोड मुरैना पर पदस्थ अमले के साथ हुये दुर्व्यवहार एवं मारपीट की घटनाओं की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना	जांच प्रक्रियाधीन है ।	प्रकरण में पुलिस अधीक्षक के जांच अनुसार आवेदक पक्ष एक ट्रांसपोर्टर गाडियां नियमानुसार नहीं चलाना चाहता है । ट्रांसपोर्ट की गाडिया बिना टेक्स दिये आर.टी.ओ. से निकलवाना चाहता है । अनावेदक द्वारा उक्त गाडियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने पर आवेदक द्वारा अनावेदक पक्ष पर दबाव बनाने के लिये असत्य एवं निराधार शिकायत की जा रही है। जो सत्य नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13/177/2014/बी-1/दो, दिनांक 29.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
7.	997	अता.प्र.सं.01 (क्र.18) दि.08.12.2014 (डॉ.गोविन्द सिंह)	दतिया जिले के थाना डी-पार में पंजीबद्ध अपराध क्र. 50/14 की शीघ्र विवेचना पूर्ण कराई जाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाना ।	अपराध क्र. 50/14 थाना डीपार, जिला दतिया में विवेचना जारी है। साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जावेगी ।	प्रकरण की विवेचना जारी है । कार्रवाई पूर्ण होने पर अवगत कराया जा सकेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक:-** F-13/159/2014/बी-1/दो, दिनांक 11.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	998	अता.प्र.सं.02 (क्र.19) दि.08.12.2014 (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के लहार थानान्तर्गत ग्राम रोहानीसींगपुरा हाल निवासी विजपुरा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत पंजीबद्ध अपराध के फरार आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की जाना।	गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।	उत्तर अप्राप्त	इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी न दिये जाने को समिति आपत्तिजनक मानती है तथा अनुशंसा करती है कि संबंधित आरोपी के विरूद्ध अग्रेत्तर वैधानिक कार्रवाई की जाकर 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
9.	999	अता.प्र.सं.72 (क्र.602) दि.08.12.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले में शस्त्र लायसेन्सों के लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण किया जाना।	नगरीय निकाय चुनाव उपरांत सभी लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण कर दिया जायेगा।	जिला मुरैना, तहसील अम्बा के लंबित 08 शस्त्र लायसेंस संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। प्रकरण में कोई कार्रवाई शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F-13/172/2014/बी-1/दो, दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
10.	1010	अता.प्र.सं.50 (क्र.476) दि.08.12.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल में पदस्थ डॉ.कमलेश कुमार मेवाड़, सीनियर रेसीडेंट की पदस्थापना/दस्तावेज संबंधी जांच शीघ्र कराई जाकर विधिसम्मत् कार्रवाई किया जाना।	अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	समिति का मत है कि विभाग के पास अभिलेखीय तथ्य मौजूद होने के बावजूद की गई कार्रवाई की प्राथमिक जानकारी भी न दिया जाना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। समिति चाहेगी कि विभाग द्वारा इस बाबत् की गई कार्रवाई से 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
11.	1090	ध्यानाकर्षण सूचना क्रं.-2 दि.10.12.2014 (श्री शंकरलाल तिवारी)	सतना के पतेरी निवासी युवा कारोबारी श्री अरविंद गुप्ता की हत्या के संबंध में थाना मैहर में दर्ज अपराध क्रमांक-710/14 के अज्ञात आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाकर उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	(1) प्रकरण में पतासाजी के प्रयास जारी है। अभी तक अज्ञात आरोपीगणों का पता नहीं चला है। (2) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी हेतु हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। (3) शीघ्र ही हम अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफल होंगे. (4) अनुसंधान किया जा रहा है अनुसंधान करने पर जो अपराधी होंगे उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जायेगा	प्रकरण की विवेचना अनुसार उपरोक्त घटना अंधी हत्या की है। अत: परिस्थिति जन्य साक्ष्य संकलित कर उनकी तस्दीक कराकर संदेहियों के विरूद्ध ठोस साक्ष्य संकलन घटना के घटित करने के तारतम्य में किया जा रहा है, ताकि आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो सके। घटना का नियमित समुचित अनुसंधान किया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 509/7952/2014/बी-1/दो, दिनांक 10.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	1239	ता.प्र.स.02 (क्र.4482) दिनांक 28.07.2014 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले के टोल बैरियर उमरी पर पदस्थ टोल कर्मचारी के साथ नया गांव थाना प्रभारी द्वारा मार पीटकर अवैधानिक रूप से निरूद्ध रखे जाने की शीघ्र जाँच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	जांच प्रतिवेदन उपरांत कार्रवाई की जा सकेगी।	शिकायत पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक, अजाक भिण्ड से करवाई गई । जांच में पाया गया कि टोल नाका उमरी वैरियर के कर्मचारियों के साथ मारपीट नहीं की गई । शिकायतकर्ता द्वारा किसी के बहकावे में आकर जानबूझकर उप निरीक्षक सतेन्द्र सिंह की असत्य शिकायत की है । उक्त जांच अप्रमाणित पाये जाने पर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, भिण्ड द्वारा प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2918/371/2015/बी-4/दो, दिनांक 22.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
13.	1240	परि.ता.प्र.स.103 (क्र.5042) दिनांक 28.07.2014 (श्री उमंग सिंघार)	सीहोर जिले में नियमानुसार बंध पत्र का निष्पादन न करने के दोषी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जाँच शीघ्र पूर्ण कराकर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	विभागीय जांच संस्थित की गई है।	शासन के आदेश दि.21.02.2014 द्वारा श्री एल.एस.कदम, उप संचालक अभियोजन को जांचकर्ता अधिकारी एवं श्री व्ही.पी.राय, डीपीओ को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया था । जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर, जांच प्रतिवेदन दि.11.06.2015 को शासन को प्रस्तुत किया है । वर्तमान में कार्रवाई प्रचलित है।	कोई टिप्पणी नहीं.
14.	1241	अता.प्र.स.09 (क्र.1631) दिनांक 28.07.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 24/06/2003 में प्रकाशित विनियम 494 के बिन्दु (ख-दो) में दिये गये निर्देश का दिनांक 30 अगस्त, 2013 को पालन न करने वाले कुक्षी में पदस्थ पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	कार्रवाई विचारण में हैं।	दिनांक 30.08.2013 को कुक्षी जिला धार में श्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह को काले झण्डे दिखाए जाने की संभावना की पूर्व सूचना होने के बावजूद न तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, न ही उचित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई । त्रुटिपूर्ण कृत्य के लिये श्री सोहनपाल सिंह चौधरी, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस, कुक्षी, जिला धार को पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश की ओर से अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 34-22/2014/दो-सी-1, दिनांक 10.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर 2014, सत्र
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वा. क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15.	1000	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.196) दि.08.12.2014 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी.0501 का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज क्रमांक एम.पी. 0501 ग्वालियर इटावा रोड से खादरमऊघाट तथा ग्वालियर इटावा मार्ग से अहेती मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है।	भिण्ड विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पैकेज क्र. एम.पी.0501 के ग्वालियर-इटावा मार्ग से खादर गऊ घाट मार्ग वर्तमान में प्रगतिरत् है। मार्ग में लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्वालियर-इटावा मार्ग से अहेती मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 72/22/वी-12/अ.क्र./14, दिनांक 02.01.2015	कोइ टिप्पणी नहीं
16.	1001	परि.अता.प्र.सं.63 (क्र.622) दि.08.12.2014 (श्री लाखन सिंह यादव)	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण द्वारा निर्मित मार्गो का लोक निर्माण विभाग को शीघ्र हस्तान्तरण कराकर आवागमन आरंभ कराया जाना।	कार्रवाई प्रकियाधीन है।	म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित (एबी रोड) नयागांव से डबरा व्हाया चिन्नौर मार्ग (लंबाई 24.79 कि.मी.) चिन्नौर से करैया मार्ग (लंबाई 12.25 कि.मी) तथा करैया से भितरवार मार्ग (लंबाई 16.71 कि.मी) मार्गो का अपरिहार्य कारणों से लोक निर्माण विभाग द्वारा हस्तान्तरण नहीं लेने के कारण उक्त सड़कों के संधारण/पुनर्निर्माण कार्य विभाग द्वारा किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 2716/22/वी-12/वि.स./ आ.क्र./2014, दिनांक 12.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
17.	1003	अता.प्र.सं.100 (क्र.829) दि.08.12.2014 (श्री बाला बच्चन)	जिला बड़वानी के राजपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत ठीकरी में बाजार बैठक का निर्माण किये बिना राशि आहरित करने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध जांच शीघ्र पूर्ण कराई जाकर लंबित निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना।	द्वितीय कार्य के संबंध में जांच प्रचलित है। जांच उपरांत कार्रवाई की जावेगी।	कलेक्टर, जिला बड़वानी के पत्र क्र.1204, दि.11.02.2015 द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार निर्माण कार्य में बिना निर्माण कार्य किये भुगतान की गई राशि 512530/- के अधिक व्यय के लिए तत्काल कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी एवं उप यंत्री जिनके विरूद्ध बिंदु क्र. 04 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं बिन्दु क्र. 05 अनुसार वसूली की कार्रवाई संस्थित की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-196/2014/22/पं.-1, दिनांक 16.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18.	1004	अता.प्र.सं.108 (क्र.858) दि.08.12.2014 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	बैतूल जिले में समग्र स्वच्छता अभियान के तहत बिना कार्य किये राशि का आहरण करने वाले पंचायत कर्मियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई करते हुये, राशि की वसूली की जाना ।	बिना कार्य किये राशि का आहरण करने वाले सचिवों के विरूद्ध पद से पृथक करने, निलंबित करने की कार्रवाई की गई है एवं वसूली की कार्रवाई प्रचलन में है ।	जनपद पंचायत भैंसदेही अंतर्गत बिना कार्य किये राशि का आहरण करने वाली ग्राम पंचायत माजरवानी, राक्सी, पलासपानी के सचिवों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता किये जाने के कारण पद से पृथक किया गया । उक्त कार्रवाई के विरूद्ध सचिव ग्राम पंचायत द्वारा माननीय कमिश्नर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त तीनों प्रकरणों में स्थगन आदेश दिया गया है । जनपद पंचायत चिचोली की ग्राम पंचायत मलाजपुर, चुनागोसाई, बोडरैयत, बेला आलमपुर, चिरापाटला, पाठाखेड़ा, जोगली, कुरसना, कामटामाल, चुरनी द्वारा बिना कार्य के अधिक राशि आहरण कर ली गई थी । उक्त राशि 49.82 लाख के विरूद्ध संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा 184 कार्य पूर्ण एवं 160 कार्य प्रगतिरत है । जनपद पंचायत चिचोली जिला बैतूल के पत्र क्र.678, दिनांक 30.04.2015 एवं पत्र क्र. 680 दिनांक 30.04.2015 द्वारा ग्राम पंचायत मलाजपुर एवं आलमपुर पर आर.आर.सी. की कार्रवाई हेतु अनुविभागीय राजस्व बैतूल को प्रकरण प्रेषित किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7270/22/वि-7/SBM/2015, दिनांक 05.05.2015	समिति का मत है कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से कार्रवाई पूर्ण नहीं होती। वित्तीय अनियमितता करने वाले सचिवों पर समय रहते कार्रवाई होना चाहिए ताकि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लग सके। कमिश्नर, न्यायालय में प्रकरण का शीघ्र निपटारा हो इस हेतु आवश्यक पहल की जाए। समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि प्रकरण का निपटारा समय-सीमा हो।
19.	1242	ता.प्र.स.11 (क्र.4738) दिनांक 28.07.2014 (श्रीमती नीना वर्मा)	धार जिले के विकासखण्ड धार, तिरला एवं नालछा में नियम विरूद्ध इन्दिरा आवास कुटीरों का आवंटन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ जाँच कराई जाकर कार्रवाई किया जाना।	संबंधित से प्रति उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	इंदिरा आवास योजना के तत्कालीन प्रभारी अधिकारी श्री महेन्द्र सिंह गिरवर, जो कि मूल रूप से सहकारिता विभाग के होकर जिला पंचायत धार में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ थे, उन्हें कार्यालयीन पत्र क्र. 477/स्था/2014, दि.13.05.15 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिये एक तरु कार्यमुक्त कर दिया गया है एवं उपायुक्त(स्थापना) पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल के माध्यम से कार्यालयीन पत्र क्र. 1675/स्था./जि.प./2014, दिनांक 15.07.2014 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । उक्त कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का प्रति उत्तर श्री गिरवर द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से कार्यालयीन पत्र क्र. 5548, दिनांक 29.01.2015 के द्वारा उपायुक्त(स्थापना) ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से पुन: स्मरण पत्र जारी किया गया है । विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल के पत्र क्र. 1922/22/वि-7/15, दि.10.02.2015 को श्री महेन्द्र सिंह गिरवर, सहायक परियोजना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु आयुक्त सहकारिता विभाग विन्ध्याचल भवन, भोपाल के पत्र क्र. 40/शि.प्र./2015, दिनांक 07.04.2015 द्वारा उपायुक्त सहकारिता, जिला धार को लेख किया जा चुका है एवं उपायुक्त सहकारिता जिला धार द्वारा कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7172/22/वि-7/ग्रा.आ./वि.सभा./2015, दिनांक 02.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
20.	1243	परि.अता.प्र.सं.03 (क्र.467) दिनांक 28.07.2014 (श्री मोती कश्यप)	कटनी जिले के बड़वारा विधान सभा क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक के पत्र दिनांक 14/01/2014, 03/02/2014 एवं 03/03/2014 में दर्शाये गये अपूर्ण मार्गों को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	अपूर्ण मार्गों के कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने की कार्रवाई की जावेगी।	कटनी जिले के बडवारा विधान सभा क्षेत्र में वन मण्डल कटनी द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो की जांच कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग कटनी द्वारा की जाकर प्रतिवेदित किया गया है कि निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगतिरत् हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** 1332/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./15, दिनांक 18.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
21.	1244	परि.अता.प्र.सं.07 (क्र.1470) दिनांक 28.07.2014 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के रौन विकासखण्ड के ग्राम असनेहट में माइक्रो वाटर शेड कमेटी द्वारा निर्माण कार्यो में अनियमितता एवं फर्जी भुगतान किये जाने संबंधी शिकायतों की शीघ्र जॉच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	पृथक से जॉच दल का पुन: गठन कर जॉच की जावेंगी।	भिण्ड जिले के विकासखण्ड रौन में आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना संचालित नहीं है। विकासखण्ड अटेर में आई.डब्ल्यू.एम.पी. अंतर्गत तीन परियोजनायें संचालित हैं। सत्र जुलाई 2014 के विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 1470 के प्रश्नांश "घ" के उत्तर में गठित दल के सदस्य सेवानिवृत्त एवं स्थानान्तरण होने के कारण जांच नहीं की जा सकी थी, का उल्लेख किया गया था। किन्तु अब पुन: जांच दल का गठन कर परियोजनाओं की जांच कराई गई। प्रकरण की जांच में किसी का दोषी होना नहीं पाया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 22/वि-9/आर.जी.एम./2015, दिनांक 03/2015	कोई टिप्पणी नहीं.
22.	1245	परि.अता.प्र.सं.22 (क्र.3589)/ अता.प्र.स.89 (क्र.4955) दिनांक 28.07.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी) (श्री गिरीश भंडारी)	शासन के नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में वार्षिक अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत न करने वाले विकास खण्ड अधिकारियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान किये जाने की जॉच सहित दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	परीक्षणोपरांत कार्रवाई की जावेगी।	परीक्षणोपरांत कोई दोषी नहीं पाया गया। अत: ऐसी स्थिति में कार्रवाई होना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 7287/22/वि-2/स्था./15, दिनांक 06.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23.	1246	परि.अता.प्र.सं.32 (क्र.4122) दिनांक 28.07.2014 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले के मझौली विकास खण्ड के ग्राम कोनी कला के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं तथा स्वयं के शासकीय सेवारत भाई को नियम विरूद्ध बी.पी.एल. श्रेणी के कार्ड के माध्यम से शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाये जाने की शीघ्र जाँच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	इसकी जांच कराई जा रही है गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	प्रकरण की जांच श्री झारिया, खण्ड पंचायत अधिकारी द्वारा करायी गई जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरपंच कोनीकलां के छोटे भाई को बी.पी.एल. के अंतर्गत योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया है तथा आवेदक के द्वारा स्वत: सक्षम अधिकारी को आवेदन देकर गरीबी रेखा से नाम हटाने के लिये आवेदन किया था। तहसीलदार मझौली के आदेश क्र.605 दिनांक 05.07.2014 को सरपंच कोनीकलां के भाई का नाम श्री रविन्द्र सिंह राजपूत को गरीबी रेखा से नाम हटा दिया गया है । प्रतिवेदन के आधार पर श्री रविन्द्र सिंह को गरीबी रेखा योजना का लाभ नहीं दिया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 15-37/2014/22/पं.-2, दिनांक 26.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
24.	1247	परि.अता.प्र.सं.68 (क्र.4926) दिनांक 28.07.2014 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	शिवपुरी जिले के करैरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत इंदिरा आवास योजना के 482 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि जारी किया जाना।	हितग्राहियों को द्वितीय किश्त की राशि जारी की जावेगी।	भारत सरकार से द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण 482 आवासों के द्वितीय किश्त लंबित है । दिनांक 16.12.2014 को भारत सरकार को इंदिरा आवास होमस्टेड योजना की ऑडिट रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र पुन: प्रस्तुत कर दिये गये है । भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के पश्चात् उक्त हितग्राहियों को राशि जारी कर दी जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 7144/22/वि-7/ग्रा.आ./वि.सभा/2014, दिनांक 02.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
25.	1248	अता.प्र.स.22 (क्र.3061) दिनांक 28.07.2014 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश की पंचायतों का निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटरीकरण कराया जाना।	वर्ष 2014-15 तक पूर्ण कर लिया जावेगा।	शासन द्वारा जिलों के कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायतों को तथा म.प्र.लघु उद्योग निगम को समस्त ग्राम पंचायतों के कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री प्रदाय करने हेतु निर्देश पत्र क्र. 891, दि.13.01.2014 एवं पत्र क्र. 928 दि.26.02.2014 के माध्यम से समय-समय पर दिशा-निर्देश दिये गये थे। वर्ष 2014-15 तक प्रदेश में शेष देवास के 20, कटनी के 199 एवं सिवनी के 512 ग्राम पंचायतों हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा प्रदाय पूर्ण किया जाने का प्रश्न क्र. 3061 में लेख किया गया था । सिवनी जिले के 512 ग्राम पंचायतों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों हेतु कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री का प्रदाय म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 639/2015/22/पं.-1/MPSTEPS दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>26.</td><td>1249</td><td>अता.प्र.स.28
(क्र.3338)
दिनांक 28.07.2014
(श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा)</td><td>देवास जिले की सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों के संबंध में शासन की स्थानान्तरण नीति का पालन कराया जाना।</td><td>स्थानान्तरण नीति का पालन किया जायेगा।</td><td>
<table>
<tr><td>1.</td><td>सोनकच्छ</td><td>श्री दर्याबसिंह मालवीय, सहा. वि.वि.अधि.</td><td>05.09.2005</td><td>विभागीय आदेश क्र.9062/22/वि-2/स्था., दिनांक 29.05.15 को श्री दर्याबसिंह मालवीय, सहा.वि.वि.अधि. सोनकच्छ देवास से खाचरौद उज्जैन किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>टोंकखुर्द</td><td>श्री मोहनलाल मंदरोनिया, एडीओ</td><td>31.10.2001</td><td>विभागीय आदेश दिनांक 03.09.14 के जनपद पंचायत महू जिला इंदौर स्थानांतरित किया जा चुका है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>टोंकखुर्द</td><td>श्रीमती किरण प्रजापति, एडीओ</td><td>23.08.1997</td><td>जिला पंचायत देवास का आदेश क्र. 1902 दिनांक 07.03.2015 के तहत श्रीमती किरण प्रजापति को निलंबित किया गया।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>टोंकखुर्द</td><td>श्री मुरारीलाल वर्मा, एडीओ</td><td>02.08.05</td><td>दि.13.12.2015 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त के कारण स्थानांतरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.10 अनुसार सेवानिवृत्त में एक वर्ष या उससे कम समय होने से स्थानान्तरण संभव नहीं है।</td></tr>
</table>
</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td>5.</td><td>टोंकखुर्द</td><td>श्री सोबानसिंह ठाकुर, विकास विस्तार अधिकारी</td><td>28.07.2004</td><td>दि.31.08.2015 में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त कारण स्थानान्तरण नीति वर्ष 2015-16 की कंडिका 8.10 अनुसार सेवानिवृत्ति में एक वर्ष या उससे कम समय होने से स्थानान्तरण संभव नहीं है।</td></tr>
</table>
विभागीय पत्र क्रमांक :-
10012/22/वि-11/विधान सभा सेल/15
दिनांक 24.06.2015
</td><td></td></tr>
<tr><td>27.</td><td>1250</td><td>अता.प्र.स.38
(क्र.3997)
दिनांक 28.07.2014
(श्री यशपाल सिंह सिसौदिया)</td><td>मंदसौर जिले में एन.आर.ई.जी.एस. योजनातंर्गत स्वीकृत अपूर्ण 143 कुओं का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना।</td><td>अपूर्ण कुओं को शीघ्र पूर्ण करा दिया जावेगा।</td><td>मंदसौर जिले में एन.आर.ई.जी.एस. योजनान्तर्गत स्वीकृत 143 अपूर्ण कुओं में से 49 कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 94 कुओं का कार्य प्रगतिरत है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
1072/MGNREGS-MP/NR-11/वि.स./2015,
दिनांक 06.02.2015</td><td>समिति इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि प्रगतिरत् कार्यो को आश्वासन के अनुरूप एक निश्चित समय-सीमा में पूर्ण करा लिया जाए, जिससे लाभार्थियों को शासन की मंशा के अनुरूप लाभ प्राप्त हो सके।</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
28.	1251	अता.प्र.स.41 (क्र.4039) दिनांक 28.07.2014 (श्री उमंग सिंघार)	कटनी जिले की जनपद पंचायत ढ़ीमरखेड़ा के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूला एवं मढ़ाना में हुये निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं की जॉंच कराई जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।	प्रकरण की जांच उप संचालक पंचायत राज संचालनालय, भोपाल सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत कटनी तथा उप यंत्री जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा से संयुकत रूप से कराई गई । जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेखों/स्थल के भौतिक सत्यापन, संबंधितों के कथन के आधार पर शिकायत के बिन्दु क्रमांक 01, 02 एवं 05 से श्री आदित्य भूषण दुबे सचिव ग्राम पंचायत भूला पर लगाये गये आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित पाये गये किसी राशि का गबन करना नहीं पाया गया । शिकायत के बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 प्रमाणित नहीं पाये गये । शिकायत के बिन्दु क्रमांक 01, 02 एवं 05 में शिकायत आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने पर म.प्र.पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 05 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु श्री आदित्य भूषण दुबे सचिव ग्राम पंचायत भूला को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-137/2014/22/पं.-1, दिनांक 07.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
29.	1252	अता.प्र.स.72 (क्र.4904) दिनांक 28.07.2014 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले में विगत दो वर्षों में बी.आर. जी.एफ. योजनातंर्गत नियम विरूद्ध कराये गये कार्यो के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण में गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी।	बीआरजीएफ योजनान्तर्गत नियम विरूद्ध कोई कार्य नहीं कराये गये है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत सेंदरी के द्वारा हाट बाजार निर्माण के स्थान के समीप पूर्व से निर्मित मनोरंजन भवन को सक्षम अधिकारी से तोड़ने की अनुमति न लेकर तोड़ दिया गया था, तत्संबंध में ग्राम पंचायत सेंदरी की सरपंच श्रीमती अशोक कुमारी यादव एवं सचिव श्री ज्वाल सिंह यादव के विरूद्ध तत्समय पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों धारा 40 एवं 92 के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत निवाड़ी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी प्रकरण भेजा गया, जो प्रचलन में है । अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) द्वारा प्रकरण क्र./सात/अ/89/13-14 में दिनांक 29.09.2014 को आदेश पारित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत सेंदरी की सरपंच श्रीमती अशोक कुमार यादव को सरपंच पद से पृथक कर 06 वर्ष के लिये पंचायत निर्वाचन के लिये निरर्हित घोषित किया गया तथा मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के तहत मूल्यांकन के अतिरिक्त शेष राशि सरपंच एवं सचिव से समान रूप से बकाया भू-राजस्व की भांति वसूल किए जाने हेतु तहसीलदार निवाड़ी को आदेशित किया गया । अनावेदक सरपंच द्वारा इस आदेश के विरूद्ध मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दाखिल की गई । मा.उच्च न्यायालय के रिट पिटिशन नं.15543/2014 के आदेश दिनांक 13.10.2014 में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) निवाड़ी के आदेश दिनांक 29.09.2014 को आगामी सुनवाई तक स्थगित किया गया । वर्तमान में मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-140/2014/22/पं.-1, दिनांक 24.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
30.	1253	अता.प्र.स.73 (क्र.4905) दिनांक 28.07.2014 (श्री राम सिंह यादव)	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शिवपुरी द्वारा भण्डार क्रय नियमों का उल्लंघन किये जाने की जॉच कराई जाकर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	त्रुटि पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।	जिला पंचायत (डीआरडीए) शिवपुरी द्वारा कार्यालयीन उपयोग के लिये सामग्री भण्डार क्रय नियमों के अनुसार ही क्रय की जाती है। दिनांक 01 अप्रैल 2011 से 30.08.14 तक कार्यालय द्वारा जो भी सामग्री क्रय की गई है, वह भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय की गई है। वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक का ऑडिट महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा एवं सी.ए.फर्म द्वारा भी किया जा चुका है। कार्यालय द्वारा भण्डार क्रय नियमों अनुसार सामग्री क्रय की प्रक्रिया अपनाई जाकर सामग्री का क्रय किया जाता है। उपरोक्त अवधि में भण्डार क्रय नियमों के पालन में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 258/524/2015/वि-5/22/स्था., दिनांक 06.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
31.	1269	28 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 108 (क्र.4220) (श्री महेन्द्र सिंह)	गुनौर विधान सभा क्षेत्र मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चयनित 26 ग्रामों में बारहमासी मार्ग का निर्माण कराया जाना।	स्वीकृति प्राप्त होने पर निर्माण कार्य करवाया जावेगा।	गुनौर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विषयान्तर्गत 26 ग्रामों को बारहमासी मार्गो से जोड़ने हेतु डी.पी.आर. तैयार कर 14वें फेस बी-1 के अंतर्गत स्वीकृति हेतु दिनांक 01.10.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 7275/22/वि-11/विधानसभा सेल/15, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2014 सत्र
सहकारिता विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.	1002	अता.प्र.सं.13 (क्र.141) दि.08.12.2014 (श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर में हुई आर्थिक अनियमितताओं के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच कराई जाना।	विभागीय जांच प्रकरण में बैंक स्टाफ उप समिति की आगामी बैठक में निर्णय लिया जावेगा।	उत्तर अप्राप्त	विभाग की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न होना यह दर्शाता है कि आर्थिक अनियमितताओं के प्रकरणों की जांच तथा पाये गये दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में उदासीनता बरती जा रही है। इस प्रकार का विलंब किया जाना समिति कदापि उचित नहीं मानती। विलंब के कारण अपरोक्ष रूप से आर्थिक अनियमितताओं को बढ़ावा मिलता है। अत: समिति चाहेगी कि प्रकरण में एक निश्चित समयावधि में जांच एवं दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई पूर्ण कराई जाकर समिति को 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
33.	1005	परि.ता.प्र.सं.02 (क्र.40) दि.08.12.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	अशोकनगर जिले की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, रामनगर में पी.डी.एस. एवं बारदाना की बकाया राशि की वसूली तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया के संचालक मंडल एवं गबन व धोखाधड़ी में लिप्त अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	समिति के मत में प्राथमिक जानकारी तक उपलब्ध न कराया जाना आपत्तिजनक है। समिति चाहेगी कि प्रकरण में संबंधित दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुये 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.	1006	परि.ता.प्र.सं.11 (क्र.128) दि.08.12.2014 (श्री माधो सिंह डावर)	अलीराजपुर में आदिम जाति सहकारी संस्थाओं के वर्ष 2010 से 2013 की अवधि में ऋण लेने के पश्चात् मृत हितग्राहियों के बीमा क्लेम की राशि उनके परिजनों को बीमा कंपनियों से दिलाई जाना।	बीमा कंपनियों से बीमा क्लेम राशि प्राप्त होते ही संबंधित हितग्राहियों (सदस्यों) के परिवारों को राशि उपलब्ध कराई जायेगी।	बीमा कंपनियों में लंबित दावों में से 119 दावे राशि रू.54.29 लाख के भुगतान क्लेम प्राप्त हो चुके है तथा 393 दावों में राशि रू.191.51 लाख के क्लेम लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- F10/163/2014/15-1, दिनांक 26.08.2015	समिति अपेक्षा करती है कि बीमा क्लेम के 393 लंबित दावा प्रकरणों का मानवीय दृष्टिकोण से शीघ्र निराकरण किया जायेगा और हितग्राहियों के पीड़ित परिवारों को राहत समय-सीमा में पहुंचाने का प्रयास होगा।
35.	1007	परि.ता.प्र.सं.81 (क्र.757) दि.08.12.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला कॉ-ऑपरेटिव बैंक, मुरैना से पृथक कर श्योपुर जिले में पृथक रूप से नवीन जिला कॉ-ऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाना।	जानकारी एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	समिति अनुशंसा करती है कि इस प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई हो।
36.	1257	परि.ता.प्र.स.48 (क्र.4599) दिनांक 28.07.2014 (श्री गोवर्धन उपाध्याय)	अपेक्स बैंक द्वारा मेसर्स त्रिकुटा कोल्ड स्टोरेज को नियम विरूद्ध ऋण स्वीकृत/ प्रदाय करने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई किया जाना।	परीक्षण उपरांत दोषियों का निर्धारण हो सकेगा।	उत्तर अप्राप्त	विभाग की ओर से कोई उत्तर प्राप्त न होना यह दर्शाता है कि आर्थिक अनियमितताओं के प्रकरणों की जांच तथा पाये गये दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करने में उदासीनता बरती जा रही है। समिति का मत है कि वित्तीय कुप्रबंधन एवं अनियमितता के प्रकरणों पर रोक के लिये स्पष्ट नीति अपनाई जाना तो आवश्यक है ही बल्कि समयावधि भी निश्चित होना चाहिये। समिति चाहेगी कि प्रकरण में दोषियों का निर्धारण करते हुये 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
37.	1258	परि.ता.प्र.स.88 (क्र.4997) दिनांक 28.07.2014 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	उज्जैन जिले के महिदपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत कारखाना परिसर में हुये अवैध निर्माण एवं चोरी की घटनाओं में दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं अतिक्रामकों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	जांच प्रतिवेदन निष्कर्षाधीन।	कलेक्टर, जिला उज्जैन द्वारा शिकायत की जांच करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी महिदपुर, उप आयुक्त सहकारिता, जिला उज्जैन एंव तहसीलदार महिदपुर का तीन सदस्यीय जांच दल पत्र क्रमांक शिकायत/14/1468, दिनांक25.06.2014 द्वारा गठित किया गया । संस्था के स्वामित्व की भूमि पर कुल 72 कच्चे पक्के अतिक्रमण पाये गये, जिनमें से 62 अतिक्रमण हटा दिये गये है और उनका कब्जा परिसमापक को प्राप्त हो गया है । शेष 10 और उनका कब्जा परिसमापक को प्राप्त हो गया है । शेष 10 प्रकरणों में सिविल न्यायालय महिदपुर द्वारा स्थगन आदेश दिया गया है। कारखाने के पाईप व अन्य धातुओं की चोरी के संबंध में थाना महिदपुर रोड पर 02 प्रकरण (1) 102/88, धारा 380 भादवि (2) अपराध क्र. 151/11, धारा 557/380 भादवि, दर्ज किये गये है । दोनों ही प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है एवं प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त एक प्रकरण संस्था के तत्कालीन पदाधिकारियों द्वारा की गई अनियमितता एवं पद के दुरूपयोग के संबंध में थाना प्रभारी महिदपुर रोड द्वारा **01.** श्री गिरीश परूलेकर, सहकारी शक्कर कारखाना, महिदपुर **02.** मेसर्स मुल्तानी स्क्रेप डीलर, रतलाम मदुस्सर जलाल उद्दीन **03.** इरसाद एहमद पिता इकबाल पिंजार एवं **04.** कल्पना पारूलेकर, महिदपुर इस प्रकार उपरोक्त चारों को आरोपी बनाया जाकर शुगर मिल की संपत्ति (शुगर मिल मशीनरी भंगार सामान लगभग 08 टन राशि रूपये 80,000.00) अमानत में खयानत करने एवं षडयंत्र किये जाने के संबंध में धारा 406, 411, 120 बी के अंतर्गत अपराध क्रमांक 7/2.2.05	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					कायम किया । जो वर्तमान में माननीय न्यायालय जे.एम.एफ.सी. महिदपुर में तर्क की स्टेज पर विचाराधीन है । अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 10/115/2014/15-1, दिनांक 28.01.2015	
38.	1259	अता.प्र.स.65 (क्र.4751) दिनांक 28.07.2014 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित, दुलहरा में नियम विरूद्ध कर्मचारियों को रखे जाने की जॉच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण में सुनवाई उपरांत गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।	उत्तर अप्राप्त	समिति चाहेगी कि प्रकरण में लिये गये निर्णय से 01 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए ।

दिसम्बर, 2014 सत्र
परिवहन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
39.	1008	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.195) दि.08.12.2014 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह)	भिण्ड जिले में मालनपुर स्थित चेकपोस्ट को मालनपुर से भिण्ड में शीघ्र स्थानान्तरित किया जाना।	परिवहन चेकपोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थापित किये जाने हेतु स्थान का चयन हो चुका है, जिस पर किराया निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, कार्रवाई पूर्ण होने पर शीघ्र ही चेकपोस्ट स्थानांतरित किया जा सकेगा।	परिवहन चेकपोस्ट मालनपुर को भिण्ड-इटावा मार्ग एन.एच.92 पर ग्राम दीनपुरा वृत फूफ जिला भिण्ड में स्थायी रूप से स्थानांतरित कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-86/2014/आठ, दिनांक 06.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2014 सत्र

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

सरक क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40.	1009	ता.प्र.सं.17 (क्र.454) दि.08.12.2014 (इंजी.प्रदीप लारिया)	सागर जिले में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग करने पर पंजीबद्ध प्रकरणों में विधि अनुरूप कार्रवाई किया जाना।	कार्रवाई सक्षम अधिकारी कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है।	घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक उपयोग के संबंध में 91 प्रकरणों में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये है तथा 13 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 78 प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, सागर में प्रचलित है । उक्त सभी 78 प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत विभिन्न दिनांकों में न्यायालय कलेक्टर, सागर में नियत है, जिनमें नियत दिनाकों में प्रकरणवार सुनवाई की जा रही है । न्यायालयीन प्रक्रिया होने से प्रक्रियानुसार कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-8-166/2014/29-1, दिनांक 13.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
41.	1254	परि.ता.प्र.स.35 (क्र.4190) दिनांक 28.07.2014 (श्री भंवर सिंह शेखावत)	प्रदेश में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से पेक्स एवं विपणन संस्थाओं को हुई अपूरित हानि की प्रतिपूर्ति कराई जाना।	संस्थाओं के अपूरित हानि की प्रतिपूर्ति नियमानुसार परीक्षण एवं उपलब्ध बजट के आधार पर की जावेगी।	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों का संचालन करने वाली संस्थाओं की हानि की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव का परीक्षण कराया गया। परीक्षण में पाया गया है कि क्षतिपूर्ति राशि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की शार्टेज मात्रा की राशि को भी सम्मिलित किया गया है । जबकि उचित मूल्य दुकान के स्टॉक रजिस्टर में किसी भी सामग्री की शार्टेज की कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के शार्टेज न होने पर भी उसकी राशि को क्षतिपूर्ति में सम्मिलित किया जाना नियमानुसार न होने के कारण प्राप्त क्षतिपूर्ति	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					प्रस्ताव को पुन: परीक्षण कर प्रस्तुत करने हेतु म.प्र.राज्य सहकारी बैंक(अपेक्स बैंक) को मूलत: वापस किए गए है । नियमानुसार सही प्रस्ताव प्राप्त होने पर हानि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 10-5/2015/29-2, दिनांक 17.04.2015	
42.	1255	परि.ता.प्र.स.44 (क्र.4495) दिनांक 28.07.2014 (श्री वीरसिंह पंवार)	रायसेन जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत चिन्हित शेष परिवारों को शीघ्र पात्रता पर्ची का प्रदाय किया जाना।	शेष रहे पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची माह जुलाई, 2014 के अन्त तक वितरण करा दी जाएगी।	माह जून 2014 की स्थिति में पात्रता पर्ची वितरण से शेष रहे 3,931 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण माह जुलाई 2014 का स्थिति में किया जा चुका है । अब कोई परिवार पात्रता पर्ची करने से शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-110/2014/29-1, दिनांक 16.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं
43.	1256	अता.प्र.स.50 (क्र. 4311) दिनांक 28.07.2014 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत सटई में नागरिक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजावर तथा विद्या प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सटई को अवैधानिक रूप से खाद्यान्न/ कैरोसिन प्रदाय करने के दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जावेगी।	छतरपुर जिले के नगर पंचायत सटई में माह मार्च एवं अप्रैल, 2014 में वार्ड क्रमांक 11 के पात्र परिवारों को नागरिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या. के स्थान पर विधा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. से मेपिंग करने के कारण वार्ड क्रमांक 11 की राशन सामग्री का प्रदाय विधा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. को किया गया । वार्ड क्रमांक 11 की गलत मेंपिंग श्री वीरसिंह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा की गई थी । उक्त प्रकरण प्रकाश में आने के पूर्व श्री वीरसिंह द्वारा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद से त्याग पत्र दिया जा चुका है । उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में किसी के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 8-116/2014/29-1, दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर 2014, सत्र
चिकित्सा शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44.	1138	परि.अता.प्र.सं.12 (क्र.166) दि.12.12.2014 (श्री जयभान सिंह पवैया)	ग्वालियर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जयारोग्य समूह ग्वालियर में विभिन्न रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करायी जाना।	रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र पदोन्नति एवं विज्ञापन जारी कर की जावेगी।	ग्वालियर स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध जयारोग्य समूह ग्वालियर में आज की स्थिति में निम्न पद रिक्त है :- <table><tr><th>क्र</th><th>पदनाम</th><th>रिक्त पदों संख्या</th></tr><tr><td>1.</td><td>प्राध्यापक</td><td>12</td></tr><tr><td>2.</td><td>सह प्राध्यापक</td><td>14</td></tr><tr><td>3.</td><td>सहायक प्राध्यापक</td><td>10</td></tr><tr><td>4.</td><td>चिकित्सा अधिकारी</td><td>12</td></tr></table> उपरोक्त रिक्त प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक के पदों की पूर्ति शासन/स्वशासी स्तर से डी.पी.सी. के माध्यम से होती है। डी.पी.सी. बैठक की कार्रवाई प्रचलन में है तथा यह एक सतत् प्रक्रिया है। सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर साक्षात्कार आयोजन करने की कार्रवाई प्रचलन में है एवं शीघ्र नियुक्तियां की जावेगी। यह एक सतत् प्रक्रिया है। चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निरंतर डी.पी.सी. की कार्रवाई प्रचलन में है तथा सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति निरंतर जारी है। अत: पद पूर्ति हेतु निर्धारित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-28/2014/10-2, दि.13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
45.	1139	अता.प्र.सं.63 (क्र.872) दि.12.12.2014 (श्रीमती उषा चौधरी)	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ई.पी.एफ. की राशि नियमानुसार जमा न कराने के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध जांच निष्कर्ष के तहत शीघ्र विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	दोष सिद्ध होने पर संबंधियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की ई.पी.एफ. की राशि नियमानुसार ई.पी.एफ. कार्यालय में जमा की जा रही है। विभागीय जांच में यह भी पाया गया है कि स्वशासी में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन शासन द्वारा प्राप्त अनुदान से किया जाता है तथा ई.पी.एफ. कार्यालय द्वारा जो पेनाल्टी लगाई गई है। उक्त राशि में ब्याज की राशि का समायोजन इस कार्यालय में कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों को ई.पी.एफ. राशि पर ब्याज के रूप में दिया जाएगा। जांच में यह भी पाया गया है कि ई.पी.एफ. कार्यालय उक्त प्रकरण की पेशी अभी जारी है। अंतिम निर्णय अप्राप्त है। अंतिम निर्णय प्राप्त होने पर राशि को माफ किए जाने के लिए इस कार्यालय द्वारा अपील की जावेगी। जांच में अधिकारियों/ कर्मचारियों का दोषी होना नहीं पाया गया। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-10-65/2015/1/55, दिनांक 12.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
46.	1237	अता.प्र.सं.63 (क्र. 4353) दि. 25.7.2014 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	भोपाल स्थित शासकीय सुल्तानिया जनाना अस्पताल में वर्ष 2008-09 की अवधि में रेट कॉन्ट्रेक्ट से अधिक/ एम.आर.पी. से अधिक दर पर किये गये क्रय की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण में जांच प्रक्रियाधीन है. विभागीय जांच शीघ्र पूर्ण की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	समिति का स्पष्ट मत है कि वित्तीय अनियमितताओं एवं गडबडियों पर जीरो टॉलरेन्स (Zero Tolerence) की नीति अपनाई जाना नितान्त ही आवश्यक है। मूल प्रकरण लगभग 07 वर्ष से अधिक पुराना है सदन में मा.मंत्री जी द्वारा विभागीय जांच शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया है, किन्तु विभाग द्वारा मा.मंत्री के आश्वासन की पवित्रता को नजरअंदाज करते हुये किसी प्रकार का उत्तर देना भी उचित नहीं समझा गया। समिति अनुशंसा करती है कि विभागीय जांच के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए तथा दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुये समिति को भी 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

दिसम्बर, 2014 सत्र

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

सरक क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
47.	1011	ता.प्र.सं.03 (क्र.441) दि.09.12.2014 (श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक)	छतरपुर जिले के नौगांव में इंजीनियरिंग महाविद्यालय हेतु भवन निर्माण हेतु प्राक्कलन को स्वीकृति दिलाई जाकर शीघ्र भवन का निर्माण कराया जाना।	मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द ही काम शुरू हो जायेगा।	प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 05.03.2015 को जारी की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ-30-67/2014/बयालीस/(1), दिनांक 19.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
48.	1012	ता.प्र.सं.15 (क्र.1164) दि.09.12.2014 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	राघौगढ़ नगर में स्थित शासकीय तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास संस्थान में रिक्त पदों की पूर्ति एवं संस्थान के भवन पर निर्माण कराया जाना।	(1) पद भरने की कार्रवाई हम कर रहे है। (2) भवन के बारे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि वह काम भी हम जल्दी करेंगे।	(1) **अ.** संचालनालय तकनीकी शिक्षा में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध व्यापम से सहायक ग्रेड-3 की चयन सूची प्राप्त हो गई है। पदों को भरने की कार्रवाई की कार्रवाई प्रचलन में है। **ब.** संचालनालय कौशल विकास ने सीओई के अंतर्गत संचालित व्यवसाय में पदों की पूर्ति हो गई है। स्टेनो हिन्दी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता से प्रशिक्षण कार्य कराया जा रहा है। सहायक ग्रेड-2 के पद की पूर्ति हेतु पदोन्नति की कार्रवाई प्रचलन में है। सहायक ग्रेड-3 के पद पर शीघ्र पूर्ति की जा रही है। सहायक ग्रेड-3 के पद पर सीधी भर्ती पर प्रतिबंध होने के कारण पद नहीं भरा जा सकता। चौकीदार, स्वीपर, वाटर मेन के पदों को शीघ्र भरा जा रहा है। (2) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय राघौगढ़ में मुख्य भवन के प्रथम तल पर अतिरिक्त कमरों के निर्माण कार्य हेतु म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल को रू.384.53 लाख स्वीकृति जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12-18/2014/बयालीस/2, दिनांक 29.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49.	1013	अता.प्र.सं.79 (क्र.947) दि.09.12.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	मुरैना स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधीक्षक द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किये जाने की शीघ्र जाँच करायी जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	कलेक्टर से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जायेगी ।	कलेक्टर, मुरैना से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री पी.के.औरैया, अधीक्षक आईटीआई मुरैना को प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के कारण संचालनालय कौशल विकास के आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा निलंबित किया गया एवं आदेश दिनांक 28.06.2015 द्वारा जांचकर्ता अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर विभागीय जांच संस्थापित की गई । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 12/24/2014/	मामले में विभागीय जांच समय-सीमा में पूर्ण हो । प्रकरण में दोषी दण्डित हो, इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।

दिसम्बर 2014, सत्र
उच्च शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50.	1014	ता.प्र.सं.07 (क्र.861) दि.09.12.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह बन्ना)	मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय में पदस्थ निदेशक केमिकल साइन्स द्वारा आर्थिक अनियमितता एवं गबन की जॉच शीघ्र पूर्ण करायी जाना।	प्रमुख सचिव माननीय कुलाधिपति को पत्र प्रेषित कर दिया है और उनसे जांच का अनुरोध किया है।	राज्यपाल सचिवालय के पत्र क्रमांक 334/रास/यू.ए.-6/2015 दिनांक 24 मार्च 2015 द्वारा कुलपति, म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा कराई गई जांच संबंधी प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । जिसके अनुसार डॉ.प्रवीण जैन, पूर्व निदेशक, म.प्र.भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्ध आर्थिक अनियमितता के संबंध में जांच प्रतिवेदन में शिकायत बिन्दु प्रमाणित पाये गये है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-30-17/2014/38-3, दिनांक 20.04.2015	जांच प्रमाणित पाई गई है । समिति इस मामले में की गई अग्रिम कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी ।
51.	1015	ता.प्र.सं.08 (क्र.250) दि.09.12.2014 (श्री सोहनलाल वाल्मीक)	छिंदवाड़ा जिले के परासिया स्थित शासकीय पंचवेली महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा जनभागीदारी समिति की बैठक में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित न किये जाने पर प्राचार्य के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	आमंत्रित न करने के संबंध में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी तथा की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी आपको कल दे देंगे।	उत्तर अप्राप्त	विभाग द्वारा इस मामले में कोई उत्तर न दिये जाने पर समिति असंतोष व्यक्त करती है तथा अनुशंसा करती है कि शासन द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों/ आदेशों आवश्यक रूप से पालन किया जाए तथा इस आश्वासन के संबंध में कृत कार्रवाई से समिति को एक माह की समयावधि में अवगत कराया जाए ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
52.	1016	ता.प्र.सं.11 (क्र.1134) दि.09.12.2014 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	सीहोर जिले के इछावर नगर में स्थित शासकीय महाविद्यालय में विज्ञान संकाय आरंभ किया जाना।	***<u>मा.अध्यक्ष महोदय के निर्देश</u>*** - *परीक्षण करवा लें आप।* जी हां।	सीहोर जिले के इछावर नगर में स्थित शासकीय महाविद्यालय, इछावर से शासकीय स्नात्तकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय, सीहोर 20 कि.मी., शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर 21 कि.मी., शासकीय महाविद्यालय, आष्टा 43 कि.मी. एवं शासकीय महाविद्यालय, नसरूल्लागंज 50 कि.मी. पर हैं। इछावर से 43 कि.मी. पर आष्टा में 04 अशासकीय महाविद्यालय स्थित है। उक्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय संचालित है। जहां पर विद्यार्थी अध्ययन कर सकते है। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठयक्रमों को सुदृढीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास का प्रयास किये जा रहे है। अत: शासकीय महाविद्यालय इछावर में नवीन विज्ञान संकाय प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-52/2014/38-2, दिनांक 05.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
53.	1017	ता.प्र.सं.12 (क्र.1214) दि.09.12.2014 (श्री सज्जन सिंह उईके)	बैतूल जिले के शॉहपुर नगर में स्थित महाविद्यालय में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय आरंभ किया जाना।	परीक्षण के बाद निर्धारित मापदण्ड में आने पर खोला जायेगा।	बैतूल जिले के शासकीय महाविद्यालय, शाहपुर से शासकीय जे.एच.स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बैतूल एवं शासकीय कन्या महाविद्यालय, बैतूल की दूरी 36 कि.मी.। नेताजी सुभाषचंद्र बोस अशासकीय महाविद्यालय, सारणी 35 कि.मी., इंदिरा गांधी अशासकीय महाविद्यालय, बगडोना 40 कि.मी. एवं सरोजिनी नायडू अशासकीय महाविद्यालय, बगडोना 40 कि.मी. पर स्थित है। उक्त महाविद्यालयों में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय संचालित है, जहां पर विद्यार्थी अध्ययन कर सकते है। वर्तमान में शासन द्वारा पूर्व से संचालित पाठयक्रमों को सुदृढीकरण करने एवं उनके गुणवत्ता विकास का प्रयास किये जा रहे है। अत: शासकीय महाविद्यालय, शाहपुर में नवीन वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय प्रारंभ किये जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 13-59/2014/38-2, दिनांक 05.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
54.	1018	परि.ता.प्र.सं.03 (क्र.30) दि.09.12.2014 (श्री कमलेश्वर पटेल)	सीधी जिले के सिहावल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत देवसर स्थित महाविद्यालय में पदस्थ स्टॉफ के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथोचित कार्रवाई की जावेगी।	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा रीवा संभाग, रीवा से प्राप्त पत्र क्रमांक 2785, दिनांक 03.12.2014 के द्वारा शिकायत की पूर्ण रूप से जांच की गई । शिकायतकर्ता इस महाविद्यालय में नियमित छात्र नहीं है । शिकायतकर्ता ने छद्म नाम से शिकायत की है। श्री आर.पी.पाण्डे, मुख्य लिपिक का मुख्यालय देवसर में है । अत: शिकायत पूर्ण रूप से झूठी है । महाविद्यालय में सभी कर्मचारी उपस्थित रहते है । सेवा पुस्तिकाओं में नियमानुसार प्रविष्टि की जाती है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 13-57/2014/38-2, दिनांक 11.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
55.	1019	परि.ता.प्र.सं.70 (क्र.838) दि.09.12.2014 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश के विश्वविद्यालयों में उपकुल सचिव से सचिव पद पर हुई अवैधानिक पदोन्नतियों की नियमानुसार जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई कराया जाना।	परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।	निवेदन है कि उप कुलसचिव पद पर हुई पदोन्नतियों के संबंध में परीक्षण एवं पुनर्विचार बैठक आयोजित करने के लिये तिथि निर्धारित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र. 1-3/2014/38-3, दि 19.05.2015 द्वारा म.प्र.लोक सेवा आयोग, इंदौर को लिखा गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-30-16/2014/38-3, दिनांक 26.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
56.	1020	अता.प्र.सं.31 (क्र.359) दि.09.12.2014 (श्री महेन्द्र हार्डिया)	(1) प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराधों के नियंत्रण हेतु महाविद्यालयों में साइबर लॉ का प्रशिक्षण दिया जाना । (2) प्रदेश के महाविद्यालयों में साइबर लॉ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना।	(1) परीक्षण किया जायेगा । (2) अलग से पाठ्यक्रम के संबंध में अध्ययन मंडल में विचार किया जायेगा ।	1. प्रशासन अकादमी, भोपाल द्वारा दिनांक 23.04.2015 से दिनांक 25.04.2015 तक सूचना एवं प्रौद्योगिकी साइबर लॉ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है । महाविद्यालय के शिक्षकों को भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जावेगा। 2. कार्यालय आदेश क्र. 394/18-35/ आउशि/ शा-5 'अ' दिनांक 2016-17 से प्रदेश के महाविद्यालयों में साइबर लॉ को पाठ्यक्रम में शामिल किया जावेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 13-49/2014/38-2, दिनांक 23.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र

सामान्य प्रशासन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
57.	1021	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.207) दि.09.12.2014 (श्री गिरीश गौतम)	आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, रीवा में दिनांक 06.12.12 को दर्ज अपराध क्रमांक- 81/12 के आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण की शीघ्र विवेचना की जाकर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर जांच में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निराकरण किया जायेगा।	प्रकरण की विवेचना जारी है। विवेचना पूर्ण होने पर जांच में एकत्रित साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निराकरण किया जावेगा। उक्त प्रवृत्ति के प्रकरणों में समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 18-29/2014/1-10, दिनांक 28.01.2015	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि इस मामले में शीघ्र जांच करने एवं दोषी पाये जाने पर संबंधितों को अवश्य दण्डित किया जाएगा।
58.	1022	अता.प्र.सं.89 (क्र.1057) दि.09.12.2014 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	म.प्र.स्टेट फार्मेसी कौंसिल में पंजीबद्ध अवैध फार्मासिस्टों के प्रकरणों की शीघ्र जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	अन्य अवैध फार्मासिस्टों की जांच विवेचना में है।	फार्मासिस्टों के नवीनीकरण के संबंध में म.प्र.स्टेट फार्मेसी कौंसिल से जानकारी चाही गई है। जानकारी अप्राप्त है। जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जायेगी। प्रकरण वर्तमान में विवेचनाधीन है। विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों/अभिलेखों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 18-31/2014/1-10, दिनांक 17.08.2015	समिति का स्पष्ट मत है कि स्टेट फार्मेसी कौंसिल में अवैध फार्मासिस्टों का पंजीयन फार्मेसी कौंसिल के पदाधिकारियों के संज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, इस प्रकरण में निश्चित रूप से कौंसिल के पदाधिकारी भी दोषी हैं। समिति अनुशंसा करती है कि ऐसे प्रकरणों में लिप्त अवैध फार्मासिस्टों के साथ-साथ सहभागी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत कार्रवाई की जाकर समिति को अद्यतन स्थिति से 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59.	1023	अता.प्र.सं.96 (क्र.1107) दि.09.12.2014 (श्री उमंग सिंघार)	धार जिले में सांसदों/विधायकों के पत्रों का समयसीमा में उत्तर न देकर अनियमितता के दोषी अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई किया जाना।	अनियमितता के लिए जिला विपणन अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है।	जिला विपणन अधिकारी श्री द्विवेदी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। उक्त संबंध में श्री द्विवेदी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उन्होंने मा.विधायक जी को उक्त जानकारी पूर्व में प्रेषित कर दी थी, लेकिन उक्त जानकारी प्रदाय करने की सूचना कलेक्टर, खाद्य शाखा को पत्र क्रमांक 1299, दिनांक 07.07.2014 अनुसार नहीं दी गई। अत: श्री द्विवेदी जिला विपणन अधिकारी को उक्त प्रकरण में भविष्य के लिये सचेत किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 6-27/2014/1/4, दिनांक 07.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र
वाणिज्यिक कर विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.	1024	ता.प्र.सं.04 (क्र.469) दि.09.12.2014 (श्रीमती नीना वर्मा)	(1) धार जिले के थाना पीथमपुर में दिनांक 12.09.2014 को अवैध शराब परिवहन के दर्ज प्रकरण की जांच कराई जाना। (2) वर्तमान में पदस्थ आबकारी विभाग के अधिकारियों को हटाकर भोपाल से किसी वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में जांच कराई जाना।	(1) तथ्यों के प्रकाश में आने पर तदनुसार उचित कार्रवाई की जायेगी, जो तथ्य सामने आयेंगे उनको पूरा चालान के साथ पेश किया जायेगा। (2) ***माननीय अध्यक्ष के निर्देश:***- जिस स्तर के अधिकारी से आप कहेंगी उससे वह जांच करा देंगे।	उत्तर अप्राप्त	समिति का मत है कि मा.मंत्री द्वारा आश्वासन दिये जाने तथा ***उक्त आश्वासन पर मा.अध्यक्ष द्वारा निर्देश*** दिये जाने के बावजूद विभाग द्वारा इस संबंध में प्राथमिक जानकारी तक उपलब्ध न कराना अत्यधिक आपत्तिजनक है एवं ऐसी लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। समिति अनुशंसा करती है कि इस प्रकरण में एक माह की समयावधि में कार्रवाई करने के साथ ही समिति को उत्तर देने में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से समिति को अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
61.	1025	ता.प्र.सं.19 (क्र.147) दि.09.12.2014 (श्री अंचल सोनकर)	(1) जबलपुर नगर में पार्किंग विहीन एवं निर्धारित मापदण्ड के विरूद्ध संचालित शॉप बार (अहाता) की जॉच कराई जाना। (2) धार्मिक स्थलों के समीप नियम विरूद्ध मदिरा दुकानों के संचालन की जॉच करायी जाना।	(1) इसकी जांच करवा लेंगे । माननीय सदस्य नाम बता दें कि कहां-कहां एक तल से अधिक पर चल रहा है, मैं उसकी भी आपके साथ जांच करा लूंगा । (2) उनका परीक्षण करा लेंगे ।	अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उडनदस्ता भोपाल से प्रकरण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच व परीक्षण कराया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 3496/2270/2015/2/पांच, दिनांक 27.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
62.	1026	परि.ता.प्र.सं.38 (क्र.471) दि.09.12.2014 (श्रीमती नीना वर्मा)	झाबुआ जिले में माह अक्टूबर, 2014 में अवैध शराब परिवहन के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई करायी जाना।	फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है तथा प्रकरण में अनुसंधान जारी है ।	**01.** आरोपी 01 अफसर अली, पिता नवाब अली उम्र 30 साल निवासी सागोर जिला धार को दिनांक 06.10.2014, **02.** महेश पिता राधेश्याम जायसवाल उम्र 50 साल ए-3/4 वेद नगर थाना नानाखेड़ा उज्जैन दि 13.12.2014, **03.** अशोक पिता श्री किशनलाल शुक्ला उम्र 50 साल निवासी रामकृष्ण नगर झाबुआ को दिनांक 06.10.2014, **04.** राजेश पिता श्री कालूराव उम्र 29 साल निवासी लेबड़ जिला धार को दिनांक 18.01.2015 को गिरफ्तार किया जाकर विवेचना जारी है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- बी-15-51/2014/2/पांच, दिनांक 09.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र
ऊर्जा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63.	1027	ता.प्र.सं.05 (क्र.169) दि.09.12.2014 (श्री कुँवरजी कोठार)	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जले एवं खराब टांसफार्मरों को शीघ्र बदला जाना।	एप्रोच रोड सही है तो एप्रोच रोड के कारण बदलने की बात कही गई है तो उसको हम दिखवा लेंगे।	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र मे प्रश्न दिनांक तक जले/खराब 104 वितरण ट्रांसफार्मर में से 63 ट्रांसफार्मर समयावधि में एवं 26 ट्रांसफार्मर एप्रोच उपलब्ध होने पर 3-4 दिन के विलंब से बदले जा सके है। इस प्रकार कुल 89 ट्रांसफार्मर नियमानुसार निर्धारित राशि जमा होने पर दिनांक 18.12.2014 तक बदल दिये गये है एवं 07 ट्रांसफार्मर नियमानुसार बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण नहीं बदले जा सके है। वर्तमान में एप्रोच रोड के कारण कोई ट्रांसफार्मर बदलना शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 21.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं
64.	1028	ता.प्र.सं.06 (क्र.945) दि.09.12.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले के रैगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत खराब एवं जले हुये ट्रांसफार्मर बदले जाने में लापरवाही करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाना।	यदि कोई ऐसा गांव है, जिसमें पैसा जमा है और ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है। हम उसकी जांच कराएंगे, उसमें किसी ने लापरवाही की है तो कार्रवाई करेंगे । आज शाम तक उसकी जांच करा लेंगे।	म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लिमिटेड, कंपनी के क्षेत्रान्तर्गत सतना जिले के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा दिनांक 09.12.2014 को जांच कराये जाने पर पाया गया है कि रैगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बकाया राशि जमा के पश्चात् कोई भी फेल/खराब वितरण ट्रांसफार्मर बदलने हेतु शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-367/2014/तेरह, दिनांक 24.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
65.	1029	ता.प्र.सं.13 (क्र.628) दि.09.12.2014 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	शाजापुर जिले के सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में सोलर ऊर्जा कंपनियों द्वारा नियमों का उल्लघंन करते हुये आबादी क्षेत्र से 33 के.व्ही. लाईन निकाले जाने की जॉच की जाना।	माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है उसकी हम जांच करा लेंगे और घनी आबादी में किसी को परेशानी न हो इसकी चिंता करेंगे।	शाजापुर जिले के सुसनेर विधान सभा क्षेत्र में सोलर ऊर्जा कंपनी मेसर्स विण्ड वर्ल्ड इंडिया लिमिटेड द्वारा सुसनेर के वार्ड क्रमांक 13 से होकर 132/22 के.व्ही. उप केन्द्र सुसनेर तक डाली गई नवीन 33 के.व्ही. लाईन का संयुक्त निरीक्षण संबंधित कार्यपालन यंत्री आगर एवं सहायक यंत्री सुसनेर द्वारा दिनांक 18.12.2014 को किया गया एवं पाया गया कि उक्त लाईन के तारों की भूमि से उर्ध्वादर दूरी (ग्राउण्ड क्लियरेंस) एवं विद्यमान घर्रा/इमारतों से क्षतिज दूरी निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 23.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
66.	1030	ता.प्र.सं.16 (क्र.580) दि.09.12.2014 (श्रीमती पारूल साहू केशरी)	सागर जिले के राहतगढ़ विकासखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण विद्युत केन्द्रों में व्याप्त अनियमिताओं की जाँच कराई जाकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	फिर भी आपके जो बिन्दु है, उसका फिर से एक बार हम परीक्षण कराएंगे और यदि उठाए गए बिन्दु पर कहीं कोई लापरवाही सिद्ध हो जाती है तो कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा।	**आश्वासन के पालन में पुन: जांच की गई, पुन: की गई जांच में पाई गई तथ्यात्मक जानकारी निम्नानुसार है:-** वितरण केन्द्र का प्रभारी अधिकारी कनिष्ठ अभियंता स्तर का होता है तथा उसे वेतन आहरण संबंधी अधिकार नहीं होते। वेतन के भुगतान के लिए प्रतिमाह की अंतिम तारीख को उपस्थित पंजी की शीट मूलत: सागर संभागीय कार्यालय को प्रेषित की जाती है। उपस्थिति पंजी का संपूर्ण रिकार्ड संभागीय कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है। इसलिए वितरण की उपस्थिति पंजी में पिछले माह की शीट उपलब्ध नहीं रहती है। अत: निरीक्षण के दौरान पूर्व माहों की उपस्थिति पंजी मा.विधायक महोदया को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। उपस्थिति शीट में वितरण केन्द्र में पदस्थ कर्मचारियों की नाम व पद दर्ज किये जाते है एवं इनकी उपस्थिति/अनुपस्थिति/अवकाश का लेख तिथिवार दर्ज किया जाता है। उपस्थिति पंजी में पूर्व से ही पृष्ठ क्रमांक प्रिंट होते है। राहतगढ़ (शहर) वितरण केन्द्र में तीन कार्यालय सहायक पदस्थ है। 02 की दिनांक 01.11.2014 को ई.आर.पी. (इन्टरप्राईजेस रिसोर्स प्लानिंग) योजना से संबंधित कम्प्यूटर पर आधारभूत बिलिंग, स्थापना एवं कार्य से संबंधित प्रशिक्षण के लिए कार्यालय सागर संभागीय गये हुये थे। दिनांक 01.11.2014 को सुबह 07:30 बजे कनिष्ठ अभियंता राहतगढ़(शहर) उपभोक्ताओं की अगली बिलिंग हेतु माह अक्टूबर 2014 का फाइनल डाटा आर.एम.एस.(रिवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) सागर एवं क्षेत्रीय भण्डार सागर से ट्रांसफार्मर, मीटर इत्यादि सामग्री आहरित करने के लिए इण्डेन्ट लेकर राहतगढ़ से सहायक यंत्री सागर-2 को सागर लेने गये थे। कनिष्ठ अभियंता सागर से राहतगढ़ दोपहर 03:00 बजे वापस पहुंचने के बाद उपस्थिति पंजी में कर्मचारियों की उपस्थिति/अवकाश दर्ज किया गया, जबकि मा.विधायक महोदया द्वारा दोपहर	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					01:00 बजे उपस्थिति पंजी का निरीक्षण किया गया था। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 28.01.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
67.	1031	ता.प्र.सं.17 (क्र.1168) दि.09.12.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	(1) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विद्युत सब-स्टेशनों का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ कराया जाना। (2) कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में अपूर्ण निर्माण कार्यों का भोपाल से किसी अधिकारी को भेजकर भौतिक सत्यापन कराये जाने तथा शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराकर विद्युत प्रवाह सुचारू किया जाना।	(1) कार्य तो तुरन्त शुरू हो जाएगा, परन्तु इसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे कि वह अप्रैल 2015 तक पूरा हो जाए। (2) ठीक है।	(1) 220 के.व्ही. उपकेन्द्र कुक्षी का निर्माण विद्यमान 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कुक्षी का उन्नयन कर किया जा रहा है। उप केन्द्र एवं संबद्ध लाईन का समस्त कार्य मेसर्स बी.एस.लिमिटेड, हैदराबाद को टर्न की आधार पर सौंपा गया है। कार्य को पूर्ण करने की अवधि 30 माह रखी गई है एवं कार्य प्रारंभ करने का दिनांक 01.03.2014 निर्धारित किया गया है। निविदाकार द्वारा संबंधित 220 के.व्ही.जुलवानिया उपकेन्द्र से कुक्षी लाईन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है एवं 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण कार्य हेतु आवश्यक निर्माण संबंधी गतिविधियां भी शुरू की जा चकी है। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु पूर्ण प्रयास किये जा रहे है। कुक्षी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत 33/11 के.व्ही.विद्युत उप केन्द्रों के 15 कार्यो में से 09 कार्य सम्पादित किये जाने थे। उक्त में से 06 कार्य पूर्व में ही सम्पादित किये जाने की जानकारी विधान सभा सचिवालय को प्रेषित की जा चुकी है। शेष 03 कार्यो में से सुसारी एवं रामपुरा 33/11 के.व्ही. विद्युत उप केन्द्रों के कार्य क्रमश: दिनांक 28.11.2014 एवं 18.12.2014 को पूर्ण किये जा चुके है तथा शेष 01 नंबर 33/11के.व्ही. उप केन्द्र नर्मदा नगर में क्षमता वृद्धि का कार्य शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा। निविदा पर आधारित कुल 06 कार्यो में से 04 कार्य फीडर विभक्तिकरण योजना के अंतर्गत मेसर्स सांई सुधीर इन्फ्रा. प्रा.लि. हैदराबाद द्वारा सम्पादित किये जाने थे। उक्त में से केवल एक 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र ढोल्या पर ठेकेदार द्वारा आंशिक कार्य ही पूर्व में किया गया है। वर्तमान में इन उप केन्द्रों के कार्य की स्थिति पूर्ववत् है। कार्य में विलंब के लिये ठेकेदार एजेंसी के बिलों से रू.16.47 लाख की राशि पेनल्टी स्वरूप काटी जा चुकी है तथा उक्त ठेकेदार फर्म को	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					टर्मिनेशन नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार निविदा के माध्यम से एडीबी-03 योजना के अंतर्गत उप केन्द्रों यथा-कढ़वा(गंगापुर) एवं तालपुर के कार्य मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स सांगली (महाराष्ट्र) द्वारा सम्पादित किये जाने थे। वर्तमान में उक्त दोनों कार्यो की स्थिति पूर्ववत् है। अनुबंध अनुसार उक्त कार्य दि.28.05.2016 तक पूर्ण किया जाना है। (2) भौतिक सत्यापन/जांच करने हेतु निर्देश जारी किये गए है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, 05.02.2015 विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण कार्यो के भौतिक सत्यापन सहित निर्माण कार्यो की जांच करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को अधीक्षण अभियंता (महाप्रबंधक) स्तर के अधिकारी को नियुक्त करने हेतु दिनांक 04.02.2015 को निर्देश दिये गये थे। म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा श्री पी.के.सरैया महाप्रबंधक (परियोजना) को जांच/भौतिक सत्यापन हेतु नियुक्त किया गया, जिन्होंने जांच पूर्ण कर दिनांक 03.02.2015 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 04.06.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68.	1032	परि.ता.प्र.सं.108 (क्र.1219) दि.09.12.2014 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के ग्राम मांगरौल में स्वीकृत मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में कराया जाना।	दिनांक 24.12.2014 तक कार्य पूर्ण होना अपेक्षित है।	चंबल मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट (3X600KW) का निर्माण कार्य 24.12.2014 तक पूर्ण किया जाना संभावित था, परन्तु ठेकेदार कंपनी (मेसर्स माधव इन्फ्रा.प्रोजेक्टस लि. बड़ोदरा) द्वारा परियोजना से संबंधित कुछ उपकरणों के नवीनीकरण में हुए अनापेक्षित विलंब के कारण लीज अनुबंध के प्रावधानुसार एक माह की वृद्धि चाही गई है। उक्त परिपेक्ष्य में कार्य अवधि दिनांक 24.01.2015 तक विस्तारित की गई है। कार्य 24.01.2015 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 21.01.2015 विधान सभा सचिवालय के पत्र क्रमांक 6810 दिनांक 23.03.2015 द्वारा वांछित कार्य पूर्णता की अद्यतन जानकारी निम्नानुसार है:- ***उक्त प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण कर दिनांक 13.03.2015 को कमिशनिंग किया जा चुका है।*** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-359/2015/तेरह, दिनांक 19.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
69.	1033	अता.प्र.सं.08 (क्र.72) दि.09.12.2014 (श्री राम सिंह यादव)	(1) प्रदेश की विद्युत कंपनियों में अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रचलित नियमों में राज्य शासन की अनुकंपा नियुक्ति नीति के अनुरूप शीघ्र संशोधन कराया जाना। (2) शिवपुरी जिले में विद्युत कंपनियों के कर्मचारियों के आश्रितों को शीघ्र अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाना।	(1) राज्य शासन के आदेश के परिपालन में विद्युत कंपनियों द्वारा वर्तमान में लागू अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2013 में यथास्थान संशोधन किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। तदुपरांत कंपनी स्तर पर आदेश जारी किये जाने की कार्रवाई की जाएगी। (2) नवीन संशोधन सहित आदेश जारी होने के पश्चात् अनुकंपा नीति के प्रावधान अनुसार नियुक्ति की कार्रवाई की जावेगी।	(1) राज्य शासन के आदेश के परिपालन में विद्युत कंपनियों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नीति 2013 में संशोधन किये जाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। (2) समस्त विद्युत कंपनियों द्वारा संशोधित अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों के अनुरूप नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ करना प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 28.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
70.	1034	अता.प्र.सं.23 (क्र.259) दि.09.12.2014 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण से वंचित शेष ग्रामों को विद्युतीकृत किया जाना।	औपचारिकता पूर्ण होने पर विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जावेगा।	छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है तथापि विद्युतीकृत ग्रामों के 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत क्षेत्रों/मजरों/टोलों के विद्युतीकरण सहित ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में स्वीकृत रा.गा.ग्रा.वि.योजना में शामिल किया गया है। इन सघन विद्युतीकरण के कार्यो को "टर्न-की" आधार पर कराये जाने हेतु कार्य आदेश दिनांक 20.11.2014 को मेसर्स विन्ध्य टेलीलिंक, रीवा को जारी किया गया है । ठेकेदार द्वारा वर्तमान में आवश्यकतानुसार सामग्री की व्यवस्था किये जाने एवं सर्वे का कार्य किया जा रहा है । तदुपरांत विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ किया जाना संभव हो सकेगा । ठेके की शर्तो के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि अनुबंध की तिथि से 24 माह है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 23.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं
71.	1035	अता.प्र.सं.69 (क्र.886) दि.09.12.2014 (श्री हरदीप सिंह डंग)	सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के कयामपुर वितरण केन्द्र पर कृषकों के सिंचाई विद्युत कनेक्शनों के भार में वृद्धि कर विद्युत बिलो की वसूली के प्रकरणों की जॉच करावाई जाना।	उपभोक्ताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा एवं तत्संबंधी जांच रिपोर्ट माह मार्च 2015 तक तैयार करवा ली जायेगी।	सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के कयामपुर वितरण केन्द्र पर कृषकों को सिंचाई विद्युत कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत वर्तमान में 55 उपभोक्ताओं के परिसर का भौतिक सत्यापन किया जा चुका है, शेष उपभोक्ताओं के परिसर के भौतिक सत्यापन का कार्य माह मार्च 2015 तक पूर्ण करवा लिया जायेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-359/2014/तेरह, दिनांक 23.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
72.	1118	ध्यानाकर्षण सूचना क्रं.-31 दि.11.12.2014 (श्री रामनिवास रावत)	1. श्योपुर जिले में फीडर विभक्तिकरण योजना अंतर्गत जले/खराब ट्रांसफार्मर बदले जाना। 2. फीडर विभक्तिकरण के शेष कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराये जाना। 3. ग्राम भूरवाड़ा से गोरस लाईन का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराई जाना।	1.शेष 47 ट्रांसफार्मर 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरांत बदल दिये जायेगे। 2. कार्य अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है। 3. कार्य प्रगति पर है, जिसे मार्च, 2015 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।	(1) शेष 47 ट्रांसफार्मरों से संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा नियमानुसार 50% राशि जमा नहीं करने के कारण स्थिति यथावत् है। (2) वर्तमान स्थिति में 187 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य 433 कि.मी., 11 के.व्ही. लाईन, 278 नम्बर वितरण ट्रांसफार्मर, 254 कि.मी. एल.टी.लाईन तथा 2469 नम्बर उपभोक्ता मीटर लगाकर पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। (3) भूरवाड़ा से गौरस लाईन की लंबाई 16 कि.मी. है। लाईन के सभी पोल खड़े कर दिये गये है। शेष कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-367/2014/तेरह, दिनांक 24.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2014 सत्र

वन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
73.	1037	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-66 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत वन भूमि पर वन अधिकार दावे की पात्रता संबंधी प्रकरणों के निराकरण में विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना है।	वन अधिकार अधिनियम के अनुसार उनको वन अधिकार की पात्रता है अथवा नहीं है उसकी पुन: जॉच करने के लिये कहा गया था इसलिये उसको दी गई थी।	दिनांक 16.09.2014 को जनसुनवाई के अंतर्गत ग्राम जरूआ के व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित 01 आवेदन पत्र वन मण्डलाधिकारी, दमोह को प्राप्त हुआ था । मण्डलाधिकारी द्वारा शिकायत की जांच परिक्षेत्र अधिकारी तेंदूखेड़ा से कराई गई । जांच में शिकायतकर्ता वन भूमि पर वन अधिकारी दावे की पात्रता की सुनवाई में नहीं आने के कारण वन अधिकार की प्राप्ति योग्य नहीं पाये गये, जिसके प्रमाण में परिक्षेत्र अधिकारी तेंदूखेड़ा द्वारा वर्ष 2014, 2011 एवं 2003 के उपलब्ध वैज्ञानिक अभिलेखों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, इसमें अतिक्रमण 2005 के बाद होने के पुष्टि की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-137/2014/10-2, दिनांक 06.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
74.	1098	परि. अता.प्र.सं.55 (क्र.614) दि.11.12.2014 (श्री अरूण भीमावद)	प्रदेश में वन परिक्षेत्र छोड़कर राजस्व क्षेत्र में कटर के उपयोग के प्रतिबंध से सुतार समाज के कारीगरों को छूट प्रदान की जाना ।	प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है।	शासन द्वारा विचारण किया गया । 12 इंच व्यास का चक्राकार आराकटर म.प्र.काष्ठ चिरान(संशोधन) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रतिबंधित है । अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें समय लगने की संभावना है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-74/2014/10-3/1828, दिनांक 31.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
75.	1099	अता.प्र.सं.62 (क्र.934) दि.11.12.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले के जौरा तहसील के ग्राम गलेथा में सियार के हमले के उपरांत रैबीज से मृत व्यक्ति के परिवार को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि का नियमानुसार शीघ्र भुगतान कराया जाना।	बिल प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर, भुगतान की जा सकेगी।	मृतक की पत्नी श्रीमती सुनीता देवी को वन परिक्षेत्र अधिकारी जौरा के पत्र क्रमांक 634, दिनांक 03.11.2014 एवं 747, दिनांक 31.12.2014 द्वारा उपचार के व्यय से संबंधित अभिलेख/बिल प्रस्तुत करने को कहा गया था, किन्तु दिनांक 06.01.2015 तक बिल/प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये । चिकित्सा प्रमाण/बिल प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जा सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22-124/2014/10-2, दिनांक 19.02.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभागीय अधिकारी मृतक की पत्नी से संपर्क कर देयक प्राप्त करेंगे और भुगतान भी संबंधित को अवश्य करेंगे । सिर्फ पत्राचार को समिति पर्याप्त नहीं मानती।
76.	1100	ध्यानाकर्षण सूचना (क्रं.-179) दि.11.12.2014 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिले के पहाड़गढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में भोपाल से वरिष्ठ लेखाधिकारी को भेजकर माननीय विधायक के समक्ष पुनः सत्यापन, एवं सत्यापन कार्रवाई आरंभ होने के पूर्व संबंधित अधिकारी को उक्त प्रभार से मुक्त कर अन्यत्र संलग्न कराया जाकर सत्यापन में दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	इसमें भौतिक सत्यापन करवा सकते है। कोई बड़े एकाउंट ऑफिसर को भोपाल से भेज दूंगा और विधायक जी से संपर्क करेंगे और जो काम कागजों पर लिखे हैं, उनका मौके पर सत्यापन विधायक जी के सामने होगा। यदि सत्यापन नहीं हो पाया और उसमें कोई कमी निकली तो जिन अधिकारियों ने यह गड़बड़ की है, उनके खिलाफ यदि सबूत मिलते हैं, तो मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। उसको अटैच कर देंगे अलग जॉच के समय।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक म.प्र.भोपाल के आदेश क्र. 1211, दि.12.12.2014 से गठित जांच दल द्वारा माननीय विधायक महोदय के समक्ष मौका जांच दिनांक 19.12.2014 को की गई। सत्यापन कार्रवाई आरंभ होने के पूर्व परिक्षेत्र अधिकारी को प्रभार से अलग किया गया। जांच में पाई त्रुटियों के लिये संबंधित उप वनमंडलाधिकारी, परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के विरूद्ध आरोप पत्र जारी कर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-22-140/2014/10-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं
77.	1213	परि. अता.प्र.सं.11 (क्र. 2427) दि. 24.7.2014 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा वन वृत्त में वन अधिनियम 1927 की धारा 5 से धारा 19 तक के वन व्यवस्थापन के प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना.	धारा 5 से 19 तक वन व्यवस्थापन के कार्य में गति लाने की कार्रवाई प्रचलित है.	प्रकरण में कार्रवाई प्रचलित है। यह कार्रवाई न्यायालयीन एवं सतत् प्रक्रिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-56/2014/10-3/1763, दिनांक 24.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
78.	1214	परि. अता.प्र.सं.14 (क्र. 2802) दि. 24.7.2014 (श्री प्रहलाद भारती)	करैरा अभ्यारण्य के क्षेत्रफल के अनुपात में लगभग बराबर की वन भूमि अन्य अभ्यारण्य में जोड़े जाने के संबंध में केन्द्रीय साधिकार समिति की अनुशंसानुसार त्वरित कार्रवाई किया जाना।	प्रस्ताव पर कार्रवाई प्रचलित है.	करैरा अभ्यारण्य के डिनोटिफिकेशन हेतु दिनांक 23.04.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक - रिट पिटीशन(क्रमांक) क्रमांक - 202/1995 की आई.ए. क्रमांक - 3067-3068/2011 प्रस्तुत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा दिनांक 30.09.2011 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह शर्त लगाई गई है कि करैरा अभ्यारण्य के डिनोटिफिकेशन के पूर्व समतुल्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जावे। इसके लिये वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में करैरा अभ्यारण्य के क्षेत्र के बराबर 204.776 वर्ग कि.मी. क्षेत्र, पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त अधिसूचित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, दमोह में अतिरिक्त 204.778 वर्ग कि.मी. क्षे9 अधिसूचित किये जाने के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा लगाई गई शर्त की पूर्ति हो सकेगी। उसके पश्चात् ही करैरा अभ्यारण्य का डिनोटिफिकेशन किया जाना संभव होगा। वर्तमान में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 22/85/2014/10-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
79.	1215	परि. अता.प्र.सं.15 (क्र.2803) दि.24.07.2014 (श्री प्रहलाद भारती)	करैरा वन अभ्यारण्य क्षेत्र में सम्मिलित 32 ग्रामों के कृषकों की निजी भूमि एवं अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय से प्रतिबंध हटाये जाने के परिपेक्ष्य में उनकी भूमि के बराबर या उससे अधिक क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाना।	कार्रवाई प्रचलित है।	करैरा अभ्यारण्य में सम्मिलित ग्रामों के कृषकों की निजी भूमि एवं अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय पर वन संरक्षण अधिनियम - 1972 की धारा -20 के अनुसार प्रतिबंधित है। स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखते हुये करैरा अभ्यारण्य को डिनोटिफिकेशन हेतु दिनांक 23.04.2011 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक - रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक - 202/1995 की आई.ए. क्रमांक 3067-3068/2011 प्रस्तुत की गई। माननीय सर्वोच्च न्यायाल द्वारा गठित केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा दिनांक 30.09.2011 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह शर्त लगाई गई है कि करैरा अभ्यारण्य के डिनोटिफिकेशन के पूर्व समतुल्य क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जावे। इसके लिये वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में करैरा अभ्यारण्य के क्षेत्र के बराबर 204.778 वर्ग कि.मी. क्षेत्र पूर्व में अधिसूचित क्षेत्र के अतिरिक्त, अधिसूचित किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। वीरांगना रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, दमोह में अतिरिक्त 204.778 वर्ग कि.मी. क्षेत्र अधिसूचित किये जाने के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केन्द्रीय साधिकार समिति द्वारा लगाई गई शर्त की पूर्ति हो सकेगी। उसके पश्चात् ही करैरा अभ्यारण्य का डिनोटिफिकेशन किया जाना संभव होगा। वर्तमान में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 22/82/2014/10-2, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
80.	1216	अ.ता.प्र.सं. 93 (क्र. 4869) दि. 24.7.2014 (श्री नारायणसिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिगड़े वनों का सुधार एवं भू-जल संरक्षण कार्य कराया जाना।	बिगड़े वनों का सुधार भू-जल संरक्षण कार्य प्रचलित है.	राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कार्य आयोजना के तहत 423 हेक्ट. क्षेत्र बिगड़े वनों का सुधार, 40 हेक्ट. क्षेत्र में भू-जल संरक्षण के समस्त कार्य निर्धारित लक्ष्य अनुसार वित्तीस वर्ष 2014-15 में पूर्ण कराये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 22-92/2014/10-2, दिनांक 02.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
81.	1038	ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक-19 (डॉ. गोविन्द सिंह)	रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप स्थित स्पेशिएलिटी प्रा. लि. केमिकल उद्योग से क्लोरिन गैस के रिसाव से प्रभावित मजदूरों व्यक्तियों का समुचित इलाज कराया जाना तथा सुरक्षामानकों में हुई चूक की जॉच एवं प्रभावित श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के संबंध में नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाना।	हम उनका नि:शुल्क इलाज करायेगे और मैं आश्वस्त कराना चाहती हूं कि हम अपनी जिम्मेदारी से नही हटेगें, परन्तु यह मामला पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे अंडर में नहीं आता है और श्रम विभाग का भी है और इसी लिये हम दोनों को बिठाकर इन सब चीजों को गंभीरता से देखेंगे।	(1) घटना के दौरान 51 श्रमिक व व्यक्ति गैस से प्रभावित हुए । प्रभावित व्यक्तियों को मंडीदीप स्थित गीतांजली माकन अस्पताल में भर्ती कराया जाकर उनकी चिकित्सा इकाई द्वारा कराई गई । 51 गैस प्रभावित श्रमिकों/व्यक्तियों में से 03 व्यक्तियों को चिकित्सकों की सलाह पर बंसल हॉस्पीटल, भोपाल में स्थानांतरित किया गया, जिन्हें 02 दिन बाद जांच उपरांत दिनांक 01.12.2014 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शेष 48 व्यक्ति जो गीतांजली माकन अस्पताल मंडीदीप में भर्ती थे, उनमें से 31 व्यक्तियों को दिनांक 29.11.2014 को ही रात्रि में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई तथा 17 व्यक्तियों को दिनांक 30.11.2014 को छुट्टी दी गई । गीतांजली माकन अस्पताल मंडीदीप में प्रभावितों के उपचार पर खर्च रू.1,87,670/- एवं भोपाल के बसंल अस्पताल में प्रभावित व्यक्तियों पर हुए खर्च रू.101000/- इस प्रकार प्रभावितों के उपचार पर हुए कुल खर्च रू.2,88670/- का वहन कारखाना प्रबंधन द्वारा किया गया । (2) बोर्ड द्वारा मे.स्पेशलिटि, आर्गेनिक्स प्रा.लि. प्लाट नं.49 बी, सेक्टर इण्डस्ट्रियल एरिया, मंडीदीप, जिला रायसेन के विरूद्ध क्लोरीन गैस के रिसाव के उपचार हेतु कास्टिक टैंक का निर्माण नहीं करने एवं क्लोरीन गैस भंडारण स्थान पर कोई भी सावधानियां न रखने के कारण गैस रिसाव से वायु प्रदूषित होने तथा इससे मजदूरों/व्यक्तियों के प्रभावित होने के कारण	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					वायु अधिनियम की धारा 31 "क" के तहत उद्योग बंद करने के निर्देश जारी किए गए है। (3) उद्योग द्वारा इस आशय का शपथ पत्र बोर्ड में प्रस्तुत किया कि उद्योग में उत्पादित प्रोडक्ट मेटाजोलोन टेक्नीकल के उत्पादन में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है । अतएव उक्त उत्पादन कंपनी बंद करेगी एवं बोर्ड की अनुमति उपरांत ही पुन: उत्पादन प्रारंभ करेगी । इस संबंध में उद्योग का निरीक्षण कार्यालय के वैज्ञानिक द्वारा दिनांक 11.01.2015 को किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा क्लोरीन गैस सिलेण्डरों को हटा लिया गया है। (4) उद्योग द्वारा बोर्ड में क्लोरीन गैस से निर्मित होने वाले रसायनों का उत्पादन बंद करने संबंधी प्रेषित शपथ पत्र एवं निरीक्षण प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग को उत्पादन प्रारंभ करने हेतु पुनरीक्षित निर्देश जारी किए गए। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 12-114/2014/बी-ग्यारह, दिनांक 26.02.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
82.	1094	ता.प्र.सं.11 (क्र.457) दि.11.12.2014 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रजौआ स्थित मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद कंपनी से हो रहे प्रदूषण की जाँच, भोपाल स्तर से कृषि, पशुपालन एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त समिति बनायी जाकर करायी जाना।	माननीय सदस्य के सुझाव पर मैं जरूर विचार करूंगी, मैं खुद विधायक जी से इसके बारे में संपर्क करूंगी।	उत्तर अप्राप्त	विभाग प्रदूषण मामले को गंभीरता से ले और इस मामले में बरती जा रही लापरवाही पर भी कार्रवाई करे । मामले की अद्यतन स्थिति से समिति को 02 माह में अवगत कराया जाए ।
83.	1095	परि.अता.प्र.सं.07 (क्र.48) दि.11.12.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के जावरा एवं पिपलौदा की जिनिंग फैक्ट्री की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से हड़पने की जाँच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई किया जाना।	नियमानुसार जाँच उपरांत स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	प्रकरण में विभाग द्वारा स्पष्ट रूप से उदासीनता बरती गई है । प्रकरण त्वरित कार्रवाई का है । अब तक मामले में कार्रवाई न होना उचित नहीं है। मामले पर शीघ्र कार्रवाई के साथ अब तक कार्रवाई न करने वाले भी दण्डित हो ।
84.	1096	परि.अता.प्र.सं.47 (क्र.473) दि.11.12.2014 (श्रीमती नीना वर्मा)	प्रदेश में पानी के टेंकरों के निर्माण एवं सप्लाई के संबंध में एग्रो एवं सहकारी संघ पर भविष्य में लघु उद्योग के आयटम की सप्लाई पर रोक लगाई जाने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तैयार किया जाना ।	महानिदेशक, प्रशासन अकादमी की अध्यक्षता में राज्य शासन द्वारा गठित भण्डार क्रय नियमों संबंधी समिति के समक्ष विचार करने हेतु मुद्दा रखा जावेगा।	भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत अपनाई जा रही क्रय प्रक्रिया में विसंगति दूर कर एकरूपता लाने हेतु महनिदेशक, प्रशासन अकादमी की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में म.प्र.लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित सामग्री का प्रदाय अन्य शासकीय उपक्रमों द्वारा करने के संबंध में भी चर्चा संपन्न हुई । समिति द्वारा विभिन्न बैठकों में चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत अपना प्रतिवेदन, प्रारूप म.प्र.भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के साथ दिनांक 23.02.2015 को प्रस्तुत किया गया । समिति की अनुशंसा विचाराधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 4-34/2014/अ-ग्यारह, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85.	1097	परि.अता.प्र.सं.81 (क्र.954) दि.11.12.2014 (श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी)	खरगोन जिले की बड़वाह विधान सभा क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजन की भूमि पर हुये अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना।	शेष अतिक्रमण हटाने के संबंध में (अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व बड़वाह) से निरंतर संपर्क किया जा रहा है, अतिक्रमण शीघ्रताशीघ्र हटाया जावेगा।	उत्तर अप्राप्त	समिति अपेक्षा करती है कि औद्योगिक प्रयोजन की भूमि से अतिक्रमण हटाने व संबंधित अतिक्रामकों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुये 01 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए ।
86.	1212	अ.ता.प्र.सं. 85 (क्र. 4787) दि. 24.7.2014 (श्री राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत औद्यौगिक क्षेत्र कुम्हारी में सड़कों के निर्माण एवं विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	कार्य प्रगति पर है.	उत्तर अप्राप्त	समिति अनुशंसा करती है कि औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों का निर्माण तथा विद्युतीकरण का कार्य एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करा लिया जाए ।

दिसम्बर, 2014 सत्र
खनिज साधन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87.	1039	परि.ता.प्र.सं.12 (क्र.152) दि.09.12.2014 (श्री अंचल सोनकर)	जबलपुर जिले में वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के प्रकरणों की शीघ्र जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	वर्तमान मे इस विषय में प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, जबलपुर में प्रक्रियाधीन है एवं प्रकरण के निराकरण उपरांत गुण दोषों के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।	**जिला जबलपुर अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 रेत खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण के दर्ज प्रकरण निराकृत एवं लंबित प्रकरणों के संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-** **<u>वर्ष 2013-14</u>** - अवैध परिवहनों के दर्ज 80 प्रकरणों में से निराकृत 80 प्रकरणों में अर्थदण्ड राशि रू.25,87,780 जमा कराई जा चुकी है । अवैध उत्खनन के दर्ज 06 प्रकरणों में से निराकृत 01 प्रकरण में अर्थदण्ड राशि रू.72,000 जमा कराई जा चुकी है । शेष 05 प्रकरणों में से 03 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रक्रियाधीन एवं 02 प्रकरण मा.कलेक्टर न्यायालय, जबलपुर के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर के समक्ष परिवाद दायर करने के लिए जिला अभियोजन अधिकारी के माध्यम से अभियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अवैध भण्डारण के दर्ज 07 प्रकरण में से निराकृत 01 प्रकरण है । अर्थदण्ड राशि रू.40,000 कराई जा चुकी है तथा शेष 06 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। **<u>वर्ष 2014-15</u>** - अवैध परिवहन के दर्ज 41 प्रकरणों में से निराकृत 41 प्रकरण में अर्थदण्ड राशि रू.12,69,000 जमा कराई जा चुकी है। अवैध उत्खनन के दर्ज 07 प्रकरणों में से निराकृत 03 प्रकरणों में अर्थदण्ड राशि रू.3,08,160 जमा कराई जा चुकी है तथा शेष 04 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय, जबलपुर के समक्ष प्रक्रियाधीन है। अवैध भण्डारण के दर्ज 13 प्रकरणों में से 04 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय, जबलपुर में प्रक्रियाधीन है तथा	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					09 प्रकरणों में मा.कलेक्टर न्यायालय, जबलपुर के आदेशानुसार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर के समक्ष परिवाद दायर करने के लिए जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर के माध्यम से अभियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 371/2015/12, दिनांक 20.01.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
88.	1268	08 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 34 (क्र.1467) (डॉ.गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की गोहद तहसील के ग्राम डांगपहाड़ एवं कीरतपुरा में अवैध उत्खनन/ब्लास्टिंग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तो का उल्लघंन करने तथा अवैध परिवहन के प्रकरणों की शीघ्र जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जांच कार्रवाई प्रचलन में है।	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, जिला भिण्ड द्वारा ग्राम डांगपहाड़ एवं कीरतपुरा में हो रहे अवैध उत्खनन, ब्लास्टिंग, बगैर रायल्टी रसीद के ट्रक पास होने संबंधी प्राप्त शिकायत के संदर्भ में मौके की आकस्मिक जांच की गई एवं पाया गया पत्थर खदानों में सीमाचिन्ह/मुनारे व लीज से संबंधित बोर्ड स्थापित नहीं है तथा आबादी क्षेत्र में ब्लास्टिंग किये जाने के पूर्व इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी जाती है और न ही समय निर्धारित किया गया है और न ही इनके पास ब्लास्टिंग की अनुमति है। उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा स्वयं की मर्जी से बड़े-बड़े क्रेशर लगाने, आबादी से 500 मीटर के अंदर क्रेशर स्थापित करने, बिना अनुमति ब्लास्टिंग करने, आस-पास के इलाकों में सैकड़ों फुट गहरे गडढ़े हो जाने, कभी-कभी ब्लास्टिंग से ग्रामवासियों को चोट पहुंचने आस-पास के मकान क्षतिग्रस्त होने, ब्लास्टिंग से समीप ग्रामवासियों के लिये जानलेवा हो सकने, पर्यावरण प्रदूषण फैलने, प्रदूषण बोर्ड की शर्तो का पालन न करने, बिना रायल्टी वाहन परिवहन किये जाने, ओव्हर लोडेड वाहन परिवहन करने, भिण्ड-ग्वालियर नेशनल हाईवे-92 क्षतिग्रस्त होने, उत्खनिपट्टाधारियों के ओव्हर लोडेड डम्परों से सड़क दुर्घटनायें होने, बचाव के लिये धारा 144 के तहत ओव्हर लोडेड डम्परों का आवागमन प्रतिबंधित किये जाने, क्रेशरधारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई न होने, शासन को लाखो-करोड़ों की आर्थिक क्षति पहुंचने के संबंध में भी लेख किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी, गोहद द्वारा समस्त लीजधारियों को नोटिस भी जारी किये गये, किन्तु किसी भी लीजधारक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया । अत: संचालित पत्थर उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा किये जा रहे	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					विभिन्न पट्टाशर्त उल्लघंन के कारण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), गोहद, जिला भिण्ड द्वारा कलेक्टर, भिण्ड को प्रेषित पत्र दिनांक 05.02.2014 में 14 उत्खनिपट्टे निरसत किये जाने का निवेदन किया गया। कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 06.03.2014 जारी कर ग्राम डांगपहाड़, डांगसरकार, कीरतपुरा एवं झांकरी में स्थित 14 स्वीकृत पत्थर क्रेशर उत्खनिपट्टा तत्काल प्रभाव से बंद की गई। कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 15.04.2014 जारी कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोहद, तहसीलदार गोहद एवं खनि निरीक्षक जिला भिण्ड से उक्त 14 खदान के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला भिण्ड द्वारा कलेक्टर, भिण्ड को प्रेषित पत्र दिनांक 30.04.2014 में लेख किया कि संयुक्त दल द्वारा दिनांक 19.04.2014 को मौके की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि 10 उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा पूर्व में पाई गई कमियों को पूर्ण कर लिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), गोहद, जिला भिण्ड द्वारा कलेक्टर, भिण्ड को प्रेषित पत्र दिनांक 06.05.2014 में लेख किया कि संयुक्त दल द्वारा दिनांक 29.04.2014 को मौके की जांच की गई। जांच के दौरान पाया गया कि 02 अन्य उत्खनिपट्टाधारियों द्वारा भी पूर्व में पाई गई कमियों को पूर्ण कर लिया गया है। कलेक्टर, जिला भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 23.05.2014 जारी कर उपरोक्त 12 खदानों द्वारा उल्लंघन की पूर्ति कराये जाने के कारण समस्त 14 क्रेशर पत्थर खदानों में से 12 क्रेशर पत्थर खदानों को नियमानुसार संचालन करने की अनुमति प्रदान की गई। कलेक्टर, भिण्ड द्वारा आदेश दिनांक 03.07.2014 जारी कर अनुविभागीय	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					अधिकारी(राजस्व) लहार, नायब तहसीलदार भिण्ड, खनि निरीक्षक भिण्ड एवं खनि सर्वेयर भिण्ड का जांच दल गठन किया गया । ग्राम डांग सरकार पहाड़, बिखड़ी, कीरतपुर एवं झांकरी स्थित क्रेशरों, उत्खनिपट्टों व आस-पास के क्षेत्रों पर उत्खनन/अवैध उत्खनन की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लहार द्वारा दिनांक 30.07.2014 को कलेक्टर, भिण्ड को विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । ग्राम डांग सरकार तथा पहाड़ पर चल रहे खनन/क्रेशरों द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1996, भू-राजस्व संहिता, जल (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981, वायु (प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1981, विस्फोटक अधिनियम 1908, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 की विभिन्न धारायें एवं नियम तथा वर्ष 2012 से लागू माननीय उच्चतम न्यायालय की गाईड लाईन का पालन होना नहीं पाया गया । उक्त क्षेत्र में चल रहे व्यापक अवैध उत्खनन को योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुये बंद कराये जाने तथा पूर्व में किये गये अवैध उत्खनन के लिये दोषी लीजधारियों की खदान नियमानुसार निरस्त करते हुये विधिक प्रावधानों के तहत जुर्माना वसूल किये जाने का लेख किया गया । अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) लहार द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा समस्त पट्टेधारियों को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 22.10.2014 को जारी किया गया । शासन के आदेश दिनांक 23.08.2014 के तहत संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म की अध्यक्षता में जांच दल का गठन किया गया है । दल द्वारा प्रश्नाधीन क्षेत्रों का दिनांक 19	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					एवं 20.11.2014 को मौका निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान कोई भी अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण होना नहीं पाया गया । जांच में यह भी पाया गया कि स्वीकृत उत्खनिपट्टों के पट्टाधारियों द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितितायें की गई है, जिसके फलस्वरूप पूर्व से ही अनुविभागीय अधिकारी, लहार के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा पट्टाधारियों को दिनांक 22.10.2014 को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये है । पूर्व से ही अनियमितताओं के विरूद्ध कार्रवाई गतिशील होने के कारण गठित दल द्वारा पृथक से कोई कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई है । खनि निरीक्षक, भिण्ड के पत्र दिनांक 21.01.2015 अनुसार 12 पट्टाधारियों के विरूद्ध कार्रवाई कलेक्टर, समक्ष विचाराधीन है । वर्तमान में उपरोक्त प्रकरणों में कलेक्टर, भिण्ड द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 459-आर226/2015/12, दिनांक 24.01.2015 भिण्ड जिले की गोहद तहसील के ग्राम डांगपहाड़ एवं कीरतपुरा में जांच प्रतिवेदन के अनुसार अवैध उत्खनन एवं परिवहन के प्रकरण दर्ज नहीं किये गये है । कलेक्टर द्वारा 12 प्रकरणों में से दोषी पाये गये 07 उत्खनिपट्टाधारियों की खदानें निरस्त की जा चुकी है तथा शेष 05 प्रकरणों में कार्रवाई न्यायालय कलेक्टर में गतिशील है । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 3955/226/2015/12/1, दिनांक 17.07.2015	

दिसम्बर 2014, सत्र
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89.	1040	ता.प्र.सं.1 (क्र.529) दि.10.12.2014 (श्री प्रदीप अग्रवाल)	दतिया जिले के सेवढ़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत किंतु बंद पड़ी नल जल योजनाओं की भोपाल की उच्च स्तरीय समिति से माननीय सदस्य की उपस्थिति में जॉच करायी जाना।	विभाग की जिम्मेदारी है, माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि अतिशीघ्र चालू कर दी जायेंगी। हम जॉच करालेंगे और चालू कर देंगे।	दतिया जिले के सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र की नलजल योजनाओं के निरीक्षण हेतु प्रमुख अभियंता कार्यालय के अधिकारियों का जांच दल गठित किया गया है । जांच दल के साथ निरीक्षण हेतु मा.विधायक महोदय उपस्थित रहे । जांच प्रतिवेदन विभाग के पत्र क्र. 4246/2133/2015/2/34, दिनांक 02.11.2015 के द्वारा मा.विधायक महोदय को भेजा जा चुका है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-174/2014/2/34, दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
90.	1041	ता.प्र.सं.2 (क्र. 754) दि.10.12.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड श्योपुर के भण्डार सामग्री व लेखे में अनियमितता होने के लिये संबंधित सहायक यंत्री के विरूद्ध जॉच करायी जाना।	अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है तो हम सहायक यंत्री की भी जॉच करा लेंगे।	मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र ग्वालियर के पत्र क्रमांक 668, दिनांक 16.02.2015 द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में सहायक यंत्री को दोषी नहीं पाया गया है, जिससे प्रमुख अभियंता कार्यालय भी सहमत है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3640/4/2015/1/34, दिनां 08.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
91.	1042	ता.प्र.सं.21 (क्र. 645) दि.10.12.2014 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत सतही स्त्रोत कुशलपुरा बांध एवं पहाड़गढ़ बंद उद्वहन सिंचाई योजना आधारित नल-जल योजनाओं को स्वीकृति दी जाना।	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) नाने हेतु मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा कार्रवाई की जा रही है।	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी.पी.आर.) बनाने हेतु निविदाओं के परीक्षण उपरांत दिनांक 16.03.2015 को म.प्र.जल निगम मर्या. द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया गया है। डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-176/2014/2/34, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
92.	1043	परि.ता.प्र.सं.13 (क्र.254) दि.10.12.2014 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्र में मंधान डेम का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ कराया जाना।	डेम निर्माण का कार्य दिसम्बर, 2014 से प्रारंभ करने के प्रयास किये जा रहे है।	कार्यपालन यंत्री परियोजना खण्ड छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 1585, दि.21.12.2011 के द्वारा कार्यादेश जारी किया गया। कार्य हेतु आवश्यक वन भूमि व्यपवर्तन के कारण कार्य अवरूद्ध रहा। दिनांक 19.06.2014 वनभूमि व्यपवर्तन की औपचारिक स्वीकृति उपरांत नवीन चयनित स्थल की उपयुक्तता सुनिश्चित की जा चुकी है। चयनित स्थल अनुसार परिवर्तित ड्राईंग/ डिजाइन का अनुमोदन दिनांक 29.12.14 को मुख्य अभियंता द्वारा होने के पश्चात् बांध नींव खुदाई व अन्य कार्य प्रारंभ किये जा चुके है। वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-169/2005/2/34, दिनांक 07.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
93.	1044	अता.प्र.सं.25 (क्र.257) दि.10.12.2014 (श्री सोहनलाल बाल्मीक)	छिंदवाड़ा जिले के परासिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पेयजल संकटग्रस्त ग्रामों में नल-जल योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाना।	शासन के वर्तमान प्रचलित दिशा निर्देश संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार चिन्हित ग्राम नल-जल योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित किये जावेगे।	शासन के वर्तमान प्रचलित दिशा निर्देशानुसार परासिया विधान सभा क्षेत्र के किसी भी ग्राम में नलजल योजना क्रियान्वयन हेतु मांग वर्तमान में नहीं की गई है, न ही ऐसा कोई प्रकरण लंबित है। नियमानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-190/2014/2/34, दिनांक 01.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
94.	1045	अता.प्र.सं.98 (क्र.1117) दि.10.12.2014 (श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया))	नरसिंहपुर जिले की विभिन्न पंचायतों में बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को पुन: आरंभ कराया जाना।	बंद योजनाओं को पुन: चालू करने हेतु प्रयास किये जा रहे है।	नरसिंहपुर जिले में वर्तमान में 323 नलजल प्रदाय योजनायें संचालित है। माह जनवरी 2015 से वर्तमान तक विभागीय प्रयासों से 59 योजनाओं को चालू कराया गया।वर्तमान में 314 चालू एवं 09 योजनायें बंद है। बंद योजनाओं में से 07 योजनाएं पंचायत द्वारा नहीं चलाने से एवं 02 योजनाएं पाईप लाईन टूट-फूट होने से बंद है। इन योजनाओं को चालू करने के लिये पंचायत द्वारा ही कार्रवाई की जाना है। इसके लिये विभागीय रूप से तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-195/2014/2/34, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
95.	1046	अता.प्र.सं.116 (क्र.1223) दि.10.12.2014 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले के सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बंद हैंड पंपों एवं बंद पड़ी नल-जल योजनाओं को शीघ्र प्रारंभ कराया जाना।	बंद हेण्डपंपों को 7 दिवस में सुधारा जावेंगा, बंद नल जल योजना को चालू कराने हेतु प्रयास किये जा रहे है।	सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनांक को सुधार योग्य बंद 35 हैंडपंपों को सुधार कर चालू कर दिया है । सबलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कुल बंद 10 योजनाओं में स्रोत समाप्त होने से बंद सभी 05 योजनाओं के स्रोत निर्माण कर लिए है । एक खेड़ाकलां योजना को स्थल पर चालू कर दिया गया है । 02 योजनायें नैपरी एवं जाबरौल मोटरपंप के अभाव में बंद है, 02 योजनायें खेड़ा डिगवार एवं राजा का तौर योजनायें ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बंद है । विद्युत विभाग एवं पंचायत से समन्वय कर योजनायें चालू करने का प्रयास किया जा रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-199/2014/2/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
96.	1172	परि.ता.प्र.सं.18 (क्र.2855) दि.23.07.2014 (श्री मेव राजकुमार)	महेश्वर विधान सभा क्षेत्र के शेष 10 ग्रामों के ग्रामवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना.	शेष 10 ग्रामों में पाईप लाईन परीक्षण कार्य प्रगति पर हैं, इन शेष ग्रामों में 31 अगस्त, 2014 तक ग्रामवासियों को पेयजल प्रदाय किया जाना लक्षित है.	शेष 10 ग्रामों में पाईप लाईन परीक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । जिससे 06 ग्रामों में पेयजल प्रदाय किया जा रहा है । 04 ग्रामों में जल प्रदाय की कार्रवाई प्रगतिरत है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 3571/एफ 13-139/2014/2/34, दिनांक 14.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
97.	1173	परि.ता.प्र.सं.34 (क्र. 3425) दि. 23.7.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखंड श्योपुर में रुपये 3 करोड़ की भण्डार सामग्री की क्षति एवं नियमानुसार भंडार लेखा संधारित न करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र जांच की जाकर निष्कर्ष के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना.	जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. जांच परिणाम के आधार पर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	प्रकरण गंभीर है । इससे भी ज्यादा गंभीर बात आश्वासन पर कार्रवाई न होना है । समिति इस मामले को गंभीरता से लेती है । शासन शीघ्र जांच करें । मामले के दोषी दण्डित हो और आश्वासन पर अब तक कार्रवाई न करने वालों की भी जांच कर उन्हें दण्डित किया जाए ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
98.	1174	परि.ता.प्र.सं.73 (क्र. 4317) दि. 23.7.2014 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल उज्जैन द्वारा चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में 14 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये प्रस्तावित परियोजना का क्रियान्वयन कराया जाना.	योजना क्रियान्वयन हेतु निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जा रही है.	उज्जैन जिले के नागदा विकासखण्ड में चंबल नदी के डाउन स्ट्रीम में प्रदूषित 14 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु रू.18.13 करोड़ की स्वीकृत है । मान.मंत्री जी द्वारा 04 अतिरिक्त ग्राम योजना में जोड़ने हेतु निर्देशित किया गया है । अतिरिक्त ग्रामों के जोड़े जाने के कारण योजना की लागत में वृद्धि अवश्य मानी है, जिसके संबंध में मुख्य अभियंता, इंदौर द्वारा जिला प्रशासन एवं ग्रेसिम प्रबंधन की बैठक का आयोजन दिनांक 24.03.2015 को किया गया था, अगली कार्रवाई के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना शेष है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-144/2014/2/34, दिनांक 10.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
99.	1175	अता.प्र.सं.30 (क्र. 3435) दि. 23.7.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	(1) श्योपुर जिले में मुख्यमंत्री पेयजल प्रदाय की 24 पूर्ण योजनाओं का निर्धारित समयावधि में हस्तांतरण कराया जाना. (2) श्योपुर जिले में पेयजल संबंधी बंद पड़ी योजनाओं को शीघ्र आरंभ कराया जाना. (3) 43 पूर्ण योजनाओं में से बंद 9 योजनाओं को शीघ्र आरंभ कराया जाना.	(1) 03 माह में हस्तांतरित कर दी जायेगी. (2) समन्वय कर योजना चालू कराने हेतु प्रयासरत है. (3) विभाग द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी.	(1) 24 पूर्ण योजनाओं को ग्राम पंचायत को हस्तांतरित कर दिया गया है । (2) बंद पड़ी योजनाओं को विभाग द्वारा एवं ग्राम पंचायत के समन्वय से चालू कर दिया गया है । (3) बंद योजनाओं में से 07 योजनाएं चालू करा दी गई, शेष 02 योजनाएं पंचायत से समन्वय कर चालू करने की कार्रवाई की जा रही है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-148/2014/2/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
100.	1176	अता.प्र.सं.58 (क्र. 4282) दि. 23.7.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले में विभाग की खराब सामग्री शीघ्र नीलाम करायी जाना.	खराब सामग्री नीलाम किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड के केन्द्रीय भण्डार गृह मुरैना में उपलब्ध अनुपयोगी सामग्री की नीलामी माह नवम्बर 2014 में की जा चुकी है । नीलामी में उच्च बोली दाता से प्राप्त राशि रू.4.55 लाख चालान के माध्यम से बैंक में जमा की जा चुकी है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 13-153/2014/2/34, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2014 सत्र

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
101.	1047	ता.प्र.सं.9 (क्र. 837) दि.10.12.2014 (श्री बाला बच्चन)	बड़वानी जिले में विभिन्न योजनाओं की कृषकों को दी जाने वाली अनुदान राशि उनके खातों में जमा न कर अन्य खातों में जमा किये जाने की तत्काल जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	माननीय सदस्य ने बड़वानी जिले की बात कही है उसकी मैं जॉच भी करांऊगा।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासनों के उत्तर के मामले में विभागीय उदासीनता गंभीर है। विभाग के 10 मामलों में से 09 मामलों की जानकारी न आना, वह भी विभागीय अधिकारियों की मौखिक साक्ष्य में मिले आश्वासन के बावजूद, चिन्तनीय बात है और स्पष्टत: विभागीय उच्चाधिकारियों की उदासीनता दर्शाता है। इसमें दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति भी दर्शित होती है। समिति मामलों को गंभीरता से लेती है और सर्वप्रथम उन अधिकारियों/ कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा करती है, जिन्होंने जानकारी समय पर भेजने की कार्रवाई नहीं की। संसदीय कार्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग इसमें उचित कार्रवाई करे। समिति यह भी अनुशंसा करती है कि सभी लंबित मामलों में आश्वासन अनुरूप कार्रवाई एक माह में की जाकर तदाशय की जानकारी समिति को दी जाएगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
102.	1048	ता.प्र.सं.12 (क्र.484) दि.10.12.2014 (श्री ठाकुर दास नागवंशी)	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत कृषकों से प्रीमियम की राशि काटे जाने के बावजूद उन्हें बीमा राशि का भुगतान न होने संबंधी प्रकरणों का परीक्षण कराया जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करायी जाना।	हमने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया कि पुन: परीक्षण करा लें।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार
103.	1049	परि.ता.प्र.सं.5 (क्र. 89) दि.10.12.2014 (श्री संजय पाठक)	(1) कटनी जिले में पदस्थ उप संचालक के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की शीघ्र जॉच करायी जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना। (2) उक्त संचालक को कटनी जिले से अन्यत्र स्थानांतरित कर जाच करायी जाना है.	(1) नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी। (2) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार
104.	1050	परि.ता.प्र.सं.90 (क्र. 1197) दि.10.12.2014 (श्री बहादुर सिंह चौहान)	नवलखा सीड्स कंपनी महिदपुर, जिला उज्जैन के विरूद्ध करायी गई जॉच के प्रतिवेदन का शीघ्र परीक्षण कराकर नियमानुसार कार्रवाई कराया जाना।	गठित जॉच दल से जॉच प्रतिवेदन दिनांक 27.11.2014 को ही प्राप्त हुआ है। परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी। जॉच प्रतिवेदन का परीक्षण उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।	विभाग के पत्र क्र.बी-15-3/2013/14-2, दिनांक 13.01.2015 के द्वारा कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट जिला उज्जैन को प्रकरण के संबंध में विभिन्न धाराओं के अंतर्गत परीक्षण उपरांत अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कराने के निर्देश दिये गये थे । थाना महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा अपराध क्र. 35/15 में धारा 420 भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधि. के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2976/2015/14-1, दिनांक 10.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
105.	1051	अता.प्र.सं.58 (क्र.758) दि.10.12.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत श्योपुर जिले के कृषकों को अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	देयक प्राप्त होते ही अनुदान भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
106.	1052	परि.ता.प्र.सं.21 (क्र.308) दि.10.12.2014 (श्री संजय पाठक)	कटनी जिले के विभिन्न विकासखण्डों में वर्मी कम्पोस्ट खाद के वितरण में हुई अनियमितताओं एवं हेराफेरी की जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाना।	(1) जॉच के लिये उप संचालक कृषि कटनी को संयुक्त संचालक कार्यालय के पत्र क्रमांक तक 1/आदान/2014-15/ई-1572 जबलपुर दिनांक 01/05/2014 के द्वारा अन्य विकासखण्डों की जॉच कराने हेतु आदेश दिये गये थे. (2) जॉच प्रतिवेदन के परीक्षणोंपरांत गुण- दोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार
107.	1053	परि.ता.प्र.सं.47 (क्र.684) दि.10.12.2014 (कुंवर विक्रम सिंह)	मेसर्स शारदा दाल मिल कटनी द्वारा मंडी शुल्क के अपवंचन संबंधी प्रकरण की जॉच में पूर्ण सावधानी न बरतने वाले जॉच अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जॉच में पूर्ण सावधानी नहीं बरतने के लिए जॉचकर्ता अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार
108.	1054	परि.ता.प्र.सं.50 (क्र.693) दि.10.12.2014 (श्रीमती इमरती देवी)	दतिया जिले में पदस्थ उप संचालक कृषि द्वारा नियम विरूद्ध किये गये भुगतानों की जॉच करायी जाना।	उप संचालक कृषि के विरूद्ध आयुक्त, ग्वालियर द्वारा दिनांक 2.9.14 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार
109.	1177	परि.ता.प्र.सं. 44 (क्र. 3898) दि. 23.7.2014 (श्री आर.डी. प्रजापति)	उप संचालक कृषि, जिला छतरपुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि योजना में बीजोपचार पर लक्ष्य से अधिक व्यय किये जाने के संबंध में जांच करायी जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना.	उन्हें कारण बताओ सूचना जारी की गई है.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1047 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
110.	1178	अता.प्र.सं.97 (क्र. 4638) दि. 23.7.2014 (श्रीमती शीला त्यागी)	राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 9 के नियम (5) (ख) के प्रावधान का उल्लंघन करने वाले कृषि उपज मंडी समिति अनूपपुर में पदस्थ सहायक निरीक्षक के विरूद्ध शीघ्र जांच करायी जाकर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना.	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी.	02 शिकायती प्रकरणों में से 01 शिकायती प्रकरण की जांच उप संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय रीवा से करायी गई । परीक्षण उपरांत श्री सुधीर शुक्ला, स.उ.नि. मण्डी समिति अनूपपुर की संतान संख्या के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 05.07.2000 के अनुसार श्री शुक्ला दोषी नहीं पाये जाने से शिकायती प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया तथा अन्य 01 शिकायतकर्ता श्री सुरेश कुरमेश्वर पूर्व अध्यक्ष मण्डी समिति अनूपपुर के शिकायती प्रकरण की जांच एवं उप संचालक आंचलिक कार्यालय रीवा से कराई गई । जांच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत शिकायती बिन्दु प्रमाणित नहीं पाये जाने से शिकायत नस्तीबद्ध की गई । दोनों निराधार शिकायतों की जांच में प्रमाणित नहीं पाई गई । अत: कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2009/1661/2015/14-3, दिनांक 07.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर, 2014 सत्र

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
111.	1055	परि.ता.प्र.सं.8 (क्र.136) दि.10.12.2014 (श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव)	गाँधी सागर जलाशय क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन में हुई अनियमितताओं की जाँच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	जी हाँ। जी हाँ।	विभागीय जांच कार्रवाई प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक:-** एफ 18-30/2014/छत्तीस, दिनांक 10.02.2015	प्रकरण में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 04 अप्रैल 2015 के माध्यम से 03 माह में जांच पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की अद्यतन जानकारी चाही गई थी जो कि समिति को विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। समिति का स्पष्ट मत है कि प्रदेश के बड़े बांधो में मत्स्य बीज संचयन एवं मत्स्य पालन में हो रही लापरवाही तथा आर्थिक अनियमितताओं के प्रकरणों में कठोर कार्रवाई किया जाना नितान्त ही आवश्यक है। इससे एक ओर तो विभाग को हो रही आर्थिक क्षति पर रोक लगेगी वही दूसरी ओर मत्स्य पालकों के हितों का संरक्षण भी हो सकेगा। समिति अपेक्षा करती है कि इस प्रकरण में दोषियों के विरूद्ध त्वरित विधिसम्मत् कार्रवाई हो। तदाशय की जानकारी से समिति को भी अवगत कराया जाए।
112.	1056	अता.प्र.सं.29 (क्र.290) दि.10.12.2014 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर के नगर परिषद क्षेत्र में मत्स्य बाजार/ मत्स्य विक्रय शेड का शीघ्र निर्माण कराया जाना।	नगरपालिका परिषद अनूपपुर द्वारा मत्स्य बाजार/मत्स्य विक्रय शेड का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है।	नगर पालिका परिषद अनूपपुर द्वारा मत्स्य बाजार/ मत्स्य विक्रय शेड हेतु भूमि का चयन हो चुका है। निर्माण कार्रवाई प्रचलन में है। आगामी माह में पूर्ण कर लिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्र:-** एफ 18-31/2014/छत्तीस, दिनांक 10.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
113.	1057	अता.प्र.सं.44 (क्र.503) दि.10.12.2014 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले में मछुआरों के सर्वांगीण विकास हेतु मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जाना।	वंशानुगत मछुआ जाति के सर्वांगीण विकास हेतु मछुआ कल्याण बोर्ड गठित है उनकी अनुशंसायें प्राप्त होने पर विचारोपरांत निर्णय लिया जाकर कार्रवाई की जावेगी।	मछुआ कल्याण बोर्ड से अद्यतन स्थिति में कोई अनुशंसाएं प्राप्त नहीं हुई है । मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जाने की कार्रवाई सतत् है। वर्ष 2014-15 में बालाघाट जिले में मछुआ क्रेडिट कार्ड के निर्धारित 471 लक्ष्य के विपक्ष में 250 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाए गए है । वित्तीय वर्ष में लक्ष्य पूर्ण कर लिये जाएगें। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 18-34/2014/36, दिनांक 19.03.2015 **अद्यतन जानकारी** - वर्ष 2014-15 में बालाघाट जिले में मछुआ क्रेडिट कार्ड के निर्धारित 471 लक्ष्य के विपक्ष में 475 मछुआ क्रेडिट कार्ड बनाये जाकर लक्ष्य पूर्ति कर ली गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-34/2014/छत्तीस, दिनांक 07.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं
114.	1180	अता.प्र.सं.82 (क्र. 4557) दि. 23.7.2014 (श्री राजेश धर्मवीर सिंह यादव)	(1) मंदसौर जिले के गरोठ विधानसभा क्षेत्र में मत्स्य बीज संचय में हुई अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र जांच की जाकर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना. (2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य बीज क्रय की प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई किया जाना.	(1) विभागीय जांच संस्थित कार्रवाई प्रचलन में. कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये हैं. (2) दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलन में है.	(1) विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलन में है। (2) विभागीय जांच का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18-20/2014/छत्तीस, दिनांक 20.03.2015	समिति जांच के परिणामों से भी अवगत होना चाहेगी ।

दिसम्बर, 2014 सत्र

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
115.	1060	परि.ता.प्र.सं.30 (क्र.413) दि.10.12.2014 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले में माईक्रोएरीगेशन योजनान्तर्गत अपात्रों को सामग्री का प्रदाय किये जाने एवं दोषी फर्म को भुगतान किये जाने संबंधी प्रकरण की शीघ्र जॉच करायी जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करायी जाना।	फर्म को किए गए भुगतान की जॉच करने और फर्म के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने के लिए जिम्मेदारी नियत कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाही करने के निर्देश आयुक्त, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को दिये गये है। सत्यापन करने वाले अधिकारी श्री ध्रुव कुमार निगम एवं श्री चन्द्र राजपूत, तत्कालीन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के विरूद्ध दिनांक 20.11.2013 को विभागीय जॉच संस्थित की गई है।	उत्तर अप्राप्त	समिति को खेद है कि विभागीय जांच से महत्वपूर्ण विषय पर विभाग द्वारा न तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों का पालन किया गया न ही संबंधितों दोषियों के विरूद्ध की गई किसी भी प्रकार की कार्रवाई से समिति को 01 वर्ष के भीतर अवगत कराया गया । समिति अनुशंसा करती है कि प्रकरण के दोषियों के साथ-साथ इस मामले में लापरवाही/विलंब करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध भी कार्रवाई की जाए एवं 02 माह की समयावधि में समिति को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए ।

दिसम्बर 2014, सत्र
राजस्व विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
116.	1061	ता.प्र.सं.4 (क्र.989) दि.10.12.2014 (श्री नाना भाउ मोहोड़)	छिंदवाड़ा जिले के पाण्ढुर्ना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में रिक्त पदों की पूर्ति करायी जाना।	शीघ्र पदों की पूर्ति कर देंगे। प्रदेश में भी ऐसी कोई शिकायत आयेगी तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पदों की पूर्ति हो जाये।	अनुविभागीय अधिकारी पाण्ढुर्ना कार्यालय की स्वीकृति शासन के पत्र क्रमांक एफ-1-83/92/सात/बन्दो, दिनांक 07.09.94 से स्वीकृति प्रदान की गई, जिन पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-1/आश्वासन/स्था/2015/6943, दिनांक 23.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
117.	1062	ता.प्र.सं.6 (क्र.926) दि.10.12.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना जिले के सुमावली विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खासखेड़ा, मैथाना, लीलाधर का पुरा एवं बाबरखेड़ा में शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गई शिकायती पत्रों की जॉच करायी जाना है।	अगर कमी रह रही है तो आप मुझको लिखकर दे दें हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जो 2 पत्र माननीय विधायक जी ने बतायें है हम उसका परीक्षण करा लेंगे।	कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 18.06.2015 में लेख किया गया है कि माननीय विधायक जी के 02 पत्रों पर म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत कार्रवाई कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/प्रराआ/ 2015/5197, दिनांक 11.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
118.	1063	ता.प्र.सं.7 (क्र.45) दि.10.12.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	अशोकनगर शहर तथा इसी जिले के अथाईखेड़ा, पिपरई व अन्य स्थानों पर शासकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटा कर अतिक्रामकों के विरूद्ध नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई की जाना।	शासन ने वह जमीन ले ली है और उस पर हम तुरंत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करा रहे हैं। हम अधिकारी को कहेंगे की शीघ्र इसका निराकरण करें। मैं भी इस पर निर्देश करूंगा, शीघ्र कार्रवाई हम लोग करेंगे।	कलेक्टर, अशोकनगर ने पत्र दिनांक 26.06.2015 से अवगत कराया है कि अशोकनगर शहर की भूमि के संबंध में वर्तमान में जिला जज महोदय, अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 78ए 14 अपील दीवानी आदेश दिनांक 12.02.2015 से यथास्थिति का स्थगन आदेश जारी किया गया है एवं इस भूमि का प्रकरण क्रमांक 9 अपील/14-15 अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के यहां प्रचलित है, जिससे आगामी कार्रवाई न्यायालय के आदेश के उपरांत किया जाना संभव होगा । ग्राम पिपरई में सम्मिलित शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु प्रकरण प्रचलित है । माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर के प्र.क्र.4155/2014/ आ.दि.16.12.2014 द्वारा स्थगन आदेश दिया गया इसलिये कार्रवाई स्थगित है । ग्राम अथाईखेड़ा स्थित शासकीय भूमि के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है प्रकरण में अतिक्रमकों के जवाब हेतु दिनांक 30.06.2015 नियत है। विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7-/सा.वि./प्र.रा.आ./2015/ 5841, दिनांक 30.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119.	1064	ता.प्र.सं.8 (क्र.607) दि.10.12.2014 (श्री संजय उइके)	बालाघाट जिले में अनुसूचित जनजाति अधिसूचित क्षेत्र के आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को नियम विरूद्ध एवं प्रतिबंध के बावजूद भी बेचे जाने की अनुमति प्रदान किये गये प्रकरणों की जॉच करायी जाकर उनकी जमीन वापस दिलाई जाना.	नये नियमों के तहत कोई गड़बड़ी हुई है तो माननीय विधायक जी लिखकर दें तो उसमें हम जॉच करायेंगे।	उत्तर अप्राप्त	विचाराधीन सत्र में विभाग के 34 आश्वासनों में से 15 आश्वासनों की जानकारी एक वर्ष की समयावधि बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुई है। यह निश्चित ही गंभीर बात है । आश्वासन क्रमांक 1065 पटवारियों की संपत्ति की जांच एक माह में कराने संबंधी था। इसी प्रकार आश्वासन क्रमांक 1166 में राजस्व ग्राम घोषित होने की कार्रवाई सितम्बर माह तक होनी थी । अर्थात् विशिष्ट समयावधि मामलों में भी विभाग ने यथासमय कार्रवाई नहीं की । यह निश्चित ही विभागीय अधिकारियों की चूक है । संभव है कि आश्वासनों की पंजी नियमानुसार मा.मंत्री जी के अवलोकनार्थ भी न गई हो । अतिक्रमण, नामान्तरण, आदिवासियों की जमीन की बिक्री के महत्वपूर्ण मामलों पर कार्रवाई न होना, समिति गंभीर मानती है । समिति संसदीय कार्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से अपेक्षा करती है कि इन मामलों में लापरवाही बरतने वालों की जांच करके उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की पहल करें और संबंधित विभाग से अपेक्षा करती है कि आश्वासन अनुरूप सभी लंबित मामलों पर अधिकतम एक माह में कार्रवाई करके समिति को अवगत कराया जाए । मा.मंत्री भी मामलों की समीक्षा करें, यह भी समिति की अपेक्षा है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
120.	1065	ता.प्र.सं.10 (क्र.743) दि.10.12.2014 (श्रीमती उषा चौधरी)	सतना जिले की रघुराज नगर तहसील में पदस्थ पटवारियों की अनुपातहीन संपत्तियों की जॉच करायी जाना है।	पटवारियों की जो संपत्ति की जॉच. वह हम एक महिने में करा देंगे।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.
121.	1066	ता.प्र.सं.11 (क्र.4) दि.10.12.2014 (श्री हर्ष यादव)	रीवा जिले की तहसील सिमरिया के ग्राम कोलौरा की भूमि क्रमांक-6/1 क एवं 10/3 पर हुये अतिक्रमण की शीघ्र जॉच करायी जाकर प्रकरण का निराकरण किया जाना।	इसको जल्दी निराकरण के निर्देश देंगे और पेशी 9.12.14 को नियत की गई थी, इसका तुरंत निराकरण किया जायेगा।	कलेक्टर, जिला रीवा द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 88/रा.मो./दिनांक 22.06.2015 में लेख किया गया है कि रीवा जिले के तहसील सेमरिया के ग्राम कोलौरा के भूमि क्रमांक 6/1 क एवं 10/3 क्रमश: रकबा 0.10 ए एवं 0.31 ऐ के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के न्यायालय में प्र.क्र. 9-अ-70/अपील/2013-14 नियत था जिसमें न्यायालय द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आराजी न.10/3 रकबा 0.31 जो उदयभान शुक्ला के नाम है पर उनके भाई यज्ञनारायण का कब्जा मानते हुए विधि सम्मत तरीके से कब्जा हटाने के आदेश के परिपालन में तहसीलदार सेमरिया द्वारा यज्ञनारायण को कब्जा छोड़ने की नोटिस दी गई तदुपरान्त यज्ञनारायण द्वारा उक्त भूमि से कब्जा दिनांक 21.06.2015 को उदयभान को दे दिया है। अब अन्य कोई कार्रवाई शेष नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वा./प्रराआ/ 2015/5025, दिनांक 03.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
122.	1067	ता.प्र.सं.19 (क्र.1042) दि.10.12.2014 (श्री आर.डी. प्रजापति)	छतरपुर जिले की राजनगर तहसील में एन.टी.पी.सी. के प्रस्तावित प्लांट हेतु नियम विरूद्ध आवंटित की गई भूमि संबंधी प्रकरण की तत्काल जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करायी जाना।	नियमों के अधीन रहते हुये कलेक्टर द्वारा प्रश्नांकित मद की भूमियों को व्यपवर्तित करते हुये दो प्रतिशत चरनोई का रकवा सुरक्षित रखते हुये आवंटन किया जा सकता है।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.
123.	1068	ता.प्र.सं.20 (क्र.1007) दि.10.12.2014 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले की पाटन एवं मझौली तहसीलों में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना।	पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति करने हेतु प्रक्रिया जारी है।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
124.	1069	ता.प्र.सं.23 (क्र.122) दि.10.12.2014 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले की तहसील पोहरी एवं बैराढ में निजी भूमि को शासकीय भूमि दर्शायी जाने संबंधी प्रकरण की शीघ्र जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	1. शेष ग्राम बछौरा, तिमाउनी व गणेशखेड़ा में जॉच की कार्रवाई प्रचलित है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण किया जायेगा। 2. शेष ग्रामों के खसरा नंबरों को शासकीय से निजी स्वामित्व में अंकित करने हेतु गहन जांच कार्य जारी है। 3. प्रकरण में जॉच हेतु समिति गठित की गई है, समिति की जॉच रिर्पोट प्राप्त होते ही कार्रवाई की जावेगी।	(1) शेष ग्राम बछौरा, तिमाउनी व गणेशखेड़ा में जांच उपरांत कुल 144 सर्वे नंबरों की निजी भूमि जो शासकीय दर्ज हो गई थी, उसे दुरूस्त किया जा चुका है। अब कोई सुधार कार्य शेष नहीं है। (2) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र.ग्वालियर के पत्र क्र. 219/9-कम्प्यूटर/ 2014, दिनांक 27.05.2014 के अनुसार सभी ग्रामों में सुधार किया जा चुका है, उक्त ग्रामों में अब कोई त्रुटि सुधार हेतु शेष नहीं है। (3) प्रकरण में जांच हेतु गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें लेख किया गया है कि पुराने भू-अभिलेख डाटा को संभवत: रिस्टोर करने के कारण यह त्रुटि उत्पन्न हुई थी, जिसमें तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया है कि समस्त त्रुटि सुधार किए जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-111/2014/सात/6, दिनांक 14.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
125.	1070	परि.ता.प्र.सं.42 (क्र.593) दि.10.12.2014 (श्रीमती प्रमिला सिंह)	शहडोल जिले की गोहपारू तहसील में अनुसूचित जनजातियों की भूमि का नियम विरूद्ध क्रय-विक्रय किये जाने की जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	तहसीलदार गोहपारू द्वारा की जा रही जॉच में दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध निमयानुसार कार्रवाई संभव हो सकेंगी। जी हॉ। जॉच करायी जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.
126.	1071	परि.ता.प्र.सं.67 (क्र.970) दि.10.12.2014 (श्रीमती शकुन्तला खटीक)	मुरैना जिले की जौरा तहसील के ग्राम खाण्डौली के शासकीय भूमि के नियम विरूद्ध व्यवस्थापन के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई किया जाना।	जी हॉ। संबंधित तत्कालीन पटवारी को निलंबित कर, विभागीय जॉच संस्थित की गई है। तत्कालीन नायब तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जॉच प्रस्तावित की गई है।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
127.	1072	परि.ता.प्र.सं.75 (क्र.1052) दि.10.12.2014 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना जिले में आदिवासियों की भूमि पर के.जे.एस.सीमेंट कंपनी द्वारा विधि विरूद्ध अवैध कब्जा किये जाने संबंधी प्रकरण की तत्काल जॉच करायी जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	1. जॉच करायी जा रही है। 2. प्रकरण में जॉच पूरी होने के बाद जॉच निष्कर्ष में दोषी पाये गये संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेंगी।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.
128.	1073	परि.ता.प्र.सं.76 (क्र.1089) दि.10.12.2014 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर जिले में डीनोटिफाईड की गई भूमियों के अभिलेख को राजस्व अभिलेख में शीघ्र संशोधित कराया जाना।	1. अभिलेख संशोधन करने की कार्रवाई की जा रही है। 2. वर्तमान में कार्रवाई प्रचलित है।	भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34(अ) के तहत प्रकाशित अधिसूचनाओं के अनुसार डीनोटीफाइड भूमियों का राजस्व अभिलेखों में संशोधन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/प्ररा‍आ/ 2015/5580, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
129.	1074	परि.ता.प्र.सं.77 (क्र.1090) दि.10.12.2014 (श्रीमती रेखा यादव)	सागर संभाग के टीकमगढ़ जिले में नामांतरण स्वीकृत होने के बावजूद खसरा पंजी में संशोधित प्रविष्टि दर्ज न करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाकर यथावश्यक संशोधन किया जाना।	अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.9.14 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्रवाई प्रचलित है।	जांच में पाया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2014 को पुनर्विलोकन में लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 115/अपील/13-14 दर्ज किया गया, जसिमें पारित आदेश दिनांक 01.04.2015 को अनुविभागीय अधिकारी, टीकमगढ़ द्वारा आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि खसरा नम्बर 2711/1 जुज रकबा 0.243 हेक्टयर का पट्टा दिया गया था उसके विक्रय की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गई थी जो म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 का उल्लंघन होने से तथा अपीलार्थी बृजकुंवर द्वारा प्रकाश तनय राजधर से भूमि क्रय की है, प्रकाश के द्वारा मात्र 0.202 हेक्टेयर भूमि का विक्रय किया गया । विक्रेता द्वारा जानबूझकर राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे से अधिक की बिक्री की है, इस कारण नामांतरण नहीं किया जा सकता है। फलत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सा.वि./प्र.रा.आ./2015/6700, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
130.	1075	परि.ता.प्र.सं.78 (क्र.1112) दि.10.12.2014 (श्री जालम सिंह पटेल)	नरसिंहपुर जिले में सीमाकंन, बंटवारा एवं नामांतरण के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	शेष प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत विधिवत प्रचलन में होने के कारण लंबित है। जो शासन द्वारा तय समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जावेगा।	नरसिंहपुर जिले में लंबित सीमांकन, नामान्तरण, बंटवारा प्रकरण निराकृत किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-116/2014/सात/6, दिनांक 19.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं
131.	1076	परि.ता.प्र.सं.80 (क्र.1129) दि.10.12.2014 (श्री लखन पटेल)	दमोह जिले की दमोह, पथरिया एवं बटियागढ़ तहसीलों में भूमि सुधार के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	लंबित प्रकरणों की जॉच राजस्व निरीक्षक, पटवारी की टीम गठित कर स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मंगाया गया है। जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रकरणों का निराकरण कर दिया जायेगा।	जिले की दमोह पथरिया एवं बटियागढ़ तहसील में भू-सुधार(धारा-89) अंतर्गत कुल 174 प्रकरण लंबित थे, जिनका निराकरण कर लिया गया है। वर्तमान में जिले में भूमि सुधार अंतर्गत कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-117/2014/सात/6, दिनांक 15.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
132.	1077	अता.प्र.सं.11 (क्र.70) दि.10.12.2014 (श्री राम सिंह यादव)	शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील में विक्रय से वर्जित शासकीय भूमि के नियम विरूद्ध नामांतरण की जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	विक्रय से वर्जित भूमि किस प्रकार अंतरित हुई इसकी जॉच की कार्रवाई की जा रही है।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.
133.	1078	अता.प्र.सं.17 (क्र.180) दि.10.12.2014 (श्री कुंवर जी कोठार)	राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि का शीघ्र वितरण कराया जाना।	परीक्षणोपरांत नियमानुसार राहत राशि का आवंटन किया जा सकेगा।	राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत राशि रू.3,06,566/- का वितरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-135/2014/सात/शाखा-3, दिनांक 11.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
134.	1079	अता.प्र.सं.30 (क्र.293) दि.10.12.2014 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले में मोजर वियर पावर प्रोजेक्ट के लिये अधिग्रहित भूमि के शेष 109 कृषक परिवारों/खातेदारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना।	शेष 109 खातेदारों को कंपनी में रोजगार दिया जाना प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
135.	1080	अता.प्र.सं.42 (क्र.486) दि.10.12.2014 (श्री ठाकुरदास नागवंशी)	होशंगाबाद जिले में आवासीय प्रयोजन के लिये नजूल भूमि के नामांतरण संबंधी प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	नजूल भूमि के नामांतरण के प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई कर आदेश पारित किये जा रहे है। भू-भाटक निर्धारण किया जाकर नवीनीकरण की कार्रवाई की जा रही है।	कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पत्र क्रमांक 1372/प्र.अ.कले./वि.स.अ./15, दि.16.11.2015 के प्रेषित पत्र में उल्लेख किया गया है कि होशंगाबाद जिले में आवासीय प्रयोजन हेतु नजूल भूमि से संबंधित नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों में प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालयीन प्रक्रिया का पालन करते हुये प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 4-26/वि.स.आ./प्र.रा.आ./2015/7574, दिनांक 10.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
136.	1081	अता.प्र.सं.71 (क्र.918) दि.10.12.2014 (श्री रजनीश हरवंश सिंह)	सिवनी जिले के केवलारी विधान सभा क्षेत्र में अल्पवृष्टि के कारण फसलों को हुई क्षति का परीक्षण कराया जाकर प्रभावित कृषकों को नियमानुसार राहत/मुआवजा प्रदान किया जाना।	शासन के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने पर सूखाग्रस्त घोषित करने की कार्रवाई की जा सकेंगी।	सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की फसलों को कोई क्षति नहीं हुई है एवं सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के मापदण्ड अनुसार सूखे की स्थिति नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-140/2014/सात/शाखा-3, दिनांक 30.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
137.	1082	अता.प्र.सं.96 (क्र.1098) दि.10.12.2014 (श्रीमती रेखा यादव)	बैतूल जिले में कृषकों की अर्जित की गई भूमि के खसरा पंजी में संशोधन संबंधी प्रकरणों की जॉच करायी जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	बैतूल जिले में जिन प्रकरणों के खसरा पंजी में संशोधन नहीं किया गया है, की जॉच करायी जा रही है।	कलेक्टर बैतूल द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 27.06.2015 में लेख किया गया है कि जिले में कृषकों की अर्जित की गई भूमि के प्रकरणों में पारित अवार्ड के अनुसार विभाग के नाम भूमि करने संबंधी नामांतरण की प्रकरणवार जांच की जाकर जिन प्रकरणों में नामांतरण की कार्रवाई नहीं की गई है उनमें विभाग का नाम दर्ज किया जाकर नामांतरण की कार्रवाई की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-3/ग्राभूप्र-आश्वासन/प्रराआ/ 2015/5322, दिनांक 16.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
138.	1083	अता.प्र.सं.99 (क्र.1118) दि.10.12.2014 श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया)	नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के पटवारी हलका नंबर-41 की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	प्रतिवेदन में उल्लेखित अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध मामला कायम कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है।	जांच में पाया कि 04 अतिक्रमण में से 01 अतिक्रमणकर्ता द्वारा कब्जा हटा लिया गया है, शेष 03 अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्रकरण प्रचलित है । गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जा रही है । चूंकि प्रकरण का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किया जाना है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-7/सा.वि./प्र.रा.आ./2015/6712, दिनांक 16.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
139.	1084	अता.प्र.सं.102 (क्र.1144) दि.10.12.2014 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा जिले में अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	प्रभावित कृषकों को राहत राशि उपलब्ध कराने के लिये उक्त योजना मद में बजट की व्यवस्था करने हेतु पुनर्विनियोजन की कार्रवाई की जा रही है।	खण्डवा जिले में वर्ष 2013-14 में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में जमा करायी जा चुकी है । जिले में कोई भी प्रभावित कृषक मुआवजा राशि वितरण से शेष नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-143/2014/सात/शाखा-3, दिनांक 30.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
140.	1165	ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 67 दि.12.12.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के ग्राम भेखड़ाहेडी, राजपुरा उर्फ झुनझुनीपुरा, ललितपुरा, बिजगांवड़ी, सारंगपुर एवं भिल्वाड़िया की चकबंदी निरस्त किया जाना ।	आयुक्त अभिलेख ग्वालियर से शीघ्र ही प्रस्ताव प्राप्त किये जाकर ग्रामों में चकबंदी निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।	म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 210 के अनुसार चकबंदी की पुष्टि करने की अधिकारिता कलेक्टर को है । कलेक्टर द्वारा चकबंदी रिकार्ड को निरस्त करने के पत्र से यह स्पष्ट है कि जिला श्योपुर में प्रश्नांकित चकबंदी की पुष्टि नहीं हुई है एवं चकबंदी पूर्व का रिकार्ड लागू है । अत: लागू अभिलेख को पुन: लागू करने की आवश्यकता नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-133/2014/सात/6, दिनांक 16.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं
141.	1166	परि.ता.प्र.सं.7 (क्र. 1779) दि. 23.7.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	मुंगावली विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरवाह के मजरा माधौ को राजस्व ग्राम बनाया जाना.	लगभग माह सितम्बर तक पूर्ण हो जायेगा.	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
142.	1167	परि.ता.प्र.सं.28 (क्र. 3171) दि. 23.7.2014 (श्री मानवेन्द्र सिंह)	छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के ग्राम करारागंज में अपात्र/खातावि‌हीन व्यक्तियों के नाम ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के मुआवजा प्रकरणों में जोडने के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों नियमानुसार कार्रवाई किया जाना.	विभागीय जांच से प्राप्त निष्कर्षों के उपरांत अन्य दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी.	छतरपुर जिले की नौगांव तहसील के ग्राम करारागंज में अपात्र/खातावि‌हीन व्यक्तियों के नाम ओलावृष्टि/अतिवृष्टि के राहत प्रकरणों में जोड़ने के दोषी पटवारी श्री अमित कुमार, तत्कालीन पटवारी हल्का करारागंज तहसील नौगांव के विरूद्ध वर्तमान में विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलित हे । विभागीय जांच प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य पूर्ण हो चुका है एवं प्रकरण अपचारी कर्मचारी के साक्ष्य हेतु नियत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-96/2014/सात/शाखा-3, दिनांक 18.02.2015 तहसील नौगांव के ग्राम करारागंज में वर्ष 2013-14 में हुई ओलावृष्टि के सर्वेक्षण के दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी श्री अमिल सक्सेना द्वारा कारित अनियमितता के संबंध अधिरोपित विभागीय जांच से प्राप्त निष्कर्षो के परिणाम स्वरूप दो सिद्ध पाए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी(रा.) नौगांव के आदेश पृ.क्र./86/आ.का./2015, दिनांक 02.06.2015 द्वारा श्री सक्सेना पटवारी को आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने की शास्ति अधिरोपित की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 10-97/2014/सात/शाखा-3, दिनांक 30.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
143.	1168	परि.ता.प्र.सं.39 (क्र. 3769) दि. 23.7.2014 (श्रीमती उमादेवी खटीक)	टीकमगढ़ जिले के ग्राम चंदेरा में दिनांक 21.4.2014 को हुई घटना पर दर्ज अपराध क्र. 49/14 एवं 50/14 में शीघ्र जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना.	जांचोपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी.	कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ का पत्र क्र. 1861/18/भू.अभि/अधी./वि.स./2015, टीकमगढ़ दि.09.10.2015 द्वारा जानकारी दी गई है कि पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार थाना चंदेरा के ग्राम चंदेरी में घटित अपराध क्र. 49/14 धारा 147 148, 149, 452, 427, 440, 294, 435, भा.द.वि. के सभी 32 आरोपीगणों की गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान क्र. 95/15 दि.31.08.2015 तैयार किया गया है, जो माननीय न्यायालय में पेश होना शेष है। थाना चंदेरा के अपराध क्र. 50/14 धारा 147, 148, 149, 452, 427, 294, 323, 324, भा.द.वि. में 10 आरोपी थे । सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की विवेचना पूर्ण चालान क्र. 96/15 दि. 31.08.2015 को तैयार किया गया है जो शीघ्र पेश किया जाना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-/शि.शा/विसआ/पराआ/2015/6452 दिनांक 31.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं
144.	1169	परि.ता.प्र.सं.74 (क्र. 4318) दि. 23.7.2014 (डॉ. रामकिशोर दोगने)	उज्जैन जिले के नागदा में स्थित शासकीय गोचर भूमि सर्वे क्र. 1386 पर हुए अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाना.	तहसीलदार न्यायालय में प्रचलित है, प्रकरण का शीघ्र निराकरण किया जायेगा.	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.
145.	1170	परि.ता.प्र.सं.106 (क्र. 4674) दि. 23.7.2014 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना जिले के मैहर स्थित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा डूब क्षेत्र के बागानों के मुआवजा वितरण में पायी गई अनियमितताओं का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर दोषी पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना.	प्रतिवेदन का प्रकरण मूल कार्यालय अभिलेखों से परीक्षण की प्रक्रिया प्रचलित है. परीक्षण उपरांत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा. परीक्षणोपरांत यदि अनियमितताओं की पुष्टि होना पाया जाता है तो नियमानुसार उत्तरदायित्व निर्धारण कर कार्रवाई की जा सकेगी.	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.

<table>
<tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>(5)</th><th>(6)</th><th>(7)</th></tr>
<tr><td>146.</td><td>1171</td><td>अता.प्र.सं.13
(क्र. 2930)
दि. 23.7.2014
(श्री फुन्देलाल सिंह मार्को)</td><td>अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में नामांतरण, सीमांकन एवं बंटवारे शेष विवादित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना.</td><td>विवादित शेष प्रकरणों में उभय पक्षों को सुनवाई उपरांत निराकरण कर दिया जायेगा.</td><td>तहसील पुष्पराजगढ़ अंतर्गत नामांतरण सीमांकन एवं बटवारा प्रकरणों के निराकरण एवं शेष की जानकारी निम्नानुसार है:-
<table><tr><th>मद</th><th>प्राप्त प्रकरण</th><th>निराकृत प्रकरण</th><th>शेष प्रकरण</th></tr><tr><td>नामां.</td><td>1292</td><td>1245</td><td>47</td></tr><tr><td>बटवारा</td><td>428</td><td>372</td><td>36</td></tr><tr><td>सीमांकन</td><td>412</td><td>412</td><td>0</td></tr></table>शेष प्रकरणों का निराकरण न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किया जाना है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
एफ 21-94/2014/सात/6,
दिनांक 25.02.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं</td></tr>
<tr><td>147.</td><td>1263</td><td>02 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 19
(क्र.931)
(श्री दिनेश राय 'मुनमुन')</td><td>सिवनी जिले के ग्राम हिनोतिया के खरीफ फसल 2013 में अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को मुआवजा राशि (बीमा एवं राहत राशि) का भुगतान न होने के दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई किया जाना।</td><td>अधिकारी को SCN जारी किया गया है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।</td><td>सिवनी जिले के ग्राम हिनोतिया के खरीफ फसल 2013 में अतिवृष्टि से प्रभावित कृषकों को राहत राशि भुगतान में विलंब के लिए संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा चुकी है । समस्त प्रभावित कृषकों को राशि रूपये 11,95,35,703/- राशि रू.(ग्यारह करोड़ पिनचान्वे लाख पैंतीस हजार सात सौ तीन मात्र) का भुगतान किया जा चुका है । कोई भी प्रभावित कृषक भुगतान हेतु शेष नहीं है।
विभागीय पत्र क्रमांक :-
10-30/14/सात/शाखा-3,
दिनांक 06.08.2015</td><td>कोई टिप्पणी नहीं.</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
148.	1264	16 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 36 (क्र.1555) (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले की लांजी तहसील में बिना डायवर्सन एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बगैर हाट मिक्स प्लांट लगाये जाने की जांच कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जी हां। प्रकरण विचाराधीन है।	अनुविभागीय अधिकारी(रा) लांजी के प्र.क्र.बी/121/54/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11.07.2014 के विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट में अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है । मूल प्रकरण न्यायालय अपर कलेक्टर बालाघाट को भेजा जा चुका है । अपील के निराकरण पश्चात् अग्रिम कार्रवाई की जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-74/2014/सात/6, दिनांक 28.01.2014 बिना डायवर्सन कराये उक्त प्लांट चालू कर दिया गया है । प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमति संबंधी कागजात कंपनी संचालक द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये । प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा बिना डायवर्सन एवं शासकीय अनुमति के बिना व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूमि में डामर प्लांट लगाने के कारण रू.540540/-(पांच लाख चालीस हजार पांच सौ चालीस रूपये) अर्थदण्ड वसूली का निर्धारण किया गया है, जिसे अपील पश्चात् माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया गया । वसूली हेतु तहसीलदार लांजी को दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1769/एफ-7/सावि/प्रसरा/15, दिनांक 08.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
149.	1265	16 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 83 (क्र.3374) (श्री गिरीश भंडारी)	नरसिंहगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बोड़ा-बोरखेड़ा मार्ग हेतु कृषकों की अधिग्रहित भूमि के मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	प्रभावित किसानों को आयुक्त भोपाल संभाग द्वारा अवार्ड अनुमोदन उपरांत मुआवजा भुगतान किया जा सकेगा।	उत्तर अप्राप्त	आश्वासन क्रमांक 1064 अनुसार.

दिसम्बर, 2014 सत्र

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
150.	1085	परि.ता.प्र.सं.92 (क्र.1208) दि.10.12.2014 (श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल)	बैतूल जिले में शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक के रिक्त पदों की पूर्ति करायी जाना।	रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कलेक्टर जिला, बैतूल से प्राप्त प्रस्ताव पर शासकीय अभिभाषक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया विचाराधीन है।	राज्य शासन द्वारा दि.17.12.2014 को श्री नितिन मिश्रा को शासकीय अभिभाषक, बैतूल के पद पर एवं श्री राजेश सांवले अधिवक्ता को अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तहसील मुलताई, जिला बैतूल में नियुक्त कर नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 2/वि.स./2015/21-ब(दो), दिनांक 12.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151.	1086	परि.ता.प्र.सं.93 (क्र.1252) दि.10.12.2014 (पंडित रमेश दुबे)	छिंदवाड़ा जिले के विकासखण्ड बिछुआ में एन.जी.ओ. द्वारा हितग्राहियों की राशि में अनियिमतता किये जाने की जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सौंसर की जानकारी में लाकर संस्था अध्यक्ष व कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक प्रकरण दायर करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।	**प्रकरण में की गई कार्रवाई में जानकारी निम्नानुसार है:-** (1) सहायक संचालक, हाथकरघा, सौंसर द्वारा प्रकरण की विस्तृत जानकारी अनुविभागीय अधिकारी, सौंसर को की जा चुकी है। (2) एन.जी.ओ. अध्यक्ष शिव पवार एवं उनके 02 कर्मचारियों घनश्याम साहू व जबेर कुरैशी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दायर करते हेतु प्रस्ताव सहायक संचालक, हाथकरघा सौंसर द्वारा तैयार कर दिनांक 04.12.2014 को थाना सौंसर में प्रस्तुत किया जा चुका है। (3) पुलिस विवेचना एवं जांच हेतु थाना सौंसर में पदस्थ उप निरीक्षक श्री धुर्वे को अधिकृत किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा ग्राम पठारा के हितग्राहियों के बयान लिये जा चुके है। (4) जांच हेतु अन्य आवश्यक दस्तावेज जांच अधिकारी को मांगने पर दि.23.01.2015 को उपलब्ध करा दिये गये है। (5) आपराधिक प्रकरण से संबंधित अन्य आवश्यक कार्रवाई पुलिस थाना सौंसर द्वारा की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-18/2014/52-2, दिनांक 25.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
152.	1179	अता.प्र.सं.58 (क्र. 4282) दि. 23.7.2014 (डॉ. कैलाश जाटव)	नरसिंहपुर जिले में मुख्यमंत्री कारीगर योजना एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के बैंकों में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कराया जाना.	वर्ष 2013-14 में मुख्यमंत्री कारीगर योजना के 55 प्रकरण एवं प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के 38 प्रकरण बैंक शाखाओं में लंबित है उन्हें वर्ष 2014-15 में निराकृत करा लिया जावेगा.	**1.**मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना वर्ष 2013-14 में लंबित 55 प्रकरणों में से वर्ष 2014-15 में 05 प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत किये जाकर वितरण किये गये है। उक्त योजना दिनांक 31.07.2014 से बंद होने के कारण बैंको द्वारा शेष 50 प्रकरण विभिन्न बैंको शाखाओं द्वारा अमान्य कर वापिस किये गये। **2.** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में लंबित 38 प्रकरणों में से वर्ष 2014-15 में 07 प्रकरण बैंको द्वारा स्वीकृत कर वितरण किये गये है। शेष 31 प्रकरण विभिन्न बैंक शाखाओं द्वारा अमान्य किए गए। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-11/2014/52-2, दिनांक 02.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र

महिला एवं बाल विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
153.	1087	अता.प्र.सं.18 (क्र.181) दि.10.12.2014 (श्री कुंवर जी कोठार)	राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करायी जाना।	विभागीय पदोन्नति से ही परियोजना अधिकारी के पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई भी की जा रही है। विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षकों के रिक्त 643 पदों की पूर्ति की कार्रवाई व्यापम द्वारा की जा रही है। भर्ती नियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रचलन में अन्य लिपिकीय चतुर्थ श्रेणी के संवर्गो हेतु भी नियुक्ति एवं पदोन्नति की कार्रवाई की जा रही है।	बाल विकास सारंगपुर जिला राजगढ़ में परियोजना अधिकारी की पदस्थापना कर दी गई है। व्यापम के माध्यम से नव चयनित 1016 पर्यवेक्षकों से राजगढ़ जिले के रिक्त पदों पर पदस्थापना किये जाने की कार्रवाई प्राथमिकता से की जा रही है। लिपिक वर्गीय विभागीय भर्ती नियम संशोधन की कार्रवाई प्रचलित है। संशोधन उपरांत अन्य लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संवर्गो पर नियुक्ति एवं पदोन्नति की कार्रवाई की जाएगी। पदोन्नति स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति के कारण सभी संवर्गो में पद रिक्त होते रहते है तथा सीधी भर्ती, पदोन्नति एवं स्थानांतरण के ही माध्यम से इन पदों की पूर्ति भी होती है। पदों की रिक्त एवं पूर्ति सतत् चलने वाली प्रक्रिया है। अत: प्रत्येक पद की पूर्ति के लिए समय सीमा दिया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 5-16/2014/50-1, दिनांक 28.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
154.	1088	अता.प्र.सं.84 (क्र.1024) दि.10.12.2014 (श्री सुखेन्द्र सिंह बन्ना)	1. सीधी जिले में बाल विकास परियोजनाओं के लिये स्वीकृत रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करायी जाना। 2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के स्वत्वों का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	1. भर्ती नियम में संशोधन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। अन्य लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संवर्गो हेतु भी नियुक्ति एवं पदोन्नति की कार्रवाई की जा रही है। 2. शेष 02 कर्मचारियों के पेंशन एवं स्वत्वों के भुगतान की कार्रवाई प्रचलन में है।	1. चतुर्थ वर्ग के नियमितीकरण तथा पदोन्नति की कार्रवाई हेतु डीपीसी की बैठक शीघ्र आयोजित की जानी है। पर्यवेक्षकों के 12 रिक्त पदों की पूर्ति व्यापम द्वारा चयनित अभयार्थियों से की गई है एवं शेष रिक्त पदों की पूर्ति हेतु व्यापम से प्राप्त चयन एवं प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति की जा रही है। सांख्यिकी अन्वेषक के रिक्त पदों की पूर्ति व्यापम के माध्यम से किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। 2. सेवानिवृत्त शेष 02 कर्मचारियों के स्वत्वों का भुगतान कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-5-21/2014/50-1, दिनांक 16.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
155.	1089	अता.प्र.सं.106 (क्र.1162) दि.10.12.2014 (डॉ. मोहन यादव)	उज्जैन जिले के भवन-विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन उपलब्ध कराया जाना।	पूर्ण होते ही भवन उपलब्ध करा दिये जायेंगे।	उत्तर अप्राप्त	समिति चाहेगी कि उज्जैन जिले के भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण एक निश्चित समयावधि में पूर्ण कराया जाकर संबंधितों को उपलब्ध कराया जाए ।

दिसम्बर, 2014 सत्र

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
156.	1091	परि.ता.प्र.सं.3 (क्र.10) दि.11.12.2014 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले की गोहद तहसील के ग्राम बड़ैरा के मंदिरों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाकर अतिक्रामकों के विरूद्ध दाण्डिक कार्रवाई किया जाना।	मंदिरों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाकर सिविल जेल की कार्रवाई का प्रस्ताव एस.डी.ओ. गोहद की ओर भेजा जावेगा।	सिविल जेल की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव एस.डी.ओ. गोहद की ओर भेजा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-6-77/2014/छैः, दिनांक 13.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
157.	1092	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र.131) दि.11.12.2014 (श्री माधो सिंह डावर)	अलीराजपुर जिले के शासनाधीन मंदिरों के पुजारियों को मानदेय का भुगतान कराया जाना।	यथाशीघ्र भुगतान किया जायेगा।	उत्तर अप्राप्त	विभाग के 03 में से 02 आश्वासनों पर कार्रवाई न हो पाना खेदजनक है यह निश्चित ही विभागीय अधिकारियों की उदासीनता ही है कि विशिष्ट समयावधि के मामलों पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इस चूक के दोषी दण्डित हों और दोनों मामलों पर 01 माह में कार्रवाई होकर समिति को अवगत कराया जाए।
158.	1093	अता.प्र.सं.47 (क्र.731) दि.11.12.2014 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	विधान सभा के जून-जुलाई, 2014 सत्र के प्रश्न क्रमांक-4849 दिनांक 24.07.14 में दर्शित कार्यों में से शेष 2 कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	02 कार्यों को मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।	उत्तर अप्राप्त	आ. क्र. 1092 के अनुसार.

दिसम्बर, 2014 सत्र
लोक निर्माण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
159.	1101	ता.प्र.सं.03 (क्र.1368) दि.11.12.2014 (श्री सज्जन सिंह उईके)	1. बैतूल जिले में राजडोह पुल के घटिया निर्माण एवं कार्य में हुई अनियमितता की जॉच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना। 2. नष्ट हुये पुल के स्थान पर शीघ्र नवीन पुल बनाये जाने की कार्रवाई किया जाना।	1. इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस दिये गये है। एक ई.ई. हैं, एक ए.ई. हैं और एक सब इंजीनियर हैं तीनों को नोटिस दिया गया है ठेकेदार को भी नोटिस दिया है और जॉच की कार्रवाई पूरी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। 2. नया एस.ओ.आर. आने से उसका रिवाईज डी.पी.आर. बना रहे हैं और जैसे ही डी.पी.आर. बन जायेगा उसको स्वीकृत करके उस काम को शुरू किया जायेगा।	शासन पत्र दि.11.07.2013 द्वारा श्री ए.आर.सिंह तत्कालीन का.यं. श्री एम.एल.वास्केल, अनु.अधि. एवं श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित उप यंत्री का आरोप पत्र जारी किये गये है। शासन के पत्र दिनांक 05.02.2015 द्वारा श्री ए.आर.सिंह तत्का. का.यं. श्री एम.एल.वास्केल, तत्का. अनु.अधि. एवं श्री दीक्षित उप यंत्री को अंतिम कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधित जारी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। संबंधित जारी कारण बताओ सूचना पत्र तामिल कराकर उनसे प्राप्त मूल पावती प्राप्त की गई है। नवीन पुल के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु परिक्षेत्र भोपाल ने अपने पत्र दिनांक 13.01.2015 द्वारा रू.963.38 लाख का डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है। जो प्रमुख अभियंता कार्यालय में परीक्षणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 1821/43/2015/19/यो, दिनांक 30.03.2015	विभाग से दोषी अधिकारियों के संबंध में जांच की वर्तमान स्थिति तथा नवीन पुल निर्माण हेतु डी.पी.आर. की प्रशासकीय स्वीकृति की स्थिति इस सचिवालय के पत्र 25.05.2015 द्वारा चाही गई थी, किन्तु विभाग द्वारा चाही गई अतिरिक्त जानकारी का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। समिति चाहेगी कि विभागीय जांच कार्रवाई सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाकर दोषियों को दण्डित किया जाकर 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए तथा नवीन पुल निर्माण के संबंध में त्वरित सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
160.	1102	ता.प्र.सं.07 (क्र.209) दि.11.12.2014 (श्री कालूसिंह ठाकुर)	धार-नागदा-गुजरी सड़क मार्ग का बी.ओ.टी के माध्यम से निर्माण कराया जाना एवं सड़कों की मरम्मत एवं संधारण हेतु राशि उपलब्ध करायी जाना।	इसका डी.पी.आर. बन रहा है, डी.पी.आर. बनने के बाद इसके टेण्डर आमंत्रित किये जायेगे तो सड़को के मेन्टनेंस के लिये भी धार में पर्याप्त पैसा दिया गया है। इस सड़क को बी.ओ.टी. के माध्यम से बनाने की कार्रवाई चल रही है।	उत्तर अप्राप्त	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि मा.मंत्री जी द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन के अनुरूप यह कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर 02 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाए ।
161.	1103	ता.प्र.सं.08 (क्र.647) दि.11.12.2014 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले में ग्राम सेमलापार से सिंघोड़ा सड़क मार्ग एवं राजगढ़ जिले को गुना, भोपाल और विदिशा जिलों से जोड़ने वाले सड़क मार्ग का निर्माण कराया जाना।	राजगढ़ जिले में प्लान सीलिंग उपलब्ध होने के पश्चात तथा प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा। हम इसको प्रस्तावित करेंगे और जब वित्त विभाग की स्वीकृति बजट में मिल जायेगी उसके बाद में काम शुरू होगा।	उपरोक्त कार्य को तृतीय अनुपूरक बजट 2014 में सम्मिलित करने हेतु प्राथमिकता सूची में चयन किया गया था, परंतु वित्त विभाग द्वारा अनुपूरक बजट में सम्मिलित नहीं किया है । उपरोक्त कार्य को आगामी बजट में सम्मिलित होने की संभावना है । अत: मार्ग के सर्वेक्षण कराया जाना, विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जाने की प्रक्रिया चल रही है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3220/2015/19/यो, दिनांक 05.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
162.	1104	ता.प्र.सं.14 (क्र.1245) दि.11.12.2014 (श्री राजेश सोनकर)	सांवेर विधान सभा क्षेत्र में निर्माण कार्यों हेतु जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कार्यों को स्वीकृति प्रदान की जाना।	वित्तीय स्थिति के आधार पर इनकी स्वीकृति प्राप्त होगी, तब ये काम किये जा सकेंगे । अभी विचाराधीन है।	वर्तमान में आश्वासन अनुरूप 09 पुल कार्यो के संबंध में सर्वेक्षण, सामान्य संरचना मानचित्र, डी.पी.आर. तैयार किये जाने बाबत् कार्रवाई की जा रही है । वित्तीय स्थिति/संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर ही स्वीकृत किये जा सकेंगे । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2732/2015/19/यो, दिनांक 22.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
163.	1105	ता.प्र.सं.18 (क्र.623) दि.11.12.2014 (श्री लाखन सिंह यादव)	डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर मार्ग का शीघ्र उन्नयन कराया जाना।	इसका एग्रीमेंट होने वाला है और दो साल में यह सड़क बन जायेगी।	डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर मुख्य जिला मार्ग (लंबाई 62.4 कि.मी.) के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन लो.नि.वि. भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ /28/05/2012/19/यो/2836 भोपाल दिनांक 26.07.2014 द्वारा रू.144.20 करोड़ राशि की प्रदान की गई है । उक्त परिपेक्ष्य में म.प्र.सड़क विकास निगम द्वारा निविदायें आमंत्रित कर निर्माण एजेंसी से अनुबंध दिनांक 15.02.2014 को किया गया तदुपरांत विभाग द्वारा निर्माण एजेंसी को दिनांक 15.12.2014 को कार्यादेश प्रदाय किया गया है । कार्य पूर्ण करने की अवधि 640 दिन निर्धारित की गई है । वर्तमान में कार्य हेतु सर्वेक्षण का कार्य निमार्ण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2857/3867/201/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
164.	1106	परि.ता.प्र.सं.93 (क्र.1149) दि.11.12.2014 (श्री रामप्यारे कुलस्ते)	नारायणगंज से बबलिया सड़क के निर्माण की गुणवत्ता की जॉच करायी जाकर संबंधित ठेकेदार एजेंसी के विरूद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई किया जाना।	अनुबंधानुसार कार्रवाई की जावेगी। प्रकरण के गुणदोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई किये जाने पर विचार किया जावेगा।	मार्ग निर्माण का कार्य प्रगति पर है । बालई नदी पर पुल निर्माण कार्य छोड़कर कार्य की प्रगति के आधार पर दिनांक 30.06.2015 तक मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना संभावित है । मार्ग के निर्माण कार्य की गुणवत्ता में जांच एन.ए.बी.एल. द्वारा करायी गयी । मार्ग निर्माण कार्य मानक अनुसार है । मार्ग निर्माण कार्य पुनरीक्षित निर्माण कार्यक्रम अनुसार किया जा रहा है । अत: ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्रवाई का प्रश्न ही नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2730/2015/19/यो, दिनांक 22.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
165.	1107	अता.प्र.सं.90 (क्र.1233) दि.11.12.2014 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	ए.बी.केनाल रोड़ (अम्बाह शाखा नहर मार्ग) सबलगढ़ से ए.बी. रोड़ तक की सड़क के शीघ्र निर्माण हेतु कार्रवाई किया जाना।	जिले की उपलब्ध योजना सीमा सुनिश्चित होने पर कार्रवाई की जा सकेगी।	केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चयन किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2746/971/2015/19/यो, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
166.	1108	ध्यानाकर्षण सूचना क्रं.-175 दि.11.12.2014 (श्री वेल सिंह भूरिया)	धार जिले के सरदारपुर राजगढ़-बाग एवं मनावर से मांगोद तक की सड़क निर्माण कार्य की माननीय विधायक की उपस्थिति में जॉच करायी जाना।	इसकी जॉच करवा ली जायेगी और माननीय विधायक जी भी जॉच के समय उपस्थित रहें तो ज्यादा उचित होगा। जॉच का समय और तारीख की सूचना आपको दे देंगे।	मा.विधायक महोदय द्वारा सुझाई गई तिथि, दिनांक 14.06.2015 को संभागीय प्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, मार्ग पर अनुबंधित कार्य एजेंन्सी के प्रतिनिधि एवं स्वतंत्र सलाहकार की टीप द्वारा, कार्य की गुणवत्ता/मार्ग में किये गये प्रावधान के संबंध में माननीय विधायक महोदय को स्थल निरीक्षण/जांच के दौरान, अवगत कराया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 4671/6239/2015/19/यो, दिनांक 04.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
167.	1200	परि.ता.प्र.सं.17 (क्र. 2860) दि. 24.7.2014 (श्री मेव राजकुमार)	महेश्वर विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत महू-मण्डलेश्वर सड़क के पहुंच मार्गो एवं 01 पुलिया के शेष निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	पहुंच मार्गो व एक पुलिया का कार्य प्रगति पर है।	राऊ-महू-मण्डलेश्वर राज्यमार्ग क्र.01 के सम्पूर्ण मार्ग के उन्नयन/नवीनीकरण का कार्य बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत प्रगतिरत् है। इस मार्ग पर पहुंच मार्गो व पुलिया संबंधित कार्य भी प्रगतिरत् है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2855/3867/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
168.	1201	परि.ता.प्र.सं.19 (क्र. 2939) दि. 24.7.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	अशोक नगर जिले में सेंट्रल रोड फंड से स्वीकृत जंजाली चौराहे से मकसूदनगढ़ तक के गुणवत्ता विहीन सड़क मार्ग निर्माण की निश्चित समय सीमा में जांच कराई जाना।	मार्ग की जांच प्रक्रियाधीन है।	प्रश्नाधीन मार्ग की जांच अधीक्षण यंत्री मंडल गुना द्वारा दिनांक 10.06.2014 को की गई जो कि सभी तकनीकी मापदण्डों के अनुसार सड़क की स्थिति अच्छी पाई गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4807/6262/2015/19/यो, दिनांक 10.08.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
169.	1202	परि.ता.प्र.सं.20 (क्र. 2959) दि. 24.7.2014 (श्री तरूण भनोत)	जबलपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कटंगा से ग्वारीघाट तक की सड़क का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जून-2015 तक पूर्ण होने की संभावना है।	सीवर लाईन एवं इलेक्ट्रिक लाईन का कार्य विलंब से होने के कारण प्रगति प्रभावित हुई है। सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा जून 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 1389/1163/2015/19/यो, दिनांक 05.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
170.	1203	परि.ता.प्र.सं.31 (क्र. 3413) दि. 24.7.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत रामेश्वर-टेकना-मानपुर अनुबन्धित सड़क मार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य दिनांक 29.12.2014 है।	मार्ग का निर्माण कार्य 28 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है एवं वर्तमान में कंसेशनायर द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में दिनांक 20.01.2015 को मुख्यालय भोपाल में संपन्न बैठक के दौरान कार्य कंसेशनायर ने फरवरी 2005 से प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1090/939/2015/19/यो, दिनांक 12.02.2015	मार्ग का निर्माण दिसम्बर 2014 तक पूर्ण होना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। आश्वासन अनुरूप लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण हो। समिति कार्य पूर्णता के प्रतिवेदन से भी 02 माह की समयावधि में समिति अवगत होना चाहेगी।
171.	1204	परि.ता.प्र.सं.36 (क्र.3829) दि. 24.7.2014 (श्री राजेश सोनकर)	राष्ट्रीय राजमार्ग-03 (पुराना आगरा-मुंबई मार्ग) ग्राम तलावली चांदा से राऊखेड़ी तक निर्माणाधीन सी.सी. रोड को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	कार्य 31.12.14 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।	उक्त मार्ग 06 लेन में वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। कुल लंबाई 30.00 कि.मी. सिंगल लेन में से 17.00 कि.मी. सिंगल लेन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ठेकेदार को नोटिस दिये गये है। कार्य को 31.12.2015 तक पूर्ण होने की संभावना है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2817/523/2015/19/यो, दिनांक 24.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
172.	1205	परि.ता.प्र.सं.44 (क्र. 4019) दि. 24.7.2014 (श्रीमती प्रतिभा सिंह)	बरगी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मनकेड़ी-कुसली मार्ग निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	नवम्बर 2014 कर पूर्ण करने का लक्ष्य है।	30 जून 2015 तक पूर्ण करने का पुनरीक्षित लक्ष्य है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 3612/4633/2015/19/यो, दिनांक 19.06.2015	आ.क्र.1203 के अनुसार.
173.	1206	परि.ता.प्र.सं. 77 (क्र. 4540) दि. 24.7.2014 (श्री दिव्यराज सिंह)	रीवा जिले के सिरमौर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जनकहाई से राझौही (क्योंटि) पहुंच मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	कार्य प्रगति पर है।	कार्य की प्रगति समानुपातिक न होने से संविदाकार को कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का नोटिस दिया गया। ठेकेदार से प्राप्त कार्य योजना के अनुसार 30.11.2015 तक कार्य पूर्ण हो सकेगा। कार्य की प्रगति संतोषजनक न होने पर अनुबंध में निहित प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जायेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2771/3884/2015/19/यो, दिनांक 23.05.2015	समिति इस अनुशंसा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि आश्वासन अनुरूप मार्ग का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाकर 02 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
174.	1207	परि.ता.प्र.सं.87 (क्र.4739) दि.24.07.2014 (श्रीमती नीना वर्मा)	धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस विभाग को CSP के निवास के लिए दिये गये डाक बंगला के किराये की वसूली एवं रिक्त कराया जाना।	डाक बंगला खाली कराने एवं संबंधित से वसूली हेतु पुन: लिखा गया है।	डाक बंगला पीथमपुर में पुलिस विभाग के सी.एस.पी. निवासरत थे, जिनका किराया वसूली एवं खाली कराने हेतु पूर्व में कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग धार के पत्र क्र. 3546/दिनांक 09.07.2014 तथा पत्र क्र. 206/सा./14-15/धार, दि. 13.01.2015 एवं पत्र क्रमांक 517/सामान्य/धार दिनांक 31.01.15 के द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला धार की ओर लेख किया गया था। कार्यालय मुख्य अभियंता (पश्चिम) इंदौर के पत्र क्रमांक 546/कार्य/वि.स./ता.प्र.क्र./4739/15 इंदौर, दिनांक 07.02.2015 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, इंदौर झोन, इंदौर को पत्र लिखा गया था। इसी क्रम में दिनांक 02.11.2015 को सी.एस.पी. पुलिस विभाग पीथमपुर द्वारा डाक बंगला रिक्त कर चाबी इस कार्यालय को सौंपी गई है। पुलिस अधीक्षक जिला धार के पत्र क्र./पु.अ.धार/ए.सी.1(24) दिनांक 21.02.2015 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक लेखा पुलिस मुख्यालय भोपाल को श्री एम.एम.सोलंकी, सी.एस.पी. एवं श्री राजीव मिश्रा, सी.एस.पी. से वसूली हेतु लेख किया गया था एवं पत्र क्र. 23/दिनांक 21.02.15 द्वारा सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक जिला मंदसौर को भी श्री विक्रम सिंह नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर को भी वसूली हेतु लिखा गया था। कलेक्टर जिला धार के पत्र क्र. 6038, दिनांक 28.05.2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला धार को संबंधित अधिकारियों से किराया वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग धार के पत्र क्रमांक 3052-53/धार, दिनांक 29.07.2015 एवं पुन: स्मरण पत्र क्र. 4917/आ.धार/14-15 दिनांक 13.11.2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला धार की किराया	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					वसूली हेतु पत्र लिखा गया है, परन्तु आज दिनांक तक वसूली लंबित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-18-22/2014/सामा./19, दिनांक 26.11.2015	
175.	1208	परि.ता.प्र.सं. 88 (क्र. 4747) दि. 24.7.2014 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत संबंधी कार्य प्रारंभ न करने वाले संविदाकारों के विरूद्ध नियमानुसार त्वरित कार्रवाई किया जाना।	संविदाकारों द्वारा कार्य प्रारंभ न करने के कारण उनके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।	अनूपपुर विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 20 नग निर्माण एवं मरम्मत कार्य स्वीकृत है, जिसमें से 02 नग अप्रारंभ कार्यो हेतु संविदाकारों को कार्य प्रारंभ न करने के कारण उनके विरूद्ध पत्र दिनांक 11.02.2014 एवं पत्र दिनांक 19.06.2014 द्वारा अनुबंध की धारा 03 (सी) के तहत नोटिस जारी किया गया था, तदनुसार ठेकेदार द्वारा क्रमश: दिनांक 01.04.2014 एवं 08.02.2015 को निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिनांक 28.02.2015 को संविदाकार द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2748/3848/2015/19/यो, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
176.	1209	परि.ता.प्र.सं. 90 (क्र. 4766) दि. 24.7.2014 (श्री आरिफ अकील)	पुराने भोपाल के ताजमहल, बेनजीर, मोतिया तालाब एवं बाबेअली के पुरातात्विक महत्व के परिपेक्ष्य में शासकीय आवास क्रमांक 38/19 की भूमि को पुनर्घनत्वीकरण योजना में शामिल किया जाना।	पुनर्घनत्वीकरण योजना अन्तर्गत कार्रवाई प्रचलित।	बाबेअली ताजमहल परिसर स्थित आवास क्र. 38/19 की भूमि को पुनर्घनत्वीकरण योजना में उपयोग/शामिल करने हेतु वास्तविक स्थिति भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा ही बतायी जा सकती है, क्योंकि यह योजना भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाना है। इस संबंध में मुख्य अभियंता राजधानी परिक्षेत्र लो.नि.वि. के पत्र क्र. 2357, दिनांक 23.05.2015 द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास प्राधिकरण भोपाल को अवगत करा दिया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 6576/स्था./2015/19, दिनांक 28.10.2015 इस सचिवालय के पत्र दि.17.11.2015 द्वारा निम्नानुसार अद्यतन जानकारी चाही गई थी :- ***आश्वासन अनुरूप भोपाल विकास प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त कर प्रकरण की अद्यतन जानकारी भेंजे।***	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					तत्पश्चात् विभाग से निम्नानुसार जानकारी प्राप्त हुई :- ***मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्र.-63/ मु.अ.य./भो.वि.प्रा./2015 भोपाल, दिनांक 09.07.2015 के अनुसार पुराने भोपाल के बाबेअली ताजमहल परिसर के आवास क्रमांक 38/19 भोपाल विकास प्राधिकरण की शाहजहांनाबाद क्षेत्र अंतर्गत रामनगर - परिबाजार - बारामहल पुनर्घनत्वीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है।*** **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 18/21/2015/सामा./19, दिनांक 05.12.2015	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
177.	1210	अता.प्र.सं. 21 (क्र. 3439) दि. 24.7.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम ननावद स्थित खाड़ी पर निर्माणाधीन पुल का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	अनुबंधानुसार दिनांक 21.01.2015 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।	ननावद की खाडी पर प्रेमसर मूडला मार्ग में निर्माणाधीन पुल कार्य 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ठेकेदार द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण विलंब हुआ है। ठेकेदार को अनुबंध की धारा -3 सी के अंतर्गत नोटिस दिया गया है। माह मार्च 2015 तक रू.131.04 लाख का व्यय किया गया। पुल कार्य माह 12/2015 तक पूर्ण कर लिया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2499/3158/2015/19/यो, दिनांक 11.05.2015	समिति अनुशंसा करती है कि समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करते हुये तदनुसार समिति को 02 माह की समयावधि में अवगत करायें।
178.	1211	अता.प्र.सं.77 (क्र.4744) दि.24.07.2014 (श्री राजेश यादव)	मंदसौर जिले के खड़ावदा-बराडिया, इस्तमुरार-राजस्थान सीमा को एवं भैसोदा मंडी से काधाकोर तक एम.डी.आर. के लंबित प्रस्ताव को घोषित किया जाना।	जी हां। जिला स्तर पर विचाराधीन है।	1. गरोठ से खडावदा मार्ग। 2. बरडिया इस्तमुरार-राजस्थान सीमा तक मार्ग। 3. भैसोदामण्डी से कालाकोट तक मार्ग। उक्त तीनों मार्गो का मुख्य जिला मार्ग घोषित कराये जाने हेतु प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति में विचाराधीन है। निर्णय उपरांत प्रस्ताव तैयार कर शासन स्तर पर घोषणा हेतु प्रस्तुत किए जावेंगे। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2767/3857/2015/19/यो, दिनांक 23.05.2015	इस निर्देश के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है कि प्रकरण पर कार्रवाई एक निश्चित समय-सीमा में हो, इसे विभाग सुनिश्चित करे।

दिसम्बर, 2014 सत्र
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
179.	1109	ता.प्र.सं.01 (क्र.1017) दि.11.12.2014 (श्री सतीश मालवीय)	सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत उज्जैन-बड़नगर एवं डोंगला रोड की सड़कों का त्वरित निर्माण कराया जाना।	हमने उस सड़क को 02 किलोमीटर से 05 किलोमीटर करने के निर्देश दिये है। वित्तीय समिति में भेजकर जल्दी स्वीकृत करा देंगे मैं उस बैठक में घोषणा करके आया था कि उस सड़क को भी स्वीकृति प्रदान करवा देंगे।	(1) दिनांक 27.10.2014 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साधिकार समिति की बैठक में मार्ग के प्रथम 2 कि.मी. हेतु रू.109.97 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष 4.8 कि.मी. लंबाई का प्राक्कलन राशि रू.536.03 लाख तैयार कर स्थानीय सिंहस्थ 2016 समिति से स्वीकृत कर राज्य साधिकार समिति को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। (2) नारायणा से डोंगला डोंगला से मीण मार्ग शासन से योजना मद प्लान 64 के अंतर्गत स्वीकृत होकर निर्माणाधीन है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-294/2014/18-2, दिनांक 09.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
180.	1110	ता.प्र.सं.10 (क्र.799) दि.11.12.2014 (श्री रामेश्वर शर्मा)	झील संरक्षण परियोजना के माध्यम से भोपाल की कलियासोत नदी के प्रवाह मार्ग में आने वाले अतिक्रमण पर रोक के साथ-साथ नदी के संवारने हेतु व्यापक योजना एवं घाटों का निर्माण कराया जाना।	अधिकारियों को इस्टीमेट बनाने के लिये कह देता हूं लेकिन इसमें फण्ड्स कहां से आयेंगे, यह हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, डी.पी.आर. बनाने के मैं निर्देश दे दूंगा।	उत्तर अप्राप्त	समिति को खेद है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल के ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरण पर विभाग द्वारा मा.मंत्री जी के आश्वासन के पालन में डी.पी.आर. बनाने तक की कार्रवाई नहीं की गई ? समिति चाहेगी कि इस दिशा में विभाग द्वारा आवश्यक पहल हो तथा की गई कार्रवाई से समिति को भी अवगत कराया जाए

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
181.	1111	ता.प्र.सं.12 (क्र.21) दि.11.12.2014 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले के बैरसिया नगर में सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार कराया जाना।	मैं दिखवा लूंगा, बैरसिया के बारे में, मैं जरूर विचार कर लूंगा।	बैरसिया नगर की विकास योजना म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(एक) अंतर्गत म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3/78/2006/32, दिनांक 08.10.2008 के द्वारा अनुमोदित होकर उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 24.01.2008 से प्रभावशील है । बैरसिया नगर की विकास योजना वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 57,000 को आधार मानकर तैयार की गई है। म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-23(1) के अधीन बैरसिया विकास योजना का उपरान्तरण/पुर्नविलोकन का योजना का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2015-16 में निर्धारित किया गया है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 9-1/2015/18-5, दिनांक 24.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं
182.	1112	परि.ता.प्र.सं.113 (क्र.1329) दि.11.12.2014 (श्री मुकेश नायक)	नगरपालिका परिषद पन्ना की यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना समय पर पूर्ण न करने के दोषी उपयंत्री के विरूद्ध निर्धारित समयावधि में जॉच करायी जाकर कार्रवाई किया जाना।	02 माह में जॉच पूर्ण होना लक्षित है। जॉच समिति के प्रतिवेदन अनुसार कार्रवाई की जावेगी।	कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, सागर संभाग द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है । कार्य में लापरवाही हेतु उप यंत्री श्री सुरेश साहू की दो वेतनवृद्धियां रोकी गई है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1497/108/2015/18-2, दिनांक 25.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
183.	1113	अता.प्र.सं.07 (क्र.57) दि.11.12.2014 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा)	रतलाम जिले के जावरा शहर की सर्वे क्रमांक-746 की शासकीय भूमि का अवैध रूप से नामांतरण स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रकरण की शीघ्र जॉच करायी जाकर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	परीक्षण कराया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।	रतलाम जिले के जावरा भूमि सर्वे क्रमांक 746(रकबा 69.440 हेक्ट.) शासकीय अभिलेख की नजूल आबादी के रूप में दर्ज हैं एवं कस्बे में जावरा शहर की एक बड़ी आबादी का क्षेत्र बसा हुआ है। मा.न्यायालय द्वारा सर्वे क्रमांक 746 पर अतिक्रमण नहीं पाये जाने से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-260/2014/18-2, दिनांक 29.01.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
184.	1114	अता.प्र.सं.18 (क्र.214) दि.11.12.2014 (श्री कालुसिंह ठाकुर)	धार जिले की नगर परिषद मांडव द्वारा सी.सी. रोड़ के निर्माण की गुणवत्ता जॉच व मूल्यांकन करायी जाकर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	कार्य के ठेकेदार मेसर्स विनय गुप्ता, भोपाल को नगर परिषद माण्डव द्वारा पत्र क्रमांक-1469 दिनांक 11.11.2014 से दो माह में सड़क को ठीक करने के लिए लिखा गया है।	नगर परिषद माण्डव द्वारा संविदाकार मेसर्स विनय गुप्ता से सी.सी.रोड का सुधार कार्य करा लिया गया है । जिससे आश्वासन की पूर्ति हो गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-259/2014/18-2, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
185.	1115	अता.प्र.सं.34 (क्र.522) दि.11.12.2014 (श्री दिनेश राय (मुनमुन))	नगर पालिका सिवनी के माध्यम से कराये जा रहे मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत शेष अपूर्ण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	प्राक्कलन अनुसार, शेष अपूर्ण कार्यो को, माह फरवरी, 2015 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।	नगर पालिका सिवनी द्वारा पत्र क्रमांक 37 दिनांक 09.04.2015 से अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना अंतर्गत कराये जा रहे कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूर्ण हो चुके है। शेष कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2697/1672/2015/18-2, दिनांक 08.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
186.	1116	अता.प्र.सं.43 (क्र.681) दि.11.12.2014 (कुंवर विक्रम सिंह)	कटनी नगर निगम क्षेत्र में सागर पुलिया से बिलहरी तिराहा एवं मिशन चौक से चाका बाईपास की उत्कृष्ट सड़क का निर्माण करने वाले ठेकेदार से जल कर की राशि वसूली की जाना।	ठेकेदार द्वारा बिल की राशि जमा नहीं करने पर देयकों से राशि की कटौती की जायेगी।	नगर निगम कटनी द्वारा ठेकेदार के देयक से जलकर राशि की कटौती की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2998/2128/2015/18-2, दिनांक 30.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
187.	1117	अता.प्र.सं.44 (क्र.699) दि.11.12.2014 (श्रीमती इमरती देवी)	डबरा शहर में जल आवर्धन योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाकर सभी वार्डो में जल प्रदाय किया जाना।	योजना पूर्ण होने पर योजना अनुसार सभी 24 वार्डो में जलप्रदाय किया जा सकेगा।	डबरा शहर की जल आवर्धन योजना का कार्य अंतिम चरण में है। रेल्वे क्रॉसिंग की एनओसी की राशि जमा न होने के कारण योजना के कार्य में विलंब हो रहा है। राशि जमा होने के उपरांत शेष कार्य शीघ्र ही पूर्ण किया जाकर नगर के सभी 24 वार्डो में जलप्रदाय किया जा सकेगा । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 646/560/2015/18-2, दिनांक 27.02.2015	इस मामले में इस सचिवालय के पत्र दिनांक 17 मार्च 2015 द्वारा विभाग से रेल्वे क्रासिंग की एन.ओ.सी. राशि जमा कराते हुये शेष 24 वार्डो में जलप्रदाय की अद्यतन जानकारी चाही गई थी, किन्तु विभाग द्वारा इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। समिति चाहेगी कि समस्त विभागीय औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कराते हुये शेष वार्डो में जलप्रदाय आरंभ कराकर समिति को भी 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
188.	1181	ता.प्र.सं.10 (क्र. 2188) दि. 24.7.2014 (डॉ. गोविन्द सिंह)	मुरैना जिले के ग्राम छौंदा के समीप ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडों का नियम विरूद्ध आवंटन किये जाने की जांच करायी जाकर अग्रेत्तर कार्रवाई की जाना।	प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है।	मुरैना जिले के ग्राम छौंदा के समीप ट्रांसपोर्ट नगर के भूखण्डों का नियम विरूद्ध आवंटन की समस्त कार्रवाई नगर पालिका परिषद मुरैना द्वारा निरस्त कर दी गई। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-201/2014/18-2, दिनांक 06.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
189.	1182	ता.प्र.सं.15 (क्र. 4325) दि. 24.7.2014 (श्री बाला बच्चन)	म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा आवासीय भूखंडों की लीज का नवीनीकरण किये जाने हेतु म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 100 के प्रावधानों के विपरीत सूचना पत्र जारी किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करायी जाना.	प्रकरण में जांच करायी जा रही है. जाचोंपरांत कार्रवाई की जायेगी.	**मण्डल को ई-6, ई-7 अरेरा कॉलोनी प्रक्षेत्र भोपाल में निम्नलिखित भूमियां आवंटित है:-** (1) 15.36 एकड, (2) 15.25 एकड (3) 21.50 एकड (4) 75.00 एकड (5) 11.82 एकड (6) 7.10 एकड। उक्त भूमियों में से 15.36 एकड़, 15.25 एकड, 21.50 एकड एवं 7.10 एकड भूमि का पट्टा निष्पादन मण्डल एवं शासन के मध्य हो चुका है तथा 75.00 एकड एवं 11.82 एकड का पट्टा निष्पादन शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। मण्डल द्वारा पूर्व से ही शासन द्वारा उक्त भूमियों के आवंटन आदेश अनुसार लीज रेन्ट का निर्धरण किया गया है एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार प्रथम 30 वर्ष की लीज अवधि समाप्त होने के उपरांत द्वितीय 30 वर्ष की अविध हेतु 06 गुना लीज रेन्ट निर्धारित किया गया है । इसके अतिकिरत प्रथम 30 वर्ष की लीज अवधि में शासन द्वारा निर्धारित लीज रेन्ट एवं मण्डल द्वारा प्रावधानित लीज रेन्ट के अंतर की राशि को भी आवंटियों से प्राप्त किया गया। अत: म.प्र.भू-राजस्व संहित के प्रावधानों क अनुसार ही कार्रवाई किये जाने के अनुक्रम में सूचना पत्र जारी किये गये। उक्त भूमियों के पट्टा निष्पादन में शासन द्वारा पूर्व आवंटन आदेश अनुसार निर्धारित लीज रेन्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अत: मण्डल द्वारा द्वितीय 30 वर्ष की अवधि हेतु लीज नवीनीकरण के समय प्रस्तुत सूचना पत्र शासन द्वारा निर्धारित लीज रेन्ट अनुसार ही आवंटियों को दिये गये है। उपरोक्तानुसार तथ्यों के प्रकाश में कोई दोषी नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20-33/2014/32-1, दिनांक 07.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
190.	1183	ता.प्र.सं.16 (क्र. 4796) दि. 24.7.2014 (श्री कालू सिंह ठाकुर)	धार जिले की धरमपुरी नगर परिषद में वर्ष 2008-09 से वर्ष 2012-13 की अवधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना.	जांच निष्कर्ष प्राप्त होने पर गुण-दोष आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.	उत्तर अप्राप्त	प्रकरण में समिति को किसी भी प्रकार की जानकारी न दिया जाना स्पष्टत: लापरवाही का द्योतक है। वित्तीय अनियमितता के प्रकरणों में इस प्रकार की विभागीय उदासीनता को समिति उचित नहीं मानती। समिति अनुशंसा करती है कि प्रकरण में दोषी पाये गये व्यक्तियों के प्रति कठोर कार्रवाई हो एवं की गई कार्रवाई से समिति को भी अवगत कराया जाए।
191.	1184	परि.ता.प्र.सं.13 (क्र. 2701) दि. 24.7.2014 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत शेष 03 सड़क निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाना.	शेष 03 निर्माण कार्य प्रगति पर है.	मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत शेष 03 सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है। सड़क किनारे नाली निर्माण कार्य प्रगति पर है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1493/1575/2015/18-2, दिनांक 25.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
192.	1185	परि.ता.सं.27 (क्र. 3247) दि. 24.7.2014 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की नगर पालिका परिषद सबलगढ़ द्वारा अलखिया खो मेला समिति को किये गये अनियमित भुगतान की जांच कराई जाकर, दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण दोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1183 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
193.	1186	परि.ता.सं.53 (क्र. 4105) दि. 24.7.2014 (श्री रामनिवास रावत)	सिंगरौली जिले में पर्यावरणीय सुरक्षा की दृष्टि से पर्यावरणीय अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	पर्यावरणीय अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है।	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर उद्योगों/संस्थानों की नियमानुसार जल/वायु मॉनिटरिंग संपादित करता है। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भोपाल स्थित सेंट्रल जोनल बैंच में उद्योगों के विरूद्ध प्रचलित प्रकरण क्रमांक 144/2014 पर दिये गये निर्देशानुसार बोर्ड द्वारा विधिक जल/वायु मॉनिटरिंग कर उद्योगों के विरूद्ध गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की गई । मानक सीमा से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को समझाइश/ चेतावनी पत्र जारी किये गये। आवश्यकतानुसार जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत 03 उद्योगों के विरूद्ध न्यायालयीन प्रकरण दायर किये गये, 12 उद्योगों के मॉनिटरिंग परिणाम निर्धारित मानक सीमा के अंतर्गत पाये गये । 11 उद्योगों में दूषित जल उपचार संयंत्र में तथा 09 उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार किया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 9-2/2015/18-5, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
194.	1187	परि.ता.सं.66 (क्र. 4276) दि. 24.7.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	ग्वालियर, नगर निगम में वर्ष 2010 से जून 2014 तक की अवधि में संकलित स्क्रेप की नियमानुसार नीलामी किया जाना।	नगर निगम, ग्वालियर में वर्तमान में उपलब्ध स्क्रेप की नीलामी की कार्रवाई प्रचलित है।	नगर निगम ग्वालियर में उपलब्ध स्क्रेप की नीलामी वर्ष 2011 में खुली बोली के माध्यम से तोल मोल कराकर की गई है, जिससे राशि रू.45,05,540/- प्राप्त हुई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5162/3609/2015/18-2, दिनांक 07.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
195.	1188	परि.ता.सं.67 (क्र. 4277) दि. 24.7.2014 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	ग्वालियर, नगर निगम में परिवहन एवं प्रदूषण नियमों के अनुसार अनुपयोगी वाहनों की नीलामी किया जाना।	जी हां, नीलामी की कार्रवाई नगर निगम, ग्वालियर द्वारा की जा रही है।	नगर पालिक निगम ग्वालियर द्वारा वाहन नीलामी के लिए निविदा ऑफर बुलाया गया था, परन्तु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय बार कोई ऑफर प्राप्त नहीं होने से पुन: चतुर्थ बार खुली बोली दिनांक 24.06.2015 को आहुत की गई है। वाहन नीलामी की कार्रवाई प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 2920/2074/2015/18-2, दिनांक 26.06.2015	इस मामले में आश्वासन अनुरूप प्रचलित कार्रवाई शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी। इस अपेक्षा के साथ समिति प्रकरण समाप्त करती है।
196.	1189	परि.ता.प्र.सं. 91 (क्र. 4767) दि. 24.7.2014 (श्री आरिफ अकील)	मध्यप्रदेश गंदी बस्ती सुधार तथा निर्मूलन मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयमान-वेतनमान/क्रमोन्नति वेतनमान दिये जाने के प्रस्ताव का शीघ्र नियमान्तर्गत परीक्षण किया जाकर कार्रवाई किया जाना।	(1) जी हां प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। (2) परीक्षणोपरांत आगामी कार्रवाई की जा सकेगी।	उत्तर अप्राप्त	समिति अनुशंसा करती है कि इस संबंध में शीघ्र ही नियमानुकूल कार्रवाई की जाकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वत्वों का संतोषप्रद निराकरण हो।
197.	1190	परि.ता.प्र.सं. 99 (क्र. 4840) दि. 24.7.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल)	धार शहर में निर्मित कामकाजी महिला बस्ती गृह भवन को रिक्त कराया जाना।	नया कार्यालय भवन निर्माण किए जाने हेतु कार्रवाई प्रचलित है। जिसके निर्माण पश्चात् भवन रिक्त कर दिया जायेगा।	प्रश्नाधीन भवन में वर्तमान में नगर पालिका परिषद, धार का कार्यालय संचालित हो रहा है। यह भवन नगर पालिका धार के स्वामित्व का होकर परिषद का कार्यालय इस भवन से संचालित किया जा रहा है। नगर पालिका धार का पूर्ववर्ती कार्यालय में स्थानाभाव एवं भवन की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण इस भवन को नवीनीकरण उपरांत कार्यालय संचालन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। निकाय का कार्यालय भवन निर्मित होने पर उक्त भवन को रिक्त किया जावेगा। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-182/2014/18-2, दिनांक 05.06.2015	कोई टिप्पणी नही.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
198.	1191	परि.ता.प्र.सं. 100 (क्र. 4842) दि. 24.7.2014 (श्री जालम सिंह पटेल)	भोपाल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एयरो सिटी के निर्माण कार्य में की गई अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई कराई जाना।	प्राधिकरण स्तर पर सूचना पत्र के जवाब का परीक्षण किया जा रहा है।	एयरो सिटी योजना में पदस्थ उपयंत्री श्री राकेश कुमार जैन एवं श्री आरिफ अली खान के विरूद्ध लघुशास्ति परिनिंदा अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-20-27/2014/32-1, दिनांक 02.12.2015	समिति अनुशंसा करती है कि दोषी उप यंत्रियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई से 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।
199.	1192	अता.प्र.सं.07 (क्र. 2452) दि. 24.7.2014 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	खंडवा नगर निगम में मनी पासेस के ठेकेदारों से शीघ्र बकाया राशि की वसूली कराने तथा बकाया राशि जमा करने में विलंब के दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।	श्री जाकिर पिता राहित खां द्वारा वर्ष 2013-14 में जमा नहीं की गई राशि एवं नीलेश पिता चितरंजन द्वारा वर्ष 2012-13 में बकाया राशि होने से इनके विरूद्ध थाना सिटी कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा वर्ष 2011-12 के मनीपोसेस ठेका में बकाया राशि रूपये 1,58,320/- क विरूद्ध 50,000 रू. राशि दिनांक 02.01.2015 को जमा कराई गई है। संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कारण बताओ सूचना जारी कर नियमानुसार विभागीय जांच की कार्रवाई की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-11-225/2014/18-2, दिनांक 09.07.2015	प्रकरण में दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की जाकर एवं शेष राशि की वसूली पूर्ण कराते हुये समिति को भी 02 माह की समयावधि में अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
200.	1193	अता.प्र.सं. 15 (क्र. 3249) दि. 24.7.2014 (श्री मेहरबानसिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ नगर पालिका में स्थापना व्यय में हुई अनियमितताओं की जांच निश्चित समय सीमा में कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जांच के निष्कर्ष उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	नगर पालिका सबलगढ़ का स्थापना व्यय 95 प्रतिशत है तथा 04 वर्ष पूर्व 82 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 में वर्तमान तक 39 कर्मचारी संविदा पर रखे गए है । निकाय की आवश्यकतानुसार 21 सफाई व्यवस्था पर तथा 17 कर्मचारी जलप्रदाय व्यवस्था हेतु रखे गए है। स्थापना व्यय घटता बढ़ता रहता है । कर्मचारियों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का माह जुलाई 2014 तक का समस्त वेतन भुगतान किया जा चुका है । किसी भी कर्मचारी का जुलाई 2014 की स्थिति में कोई वेतन बकाया नहीं है । इसमें किसी भी कर्मचारी की कोई अनियमितता नहीं की गई है एवं न ही कोई दोषी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-29/2014/18-1, दिनांक 08.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
201.	1194	अता.प्र.सं. 16 (क्र. 3250) दि. 24.7.2014 (श्री मेहरबान सिंह रावत)	मुरैना जिले की सबलगढ़ नगर पालिका में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजनान्तर्गत शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि के उपयोग में हुई अनियमितताओं की जांच कराते हुये दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई प्रचलित है।	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 4866, दिनांक 16.07.2014 से जांच हेतु समिति गठित की गई है। समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण उपरांत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं लेखापाल को दोषी पाया गया है, जिनको आरोप पत्र जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 11-214/2015/18-2, दिनांक 06.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
202.	1195	अता.प्र.सं. 35 (क्र. 4008) दि. 24.7.2014 (श्री यशपाल सिंह सिसोदिया)	मंदसौर जिले में नगरीय निकायों द्वारा नवनिर्मित काम्प्लेक्स/ दुकानों के आवंटन के संबंध में हुई शिकायतों का शीघ्र परीक्षण कराया जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	परीक्षण कराया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।	संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, उज्जैन संभाग उज्जैन से दोषी अधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त आरोप-पत्र जारी किये जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 11-216/2014/18-2, दिनांक 07.10.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
203.	1196	अता.प्र.सं. 54 (क्र. 4423) दि. 24.7.2014 (श्री के.डी. देशमुख)	ओंकारेश्वर ज्योर्तिलिंग क्षेत्र में समय-समय पर आयोजित होने वाले मेले आदि के लिये ठेकेदारों के माध्यम से कराई गई व्यवस्थाओं पर हुये व्यय का शीघ्र भुगतान कराया जाना।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी को भुगतान की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया।	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद ओंकारेश्वर द्वारा संविदाकार श्री अशोक कुमार गुप्ता द्वारा प्रस्तुत देयक का परीक्षण कराकर नियमानुसार भुगतान कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-11-223/2015/18-2, दिनांक 14.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
204.	1197	अता.प्र.सं. 64 (क्र. 4568) दि. 24.7.2014 (श्रीमती ललिता यादव)	छतरपुर जिले के नगरीय निकायों द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना दुकानों के आवंटन की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	परीक्षण कराया जा रहा है. परीक्षणोपरांत गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.	संभागीय उप संचालक, सागर संभाग से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है । दोषी अधिकारियों के विरूद्ध आरोप-पत्र जारी किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4027/2209/2015/18-2, दिनांक 06.07.2015	जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध एक माह की अवधि में कार्रवाई की जाकर समिति को अवगत कराया जायेगा। इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
205.	1198	अता.प्र.सं. 69 (क्र. 4679) दि. 24.7.2014 (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	सतना नगर-पालिक निगम में यू.आई.डी. एस.एम.टी. योजना के क्रियान्वयन में हुई अनियमितताओं की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	जांच के निष्कर्ष उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	जांच पूर्ण की जा चुकी है। चूंकि उक्त योजना के क्रियान्वयन में कोई अनियमितता नहीं की गई है और न ही इसके लिए कोई दोषी है। योजना के विधि अनुरूप क्रियान्वयन की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। ऐसी स्थिति में विधान सभा को दिये गये आश्वासन की पूर्ति हो जाती है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 4069/296/2015/18-2, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
206.	1199	अता.प्र.सं. 83 (क्र. 4782) दि. 24.7.2014 (श्री शैलेन्द्र जैन)	सागर नगर में घनी आबादी के बीच संचालित आरा मशीनों/ लकड़ी टाल को नगर के बाहर विस्थापित कराया जाना।	कार्रवाई प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	समिति चाहेगी कि जन सामान्य के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये इस विषय में निश्चित समयावधि के भीतर नियमानुकूल कार्रवाई हो।
207.	1267	17 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 28 (क्र.1275) (चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी)	भोपाल के मानसरोवर काम्पलेक्स में नियम विरूद्ध हुये अवैध निर्माण कार्यो को शीघ्र हटाकर अवैध निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जांच समिति के निष्कर्षो पर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु नगरपालिक निगम, भोपाल को निर्देशित किया गया है।	उत्तर अप्राप्त	समिति चाहेगी कि अवैध निर्माण कार्य को हटाने के साथ-साथ निकाय के उदासीनता बरतने वाले अमले पर भी कार्रवाई की जाकर समिति को 02 माह में अवगत कराया जाए।

दिसम्बर 2014, सत्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
208.	1119	ता.प्र.सं.01 (क्र.649) दि.12.12.2014 (श्री नारायण सिंह पंवार)	ब्यावरा नगर में 100 बिस्तरों के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति दिलाई जाकर भवन निर्माण सहित सम्पूर्ण सुविधाओं से लेस कराया जाना।	प्रशासकीय स्वीकृति भी अतिशीघ्र कर लेंगे और हम आने वाले बजट सत्र में भी शामिल कर लेंगे और काम कर देंगे।	सिविल अस्पताल ब्यावरा जिला राजगढ़ के भवन का 100 बिस्तरीय अस्पताल में उन्नयन/निर्माण कार्य हेतु विभागीय पत्र क्रमांक एफ 12-41/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 03.09.2015 द्वारा रू.750.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1358/1646/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
209.	1120	ता.प्र.सं.02 (क्र.1308) दि.12.12.2014 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा जिले के मनगंवा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गंगेव में पदस्थ चिकित्सक डॉक्टर सी.एम.मिश्रा द्वारा की जा रही अनियमितताओं व गलत एम.एल.सी. रिपोर्ट तैयार किये जाने संबंधी शिकायतों की जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	मेरे को कोई भी शिकायत देंगी तो उस पर मैं ठोस कार्रवाई करूंगा, ठोस जांच कराऊंगा।	उत्तर अप्राप्त	विचाराधीन विभाग के कुल 27 आश्वासनों में से 14 पर, अर्थात् 50 फीसदी से भी अधिक आश्वासनों की जानकारी 01 वर्ष की समयावधि बीत जाने के बाद भी प्राप्त नहीं होना गंभीर बात है। आश्वासन क्रमांक 1126 में विभागीय मंत्री द्वारा फरवरी माह तक रिक्त पदों की पूर्ति करने का आश्वासन दिया था, इसकी पूर्ति भी नहीं की गई है। समिति का मानना है कि इस मामले में उच्चाधिकारियों की यह चूक गंभीर है और संभव है कि इस आश्वासन की पूर्ति के संबंध में माननीय मंत्री से निर्देश ही न लिए गए हों। अप्राप्त जानकारी के कई आश्वासन बहुत छोटी-छोटी कार्रवाई के है, जैसे डायलिसिस मशीन पर अमले की पदस्थी, दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई, रिक्त पदों की पूर्ति, अवैध नियुक्तियों की जांच, निलंबितों की बहाली के

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						मामलों की जांच और कार्य में अनियमितता संबंधी मामले ऐसे नहीं थे, जिन पर कार्रवाई करके एक वर्ष के भीतर जानकारी नहीं दी सकती थी । यह स्पष्टत: उच्चाधिकारियों की लापरवाही का द्योतक है और दोषियों को बचाने की प्रवृत्ति भी इसमें दर्शित होती है। समिति की अनुशंसा है कि संसदीय कार्य विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग इस मामले को देखे और संसदीय कार्य नियमावली के उल्लघंन के मामले के दोषियों पर कार्रवाई करने की पहल करें । समिति की विभाग से यह अपेक्षा है कि आश्वासन अनुरूप संबंधित मामलों में एक माह के भीतर कार्रवाई करके समिति को अवगत कराया जाय । समिति को समय पर जानकारी न देने वाले भी दंडित हों । समिति विभागीय मंत्री से भी अपेक्षा करती है कि वे लंबित मामलों की समीक्षा करके भविष्य में आश्वासनों की जानकारी समय पर आवे, इसे सुनिश्चित करें।
210.	1121	ता.प्र.सं.03 (क्र.1254) दि.12.12.2014 (श्री नानाभाउ मोहोड़/ पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले के चौरई विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति करायी जाना।	जैसे ही भर्ती हो जायेगी हम चौरई में पदस्थ कर देंगे ।	छिंदवाड़ा जिले के चौरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 2-10 2015/17/मेडि-1, दिनांक 23.07.2015 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिछुआ में डॉ.सुमन कुमारी एवं डॉ.हर्षवर्धन चिकित्सा अधिकारी की पद स्थापना की गई है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरई में आर.सी.एच. के अंतर्गत डॉ.अमित बघेल चिकित्सा अधिकारी दिनांक 01.01.2015 को पद स्थापना की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1389/1607/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
211.	1122	ता.प्र.सं.08 (क्र.515) दि.12.12.2014 (श्री दिनेश राय 'मुनमुन')	जिला चिकित्सालय सिवनी द्वारा रिफर किये गये मरीजों की समुचित इलाज के अभाव में मृत्यु के कारणों की जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	सम्मानित सदस्यों ने जांच का कहा है, वे जो भी लिखित में शिकायत करायेंगे, हम उसकी जांच करायेंगे।	माननीय मंत्रीजी महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई थी कि माननीय विधायक जी द्वारा लिखित में शिकायत पत्र देने के उपरांत जांच कराई जावेगी। परंतु आज दिनांक तक माननीय विधायक महोदय की लिखित शिकायत शाखा में प्राप्त नहीं हुई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1343/1605/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 21.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
212.	1123	ता.प्र.सं.09 (क्र.1238) दि.12.12.2014 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के सीहोरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 100 बिस्तर के अस्पताल में रोगियों के समुचित इलाज हेतु चिकित्सा सुविधाएं एवं उपकरण उपलब्ध कराये जाना।	माननीय विधायक जी से विचार-विमर्श कर लेंगे। जो उनकी अपेक्षा होगी, चर्चा करके उन बातों का समाधान करेंगे।	जबलपुर जिले के 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल सिहोरा को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को दिनांक 18.08.2015 को भेजा जा चुका है। उन्नयन की स्वीकृति उपरांत आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1360/1613/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
213.	1124	ता.प्र.सं.10 (क्र.1003) दि.12.12.2014 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले के पाटन विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न चिकित्सालयों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति करायी जाना।	डाक्टरों की कमी और मैंने जैसा अभी बताया था की 1271 हमारे फरवरी तक भर्ती हो जायेंगे, 1 महीना बीच में है और हम उसमें प्राथमिकता आपके पाटन क्षेत्र को देंगे।	जबलपुर जिले के पाटन विधान सभा क्षेत्र में आर.सी.एच., एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत 01 शिशु रोग चिकित्सक की नियुक्ति की गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 777/185/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
214.	1125	ता.प्र.सं.17 (क्र.750) दि.12.12.2014 (श्री दुर्गालाल विजय)	जिला चिकित्सालय श्योपुर के ट्रामा सेन्टर में रोगियों के समुचित इलाज हेतु डायलिसिस मशीनों एवं आवश्यक अमले की व्यवस्था किया जाना।	डायलिसिस मशीनों व यूनिट की स्थापना एवं इनसे संबंधित आवश्यक अमले/सुविधाओं की व्यवस्था हेतु कार्रवाई प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
215.	1126	ता.प्र.सं.19 (क्र.1236) दि.12.12.2014 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा)	मुरैना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहाड़गढ़ एवं कैलारस तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बारा में चिकित्सकों के रिक्त पदों की प्राथमिकता के आधार पर पूर्ति करायी जाना।	मैं फरवरी में उनके यहां प्राथमिकता पर कर दूंगा। हमारी भर्ती बस हो जाने दें।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.
216.	1127	ता.प्र.सं.21 (क्र.1185) दि.12.12.2014 (श्री नथनशाह कवरेती)	छिन्दवाड़ा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जामई के जर्जर भवन की शीघ्र मरम्मत करायी जाना।	मरम्मत कार्य का प्राक्कलन प्राप्त होने पर तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.
217.	1128	ता.प्र.सं.22 (क्र.1226) दि.12.12.2014 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	बालाघाट जिले के सिविल अस्पताल लांजी हेतु भवन निर्माण कराया जाकर स्वीकृत रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति करायी जाना।	सिविल अस्पताल लांजी के भवन निर्माण कार्य के लिये कार्ययोजना एवं प्राक्कलन तैयार कर भवन निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की कार्रवाई यथाशीघ्र की जावेगी एवं सृजित पदों को भरने की कार्रवाई निरन्तर जारी है।	बालाघाट जिले के सिविल अस्पताल लांजी के उन्नयन हेतु भवन निर्माण कार्य की कार्य योजना तैयार करने के लिए वास्तुविद का चयन कर दिया गया है। सर्वे पूर्ण। मानचित्र तैयार करने की कार्रवाई प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1364/1609/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 23.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
218.	1129	ता.प्र.सं.25 (क्र.1288) दि.12.12.2014 (श्री आर.डी. प्रजापति)	जिला चिकित्सालय छतरपुर में विगत 05 वर्षों में नियमित एवं संविदा आधार पर की गई नियुक्तियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की शीघ्र जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	शिकायत की जांच प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	समिति का मत है कि नियम विरूद्ध नियुक्तियों एवं आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों का निराकरण एक निश्चित समयावधि में किया जाना चाहिए, जिससे एक ओर पीड़ितों के साथ न्याय हो सके वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के कृत्यों में लिप्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध समय पर नियमानुकूल कार्रवाई की जा सके।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
219.	1130	परि.ता.प्र.सं.24 (क्र.302) दि.12.12.2014 (श्री ओमकार सिंह मरकाम)	डिण्डौरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवाही में प्रकाश एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर में पानी की शीघ्र व्यवस्था करायी जाना।	यथाशीघ्र	डिण्डौरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवाही में विद्युत/प्रकाश व्यवस्था हेतु विद्युत पोल लगाने के लिए एम.पी.ई.बी. से प्राक्कलन प्राप्त कर राशि रू.100226.00 की दि.19.08.2015 को प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र समनापुर में पानी की व्यवस्था कर दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1369/1645/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 23.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
220.	1131	परि.ता.प्र.सं.34 (क्र.455) दि.12.12.2014 (ईंजी. प्रदीप लारिया)	जिला सागर के नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में सर्वसुविधा युक्त 30 बिस्तरीय अस्पताल खोला जाना।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सागर से इस बाबत आवश्यक जानकारी मंगायी गई है, जो परीक्षणाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.
221.	1132	परि.ता.प्र.सं.71 (क्र.1085) दि.12.12.2014 (श्रीमती रेखा यादव)	प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में पदों सहित सर्वसुविधा युक्त ट्रामा सेन्टरों की स्थापना करायी जाना।	भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों का परीक्षण राज्य स्तर पर किया जा रहा है. परीक्षणोपरांत पदों एवं उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.
222.	1133	अता.प्र.सं.08 (क्र.123) दि.12.12.2014 (श्री प्रहलाद भारती)	जिला चिकित्सालय शिवपुरी स्थित ट्रामा सेन्टर में रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराया जाना।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	जिला चिकित्सालय शिवपुरी स्थित ट्रामा सेंटर रोगियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं ईलाज हेतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1602/1713/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 20.11.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
223.	1134	अता.प्र.सं.36 (क्र.501) दि.12.12.2014 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले के परसवाड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में खण्ड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद की पूर्ति करायी जाना।	चिकित्सा अधिकारी से प्रमुख खण्ड चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र की जा रही है। तत्समय खण्ड चिकित्सा अधिकारी की भी पद पूर्ति कर दी जायेगी।	विभाग के आदेश दिनांक 02.03.2015 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी से जिला स्वास्थ्य अधिकारी/सी.बी.एम.ओ. संवर्ग में पदोन्नति उपरांत 30 अधिकारियों की पदस्थापना की गई। परन्तु पर्याप्त मात्रा में पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण बालाघाट जिले में किसी सी.बी.एम.ओ. की पदस्थापना नहीं की जा सकी है। पदोन्नति की कार्रवाई निरंतर जारी है। वर्तमान में डॉ.वासुदेव क्षत्रिय बी.एम.ओ. परसवाड़ा के प्रभार में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1251/1549/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 09.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
224.	1135	अता.प्र.सं.46 (क्र.616) दि.12.12.2014 (श्री अरूण भीमावद)	शाजापुर जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर की शीघ्र स्थापना करायी जाना।	यथासंभव शीघ्र।	स्थानीय कार्यालय के भवन शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला चिकित्सालय शाजापुर में ट्रामा सेंटर/आकस्मिक चिकित्सा ईकाई/पी.आई.सी.यू./मेटरनिटी विंग का निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति रू.650.58 लाख की दिनांक 20.02.2015 को जारी। कार्यादेश जारी। कार्य प्रारंभ हो चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1356/1603/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 22.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
225.	1136	अता.प्र.सं.95 (क्र.1240) दि.12.12.2014 (श्रीमती नंदनी मरावी)	जबलपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रोन्नत किया जाना।	इसका परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरांत आगामी कार्रवाई हेतु निर्णय लिया जायेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर द्वारा प्रेषित जानकारी का परीक्षण किया जा रहा है. प्रकरण परीक्षणाधीन है।	प्रकरण में परीक्षण किया गया। जबलपुर जिले के विकास खण्ड सिहोरा के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां संचालित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां की ओ.पी.डी. लगभग 35-40 एवं आंतरिक रोगी लगभग 1-2 एवं प्रसव भी लगभग 1-2 प्रतिदिन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां से निकटतम स्वास्थ्य संस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मगरादी 12 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्ही 10 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खितौला 14 कि.मी. ,सिविल अस्पताल सिहोरा 15 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोसलपुर 22 कि.मी. की दूरी पर संचालित है । वर्तमान में सिहोरा विकासखण्ड के अंतर्गत 60 बिस्तरीय सिविल अस्पताल सिहोरा को 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन की कार्रवाई प्रचलन में है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां की ओ.पी.डी.आई.पी.डी. कम है। इस दृष्टि से इस संस्था का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की निरंतर कमी भी है । अत: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मझगवां को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना संभव नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1393/1614/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28.09.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
226.	1137	अता.प्र.सं.119 (क्र.1342) दि.12.12.2014 (श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल)	जिला चिकित्सालय बैतूल में 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाना।	जिला चिकित्सालय बैतूल में वर्तमान में स्थापित भवन को कनेक्ट करते हुए 100 बिस्तरीय अस्पताल भवन के निर्माण स्वीकृति हेतु कार्य योजना बनाने की कार्रवाई प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
227.	1224	ता.प्र.सं.11 (क्र. 4583) दि. 25.7.2014 (श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना)	रोगी कल्याण समिति में 82 कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति करने वाले मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	नियमानुसार गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.
228.	1225	ता.प्र.सं.17 (क्र. 3699) दि. 25.7.2014 (श्री संजय शाह मकडाई)	हरदा जिले के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा संवर्ग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति कराई जाना।	कार्रवाई प्रचलन में है.	आर.सी.एच., एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत वर्ष 2013-14, 2014-15 में हरदा जिले की विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 06 चिकित्सकों को संविदा नियुक्ति दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 798/915/2015/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 23.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
229.	1226	ता.प्र.सं.25 (क्र. 4561) दि. 25.7.2014 (श्रीमती ललिता यादव)	परिवार कल्याण कार्यक्रम में लापरवाही के दोषी पाये गये निलंबित कर्मचारियों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुशंसा के बहाल किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच कराई जाकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई किया जाना।	जांच कर गुणदोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
230.	1227	परि.ता.प्र.सं.37 (क्र. 4298) दि. 25.7.2014 (श्री दिनेश राय 'मुनमुन')	सिवनी जिले में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में एन.आर.एच.एम./आर.सी.एच शाखाओं में फर्जी भुगतान के शेष दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण में शेष अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आदेश क्र./ एन.एच.एम./एच.आर.एम./शि./2014/6 781, भोपाल दिनांक 23.08.2015 के द्वारा सी.एम.एच.ओ. सिवनी को निर्देशित किया गया कि लोकायुक्त प्रकरण क्र. 93/11 के जांच के दौरान दोषी पाये गये श्री अब्दुल कासिम जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं देवेन्द्र पांडे जिला लेखा प्रबंधक सिवनी को 01 माह के मासिक मानदेय की राशि का भुगतान कर इनकी संविदा सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर एन.एच.एम., म.प्र. को सूचित करें। आदेश के पालन में सी.एम.एच.ओ. सिवनी द्वारा आदेश क्र./एनएचएम/ शि./जा.प्र./93/ 11/2014/13761 सिवनी दि. 23.08.2014 के द्वारा से अब्दुल कासिम जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं श्री देवेन्द्र पांडे जिला लेखा प्रबंधक सिवनी को 01 माह का मासिक मानदेय राशि का भुगतान कर इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है, के आदेश जारी किये गये। आदेश का पालन करते हुए, श्री अब्दुल कासिम, जिला प्रबंधक एवं श्री देवेन्द्र पांडे, जिला लेखा प्रबंधक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के अंतिम निर्णय आने तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्र. एन.एच.एम./एच.आर./2014/11104 एवं 11108 दिनांक 18.12.2014 से श्री देवेन्द्र पाण्डे, जिला लेखा प्रबंधक सिवनी को मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका के अंतिम निर्णय तक जिला झाबुआ के अधीन जिला लेखा प्रबंधक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई, इसी प्रकार श्री अब्दुल कासिम जिला कार्यक्रम प्रबंधक को मा.उच्च न्यायालय	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					जबलपुर में दायर याचिका के अंतिम निर्णय तक जिला अनूपपुर के अधीन जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद नियुक्ति प्रदान की गई। वर्तमान स्थिति यह है कि मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक क्रमश: डब्ल्यू.पी.नं.13302/14 एवं डब्ल्यू.पी.नं.13305 में मिले स्थगन पर सी.एम.ओ. सिवनी द्वारा दिनांक 24.03.2015 को जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रकरण में मा.उच्च न्यायालय का निर्णय अपेक्षित है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 5069/4058/2015/सत्रह/मेडि-1, दिनांक 01.10.2015	
231.	1228	परि. ता.प्र.सं.59 (क्र. 4723) दि. 25.7.2014 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल के भण्डार/क्रय शाखा में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा क्रयादेश के प्रेषण में की गई अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की जांच कर कार्रवाई किया जाना ।	नियमानुसार जवाबदेही तय की जाकर कार्रवाई किये जाने हेतु संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल संभाग, भोपाल को निर्देशित किया गया है.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.
232.	1229	अता.प्र.सं.70 (क्र. 4447) दि. 25.7.2014 (श्री चन्द्रशेखर देशमुख)	बैतूल जिले में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों को शीघ्र पूर्ण कराकर विभाग को हस्तांतरित कराया जाना एवं भवनों के निर्माण में हुये विलम्ब का परीक्षण कर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	कार्य पूर्ण होने पर हस्तांतरण की कार्रवाई की जावेगी एवं कार्य पूर्ण होने में हुए विलंब का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
233.	1230	अता.प्र.सं.111 (क्र. 4863) दि. 25.7.2014 (डॉ. गोविन्द सिंह)	भिण्ड जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में नसबंदी प्रोत्साहन राशि का नियम विरूद्ध फर्जी तरीके से किये गये आहरण की जॉंच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	कार्रवाई प्रचलन में है.	प्रकरण की जांच कराई गई जिसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं पाया गया केवल वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन नहीं पाया गया है, जिसके लिये संबंधित चिकित्सक के प्रकरण में संचालनालय के आदेश क्रमांक 04/शिका/सेल-2/फा.क्र.335/भिण्ड/2014/294, दिनांक 11.11.2014 के द्वारा दो वार्षिक वेतनवृद्धि रोकते हुये प्रकरण समाप्त किया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 09-53/2015/सत्रह/मेडि-2, दिनांक 11.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
234.	1231	अता.प्र.सं.115 (क्र. 4882) दि. 25.7.2014 (श्री सज्जन सिंह उइके)	बैतूल जिले के खण्ड चिकित्सा अधिकारी, शाहपुर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की शीघ्र जॉंच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जावेगी.	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1120 के अनुसार.

दिसम्बर 2014, सत्र
आयुष विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
235.	1140	अता.प्र.सं.54 (क्र.732) दि.12.12.2014 (श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया)	प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 05 कि.मी. की परिधि में आयुष औषधालय प्रारंभ कराया जाना।	आयुष औषधालय खोले जाने की कार्रवाई प्रचलन में है।	उत्तर अप्राप्त	मा.मंत्री द्वारा सदन में दिये गये आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा प्राथमिक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी, किन्तु विभाग द्वारा उदासीनता बरती गई है। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि आश्वासन की पूर्ति की दिशा में सकारात्मक योग्य कार्रवाई की जायेगी।
236.	1232	ता.प्र.सं.15 (क्र. 2961) दि. 25.7.2014 (श्री तरूण भनोत)	आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों को समाप्त किये जाने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी.	महाविद्यालयवार आरक्षण रोस्टर दिनांक 22.09.2012 के आधार पर संविदा व्याख्याताओं का आदेश दिनांक 19.07.2013 के द्वारा किया गया नियमितीकरण दिनांक 24.07.2013 के आदेश द्वारा निरस्त किया गया था, जिसके विरूद्ध दायर याचिकाएं मा.उच्च न्यायालय जबलपुर में विचाराधीन है। आदेश दिनांक 24.07.2013 पर न्यायालय स्थगन है। अत: उक्त याचिकाओं में न्यायालय निर्णय होने पर तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 6-14/2014/1/59, दिनांक 04.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र
स्कूल शिक्षा विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
237.	1141	ता.प्र.सं.11 (क्र.461) दि.12.12.2014 (इन्जी. प्रदीप लारिया)	सागर जिले के नरयावली विधान सभा क्षेत्र के संकुल विद्यालय शासकीय हाईस्कूल भैंसा को हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नयन किया जाना।	हमको इसका परीक्षण करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इस पर विचार कर सकेंगे। हमारे दायरे में लाकर हम किस प्रकार से इस समस्या का हल कर सकें क्योंकि जन भावना से जुड़ा यह विषय है. इस पर हम बहुत गंभीरता से विचार करेंगे।	शा.हाई स्कूल भैंसा शासन द्वारा निर्धारित दूरी के मापदण्ड की पूर्ति नहीं करता है। वर्ष 2014-15 में प्रावधानित 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन आदेश जारी किये जा चुके हैं। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर क्र. 186/257/2015/ 20-2, दिनांक 12.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं
238.	1142	परि.ता.प्र.सं.08 (क्र.119) दि.12.12.2014 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले में प्राथमिक/ माध्यमिक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों के शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य न कराये जाने हेतु आदेशित किया जाना।	निर्वाचन कार्य समाप्ति के बाद।	जिला शिवपुरी द्वारा जिले में 09 शिक्षकों से उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिवपुरी/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर/ तहसीलदार बदरवास द्वारा शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त चुनाव कार्य लिये जाने हेतु लगाया गया था। वर्तमान में सभी शिक्षकों को मूल संस्था के लिये कार्यमुक्त कर दिया गया है। कोई शिक्षक संलग्न नहीं है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** f30-112/2014/20-1, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
239.	1143	परि.ता.प्र.सं.46 (क्र.650) दि.12.12.2014 (श्री नारायण सिंह पंवार)	राजगढ़ जिले के ब्यावरा विकासखंड के अन्तर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय लखनवास में नियम विरूद्ध पदस्थ प्रभारी प्राचार्य के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की शीघ्र जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।	जिला शिक्षा अधिकारी जिला राजगढ़ द्वारा ब्यावरा विकासखण्ड के अंतर्गत शास.उच्च. माध्य.वि. लखनवास में पदस्थ प्रभारी प्राचार्य श्री केदार बाबू दांगी वरिष्ठ अध्यापक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच कराई गई, जिसमें श्री दांगी के आंशिक रूप से दोषी पाये जाने के कारण उनकी आगामी 01 वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** R-1383/2015/20-1, दिनांक 06.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
240.	1144	परि.ता.प्र.सं.52 (क्र.774) दि.12.12.2014 (श्री अनिल जैन)	टीकमगढ़ जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्य की जांच एवं लंबित निर्माण कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना।	कार्रवाई प्रचलन में है. सर्वशिक्षा अभियान के लंबित निर्माण कार्य मार्च 2015 तक पूर्ण करने का लक्ष्य।	लक्ष्यानुसार 174 में से 158 कार्यो को पूर्ण करा लिया गया है, शेष 16 कार्य प्रगतिरत है, जिन्हें शीघ्र ही पूर्ण कराने हेतु प्रयास किए जा रहे है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 770/806/2015/20-3, दिनांक 30.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
241.	1145	परि.ता.प्र.सं.79 (क्र.1227) दि.12.12.2014 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर, जिला बालाघाट के निलंबित प्राचार्य के विरूद्ध शीघ्र विधि सम्मत कार्रवाई करायी जाना।	श्री आर.एस. बरले (निलंबित) प्राचार्य शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर को सेवा से पृथक करने हेतु प्रस्ताव कलेक्टर बालाघाट द्वारा विभाग में उपलब्ध कराया है. कार्रवाई प्रचलन में है।	श्री आर.आर.बरले (निलंबित) प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, किरनापुर जिला बालाघाट को शिक्षकों को अनियमित वेतन एरियर भुगतान में दोषी पाये जाने पर आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर के आदेश क. 1658 दि.27.09.2014 द्वारा निलंबित किया जाकर पत्र क्र.1857 दिनांक 22.10.2014 द्वारा विभागीय जांच संस्थित किये जाने हेतु आरोप पत्र जारी किये जा चुके है। इसके अतिरिक्त श्री बरले के विरूद्ध पुलिस थाना किरनापुर जिला बालाघाट में दि.20.09.2014 को एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। प्रकरण में विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 1428/486/2015/20-4, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
242.	1146	अता.प्र.सं.05 (क्र.107) दि.12.12.2014 (श्री विश्वास सारंग)	प्रदेश के कटनी, पन्ना एवं शिवपुरी स्थित विद्यालयों में बालिकाओं के साईकिल वितरण कार्य में हुई अनियमितताओं पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	गुण-दोष के आधार पर /न्यायालयीन निर्णय अनुसार आगामी कार्रवाई की जायेगी।	प्रश्न में उद्भूत आश्वासन का संबंध तीन जिलों से है। कार्रवाई की स्थिति निम्नानुसार है:- 1. जि.शि.अधि. पन्ना द्वारा अवगत कराया है कि राशि वसूली के संबंध में संबंधित प्राचार्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्र.डब्ल्यू.पी.5252 दायर कर स्थगन प्राप्त कर लिया है। अत: अंतिम निर्णय होने पर कार्रवाई संभव हो सकेगी। 2. जि.शि.अधि. शिवपुरी द्वारा अवगत कराया है कि श्री भरत भार्गव प्राचार्य से रू.31200/- एवं जुगलकिशोर शर्मा प्र.अ. से रू.2300/- की वसूली की जा चुकी है। श्री राजेश बैरागी एवं सोने राम धाकड़ के विरूद्ध गोवर्धन थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। 3. जि.शि.अधि.कटनी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार कितनी राशि की तथा क्या-क्या अनियमितता पाई गई जांच प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए संचालनालय के पत्र दि.19.05.2015 द्वारा प्रतिवेदन चाहा गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 753/1168/2015/20-2, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
243.	1147	अता.प्र.सं. 27 (क्र.398) दि.12.12.2014 (श्री प्रताप सिंह)	दमोह जिले में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत एवं अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	अपूर्ण कार्य प्रगतिरत।	उत्तर अप्राप्त	समिति, विभाग द्वारा आश्वासन की पूर्ति की दिशा में की गई कार्रवाई की जानकारी समिति को न दिये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त करती है साथ ही इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के अधूरे निर्माण कार्यो/भवन विहीन विद्यालयों के लिए भवनों का निर्माण एवं छात्र-छात्राओं के लिए समुचित आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने की दृष्टि से विभाग समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करेगा तथा सदन में मा.मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों की पवित्रता को भी दृष्टिगत रख उसकी पूर्ति कराएगा।
244.	1148	अता.प्र.सं. 49 (क्र.636) दि.12.12.2014 (श्री मुरलीधर पाटीदार)	आगर जिले के 111 निजी विद्यालयों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के एवज में शुल्क प्रतिपूर्ति की कार्रवाई शीघ्र किया जाना।	शेष 111 विद्यालयों की फीस प्रतिपूर्ति की कार्रवाई प्रचलन में है।	शेष 111 विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। कार्रवाई पूर्ण। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 492/75/2015/20-3, दिनांक 25.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
245.	1217	ता.प्र.सं.6 (क्र. 2627) दि. 25.7.2014 (श्री सुरेन्द्र सिंह (हनी) बघेल)	धार जिले की कुक्षी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों के भवन, अतिरिक्त कक्ष, किचिन शेड एवं शौचालय निर्माण और पेयजल सुविधा हेतु नल-कूप खनन के कार्य समय पर पूर्ण न करने व गुणवत्ता विहीन कार्य के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुये अपूर्ण/अप्रारंभ निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना।	10 अप्रारंभ कार्यों के संबंध में निर्माण एजेंसी के विरूद्ध मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया। शेष अप्रारंभ अपूर्ण निर्माण कार्यो के लिए कार्रवाई की जा रही है।	(1) 10 अप्रारंभ कार्यो हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा सूचना पत्र जारी करने के उपरांत 03 वर्ष कार्य पूर्ण कर लिये गये 02 कार्य प्रगतिरत है तथा 05 कार्य निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण अप्रारंभ है, जिन्हें जिले द्वारा पूर्ण कराये जाने की कार्रवाई की जा रही है। (2) शेष 17 अतिरिक्त कक्ष के अप्रारंभ कार्यो में से 08 स्थल अभाव, 09 कार्य निर्माण एजेंसी की लापरवाही के कारण अप्रारंभ होने से अनुविभागीय अधिकारी(रा) कुक्षी में प्रकरण प्रचलन में है। (3) 03 शाला भवन में से 01 अपूर्ण एवं 01 अप्रारंभ कार्य हेतु अनुविभागीय अधिकारी(रा) कुक्षी में कार्रवाई प्रचलित है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- 873/874/2015/20-3, दिनांक 22.06.2015	समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि शेष प्रगतिरत एवं अप्रारंभ निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिये जाये।
246.	1218	परि.ता.प्र.सं.36 (क्र. 4289) दि. 25.7.2014 (श्री हर्ष यादव)	प्रदेश के निजी महाविद्यालयों में संचालित डी.एड.पाठ्यक्रम में एक समान फीस निर्धारण करते हुये छात्रों से ली गई ज्यादा फीस की राशि वापस कराई जाना।	कार्रवाई प्रचलन में है।	शासन स्तर पर शुल्क संबंधित बैठक आयोजित हो चुकी है। शुल्क निर्धारण किया जाना है। कार्रवाई प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- आर क्र.755/1071/2015/20-2, दिनांक 23.05.2015	समिति अपेक्षा करती है कि प्रकरण में शीघ्र ही न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी । शेष कोई टिप्पणी नहीं।
247.	1219	अता.प्र.सं.20 (क्र. 3205) दि. 25.7.2014 (श्री महेन्द्र सिंह)	पन्ना जिले के जनपद पंचायत गुनौर में शासन के नियम विरूद्ध सहायक अध्यापकों के किये गये स्थानान्तरणों की जांच कराई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी.	उत्तर अप्राप्त	विभाग द्वारा आश्वासन के परिपालन में क्या कार्रवाई की गई, इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई । समिति इसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानती है। समिति अनुशंसा करती है कि प्रकरण में जांच तथा दोषियों के विरूद्ध विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुये 02 माह की समयावधि में समिति को अवगत कराया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
248.	1220	अता.प्र.सं.33 (क्र. 3567) दि. 25.7.2014 (श्रीमती शीला त्यागी)	रीवा संभाग में विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर अन्यत्र पदस्थ किये गये शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें मूल विभाग में पदस्थ किया जाना।	प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उन्हें मूल विभाग में वापस पदस्थ किया जायेगा.	उत्तर अप्राप्त	विभाग द्वारा आश्वासन के परिपालन में क्या कार्रवाई की गई, इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी तक उपलब्ध नहीं कराई गई । समिति इसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानती है। समिति इस अपेक्षा के साथ प्रकरण समाप्त करती है कि इस संबंध में त्वरित नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।
249.	1221	अता.प्र.सं.34 (क्र. 3598) दि. 25.7.2014 (श्रीमती ऊषा चौधरी)	सतना जिले की जनपद पंचायत सोहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत बेला स्थित राजीव गांधी शिक्षा गारंटी शाला बेला में नियम विरूद्ध की गई नियुक्तियों की जांच की जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	प्रकरण में जांच की कार्रवाई की जा रही है.	राज्य शिक्षा केन्द्र के कार्यालयीन पत्र क्र. 3351, दि.27.04.2015 द्वारा कलेक्टर सतना से आश्वासन की पूर्ति की जानकारी चाही गई थी । जिला परियोजना समन्वयक पत्र क्र. 716, दि. 20.05.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण की जांच मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सोहावल एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक सोहावल को संयुक्त रूप जांच का कार्य सौंपा गया है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते आश्वासन के पूर्ति की कार्रवाई हो सकेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** F 30/108/2014/20-2, दिनांक 04.07.2015	उक्त प्रकरण की जांच तीन माह में पूर्ण कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाकर समिति को अवगत करायें।
250.	1222	अता.प्र.सं.84 (क्र. 4699) दि. 25.7.2014 (श्री कुंवरजी कोठार)	प्रदेश के शासकीय स्कूलों में व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति कराई जाना।	संविदा शिक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति से रिक्त स्थानों पर व्यायाम शिक्षकों को पदस्थ किया जावेगा.	व्यायाम शिक्षकों की पदोन्नति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (व्यायाम शिक्षक) के पदों पर नियुक्ति हेतु मांग पत्र व्यापम को भेजा जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** f30-112/2015/20-1, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
251.	1223	अता.प्र.सं.89 (क्र. 4717) दि. 25.7.2014 (श्री हर्ष यादव)	सागर जिले में वर्ष 2013-14 की अवधि में पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति योजनातंर्गत ऑनलाईन छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाना।	पात्र छात्रों को आनलाईन छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा.	सागर जिले में सत्र 2013-14, प्राथमिक, माध्यमिक, हाई-स्कूल एवं हायर-सेकण्डरी स्कूलों में कुल दर्ज 605514 विद्यार्थियों में से पात्रतानुसार सभी पात्र विद्यार्थियों को ऑनलाईन छात्रवृत्ति का भुगतान कर दिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** आर क्र. 751/1167/2015/ 20-2, दिनांक 23.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं

दिसम्बर, 2014 सत्र
आदिम जाति कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
252.	1149	ता.प्र.सं.04 (क्र.280) दि.12.12.2014 (श्री रामलाल रौतेल)	अनूपपुर जिले में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शहडोल में नियम विरूद्ध 3 अतिरिक्त खाते खोले जाने की जांच करायी जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	उसकी जांच करवाएंगे, जांच में अगर जिस तरह की बात वह व्यक्त कर रहे हैं, वह पायी गई तो कार्रवाई होगी।	उत्तर अप्राप्त	विचाराधीन 16 आश्वासनों में से जिन 07 आश्वासनों पर विभाग ने जानकारी नहीं दी है, उनमें ऐसा कोई भी आश्वासन नहीं है, जिन पर एक वर्ष में जानकारी देना संभव न हो । यह स्पष्टत: विभागीय उच्चाधिकारियों की चूक है । संभव है कि संसदीय कार्य नियमावली के प्रावधानों के तहत आश्वासनों की जो पंजी विभागीय प्रमुख सचिव को हर पखवाड़े भेजी जानी चाहिए, वह उन्हें भेजी ही नहीं गयी हो और न ही एक माह में एक बार वह पंजी विभागीय मंत्री को ही भेजी गयी हो। यदि ऐसा है तो संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही हो। समिति इस बात को गंभीरता से लेती है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी विभागीय अधिकारी आश्वासनों की पूर्ति में संजीदगी नहीं बरत रहे हैं। समिति संसदीय कार्य विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से यह अपेक्षा करती है कि विचाराधीन मामलों में जानकारी नहीं भेजने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को चिन्हित करके, उन पर कार्यवाही की पहल करे और समिति, विभागीय मंत्री से भी यह अपेक्षा करती है कि वह मामले की समीक्षा करें और ऐसे दोषी

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
						अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित करें, साथ ही लंबित आश्वासनों की जानकारी एक माह के भीतर समिति को प्राप्त हो जाय, इसे भी विभाग सुनिश्चित करें।
253.	1150	ता.प्र.सं.06 (क्र.494) दि.12.12.2014 (श्री मधु भगत)	बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के आश्रमों एवं छात्रावासों में आवश्यक सामग्री एवं सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना।	वहां की स्थिति को देखते हुए पूरे प्रयास किये जायेंगे, विभाग की ओर हम परीक्षण करायेंगे, वहां पर आश्रमों में और छात्रावासों में जैसी आवश्यकता होगी व्यवस्था कराने के प्रयास किये जायेंगे। ***<u>मा.अध्यक्ष महोदय ने आसंदी से निर्देश दिये कि</u>*** **:-** मंत्री जी प्रयत्न करेंगे।	बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभागीय छात्रावास/आश्रमों में आवश्यक सामग्री एवं सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 21-78/2014/25-2, दिनांक 01.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
254.	1151	ता.प्र.सं.07 (क्र.61) दि.12.12.2014 (श्रीमती उमा देवी खटीक)	(1) दमोह जिले में वर्ष 2012 से 2014 तक की अवधि में कराये गये विभिन्न कार्यों में हुई अनियमितताओं की जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई की जाना। (2) हटा विधान सभा क्षेत्र में स्थित आश्रमों एवं छात्रावासों में स्वीकृत रिक्त पदों की पूर्ति करायी जाना।	(1) कहीं अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो अवश्य उसकी जांच करायी जायेगी और जांच के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी। (2) आने वाले जुलाई सत्र में ऐसा कोई आश्रम और छात्रावास नहीं रहेगा, सभी जगह पदों की स्वीकृति लेकर उनकी पूर्ति की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1149 के अनुसार
255.	1152	ता.प्र.सं.13 (क्र.552) दि.12.12.2014 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	रतलाम जिले के आदिवासी प्रीमेट्रिक छात्रावास रावटी, पलास, बिलपाक, सालाखेड़ी, शिवगढ़, दूसरा रावटी, तीसरा रावटी और बाजना का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्निर्माण/मरम्मत करायी जाना।	अगले शिक्षण सत्र जुलाई के पहले जितना संभव हो सकेगा, ऐसे जीर्ण-शीर्ण छात्रावास, आश्रम, के भवनों की मरम्मत या राशि व्यवस्था करते हुए नए भवन का निर्माण कराने के प्रयास किये जायेंगे। ***<u>आसंदी से निर्देश</u>*** **:-** उसको जल्दी करवा देंगे।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1149 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
256.	1153	ता.प्र.सं.15 (क्र.1243) दि.12.12.2014 (श्री वेल सिंह भूरिया)	धार जिले के सरदारपुर विधान सभा क्षेत्र में राशि स्वीकृति अनुसार मजरे, टोले, पारों में पंप ऊर्जीकरण एवं विद्युतीकरण का शेष अपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाना ।	हम परीक्षण कराकर उनके आग्रह के अनुरूप कार्य निर्देश राशि स्वीकृत करके कर देंगे ।	वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु प्राप्त आबंटन से विकास खंड सरदारपुर जिला धार अंतर्गत स्वीकृत मजरें टोले के विद्युतीकरण के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके है । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-95/2014-3-25, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
257.	1154	ता.प्र.सं.16 (क्र.1357) दि.12.12.2014 (श्री रमेश पटेल)	(1) बड़वानी विधान सभा क्षेत्र के पाटी विकासखंड के 5 फल्यों में स्कूल भवनों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाना। (2) निर्माण कार्यों हेतु राशि आहरित करने के बावजूद कार्य पूर्ण न करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाना ।	(1) निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की कार्रवाई प्रचलन में है। (2) आहरित राशि से निर्माण पूर्ण नहीं किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1149 के अनुसार
258.	1155	ता.प्र.सं.20 (क्र.705) दि.12.12.2014 (श्रीमती रंजना बघेल) (किराडे)	धार जिले के विभिन्न विकास खडों में अ.जा./अ.ज.जा. बस्ती विकास मद के अन्तर्गत आवंटन के अभाव में लंबित विभिन्न कार्यों हेतु शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराकर लंबित कार्य पूर्ण कराया जाना ।	जैसा माननीय सदस्य ने इच्छा जाहिर की है उनके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।	वित्तीय वर्ष 2014-15 राशि रूपये 352.10 लाख का आवंटन, वित्तीय वर्ष 2015-16 में त्रेमासवार कुल 424.80 लाख का आवंटन प्रावधानित किया गया । **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-21-102/2013/3-25, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
259.	1156	परि.ता.प्र.सं.25 (क्र.307) दि.12.12.2014 (श्री संजय पाठक)	(1) कटनी में पदस्थ उप संचालक कृषि के फर्जी जाति प्रमाण-पत्र संबंधी प्रकरण पर संबंधित के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार जांच कार्रवाई न करने के दोषी विभागीय अधिकारियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई किया जाना। (2) संबंधित उप संचालक के जाति प्रमाण-पत्र की जांच करायी जाकर नियमानुसार दाण्डिक कार्रवाई किया जाना।	(1) जांच की कार्रवाई प्रचलित है, जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। (2) जांच के अंतिम परिणाम पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	कटनी में पदस्थ उप संचालक कृषि श्री जानराव हेडाऊ के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल रेंज के पत्र दिनांक 29.01.2015 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन में परीक्षण उपरांत पाई गई कमियों बिन्दु क्र. 01 से 05 तक पूर्ति के साथ तथ्यों सहित जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल को पत्र दिनांक 31.03.2015 से लिखा गया है। निर्धारित बिन्दुओं पर पूर्ण जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित जांच प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जायेगी। उल्लेखनीय है कि मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति का स्वरूप अर्द्ध न्यायिक प्रकार का है, जिसमें निर्धारित जांच प्रक्रिया का पालन किये बिना निर्णय लिया जाना संभव नहीं है। निराकरण हेतु समय सीमा का बंधन अर्द्ध न्यायिक प्रकरणों के स्वरूप में लागू नहीं हो सकता है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 21-81/2014/25-2/751, दिनांक 08.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं.
260.	1157	परि.ता.प्र.सं.96 (क्र.1338) दि.12.12.2014 (श्री हेमन्त विजय खंडेलवाल)	बैतूल जिले के भैंसदेही एवं घोड़ाडोंगरी आदिवासी विकास परियोजनाओं में क्षेत्रीय विधायकों को अध्यक्ष बनाया जाना।	संबंधित नस्ती पर निर्णय प्रक्रियाधीन है। निर्णय उपरांत आदेश जारी किये जायेंगे।	म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ 23-1/2009/3-25, दि.30.12.14 के द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना बैतूल/भैंसदेही जिला बैतूल में परियोजना सलाहकार मंडल के अध्यक्षों का मनोनयन किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 21-94/2014/3-25, दिनांक 02.06.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
261.	1158	अता.प्र.सं.78 (क्र.1013) दि.12.12.2014 (श्री नीलेश अवस्थी)	जबलपुर जिले में अनुसूचित जनजाति विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में हुई अनियमितताओं संबंधी शिकायतों की शीघ्र जांच की जाकर दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाना।	प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तदनुसार निर्णय लिया जायेगा।	इस प्रकरण में शिकायत कर्ता द्वारा मुख्य रूप से यह बताया गया कि वह पढ़े लिखे हैं, जबकि शिकायत पत्र में अंगूठे का निशान है, इस प्रकार शिकायत उनके द्वारा नहीं की गई तथापि अनियमितताओं की जांच हेतु समिति गठित की गई। समिति के प्रतिवेदन अनुसार हितग्राहियों को उनके मांग पत्र के अनुसार ही उनकी पसंद की सामग्री एम.पी.एग्रों के माध्यम से वितरित की गई, जिसका हितग्राहियों द्वारा स्वयं भुगतान किया गया। परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कुण्डम जिला जबलपुर को शासकीय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 21-89/2014/3-25, दिनांक निरंक	कोई टिप्पणी नहीं.
262.	1159	अता.प्र.सं.89 (क्र.1142) दि.12.12.2014 (श्री देवेन्द्र वर्मा)	प्रदेश में मंडल संयोजक, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, प्रशासन संवर्ग जिला संयोजक के रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना।	03 पदों के विरूद्ध बंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसाओं के लिये आरक्षित है एवं 8 पदों पर परिभ्रमण से निराकरण की कार्रवाई प्रचलित है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1149 के अनुसार
263.	1160	अता.प्र.सं.122 (क्र.1356) दि.12.12.2014 (श्री बाला बच्चन)	प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग से अनुदानित शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पांचवें एवं छठे वेतनमान का लाभ दिया जाना।	कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1149 के अनुसार
264.	1233	परि.ता.प्र.सं.23 (क्र.3628) दि.25.07.2014 (श्री संजय उइके)	बालाघाट जिले में बिना सक्षम अधिकार एवं तकनीकी अमले के बिना निर्माण कार्य कराने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जांच कराई जाकर नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	जांच उपरांत प्रकरण की वस्तु स्थिति अनुसार गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।	उत्तर अप्राप्त	आ.क्र. 1149 के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
265.	1234	परि. ता.प्र.सं.53 (क्र. 4688) दि. 25.7.2014 (श्री निशंक कुमार जैन)	वन अधिकारों पर मान्यता कानून 2006 के अंतर्गत वन खण्ड में शामिल निजी भूमि पर काबिजों को वन अधिकार पत्र दिया जाना।	सभी प्रकार की वनभूमियों पर कार्रवाई प्रचलन में है.	1. माह अगस्त में जंगल की सीमा से पांच किलोमीटर की दूरी पर हितग्रामों में अभियान के अंतर्गत 53286 नवीन दावे प्राप्त हुये। इस प्रकार कुल दावों की संख्या 72838 हुई। इनमें से 22623 का निराकरण किया गया, जिसमें 7428 दावे मान्य किये गये। 2. दिसम्बर 2005 के पूर्व के काबिज 178966 व्यक्तियों को व्यक्तिगत तथा 18551 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदान किये गये। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ-21-102/2013/3-25, दिनांक 05.05.2015	कोई टिप्पणी नहीं
266.	1235	अता.प्र.सं.38 (क्र. 3635) दि. 25.7.2014 (श्री संजय उइके)	प्रदेश में स्वीकृत, किन्तु रिक्त व्यायाम शिक्षकों के नियमानुसार भर्ती किया जाना।	निर्धारित/प्रचलित नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी.	**विधान सभा प्रश्न 3635 के प्रश्नांश क** - वित्तीय वर्ष 2006 से पूर्व व्यायाम शिक्षकों की भर्ती उच्च श्रेणी शिक्षक, शिक्षाकर्मी वर्ग-2 संविदा शाला शिक्षक -2 के समकक्ष वेतनमान पर नियुक्ति की गई थी के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि - वित्तीय वर्ष 2006 से पूर्व व्यायाम शिक्षकों के पद उच्च श्रेणी शिक्षक, शिक्षा कर्मी वर्ग-2 एवं संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद स्वीकृत थे, स्वीकृत पद पर नियुक्ति की गई है। **प्रश्नांश ग - क्या पूर्ण योग्यता रखने वाले व्यायाम शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2006 के पूर्व की तरह ही जारी रखी जायेगी। के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि-** शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित/प्रचलित नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उत्तर में वर्ष 2006 के पूर्व की स्थिति निरंतर रखने के स्थान पर समय-समय पर निर्धारित प्रचलित नियमानुसार कार्रवाई किया जाना स्पष्ट किया गया है। 2006 के पूर्व स्वीकृत वर्ग-2 के पदों के विरूद्ध वर्ग-2 में ही नियुक्ति की गई थी। भविष्य में जिस वर्ग का पद स्वीकृत किया जायेगा उसी संवर्ग में नियुक्ति की जावेगी। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 23-37/2014/1/25, दिनांक 30.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
267.	1236	अता.प्र.सं.96 (क्र. 4773) दि. 25.7.2014 (श्री आरिफ अकील)	अपर संचालकों के स्वीकृत पदों के विरूद्ध एक पद वर्ष 2006 से पदोन्नति के लिये नियमानुसार रिक्त रखा जाना।	प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जावेगी.	विभाग द्वारा अपर संचालक के पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव म.प्र.लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये गये है । प्रावधान अनुसार कार्रवाई की जावेगी । **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 23-42/2014/1/25, दिनांक 28.04.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर 2014, सत्र
श्रम विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
268.	1161	ता.प्र.सं.14 (क्र.93) दि.12.12.2014 (श्री संजय पाठक)	(1) कटनी जिले के पात्र बीड़ी श्रमिकों को 3 माह की अवधि में परिचय-पत्र उपलब्ध कराये जाना। (2) बीडी श्रमिकों के इलाज हेतु कटनी के अधिकृत चिकित्सक को सतना से वापस कटनी पदस्थापना की जाना।	(1) मैं विभाग को, कल्याण उपकर आयुक्त को, निर्देशित कर दूंगा कि कटनी जिले के अन्दर शिविर लगाये जायें. जहां-जहां पात्र बीड़ी श्रमिक होंगे, उनके कार्ड भी शीघ्रातिशीघ्र जारी कर दिये जायेंगे। (2) आज निर्देश जारी कर देंगे उस डाक्टर को सतना से कटनी पदस्थ कर दिया जायेगा।	(1) श्रमायुक्त म.प्र. के पत्र क्र. 2542, दिनांक 22.01.2015 द्वारा कल्याण आयुक्त, जबलपुर भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को लिखा गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा विजयराघवगढ़ विधान सभा के अंतर्गत ग्राम - देवराकलां में दि.20.07.2015 ग्राम कारीतलाई में दि.22.07.2015 एवं ग्राम खितौली में दि.24.07.2015 को बीड़ी श्रमिक परिचय पत्र शीघ्र आयोजन संबंधी तिथि निश्चित कर अधिकारियों/कर्मचारियों को संबंधित दिनांक को उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जा चुका है। (2) कटनी औषधालय में वैध प्रभारी की पदस्थापना की जा चुकी है, जो दिनांक 01.12.2014 से सेवारत है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ-25-50/2014/ए-16, दिनांक 07.12.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

269.	1162	अता.प्र.सं.87 (क्र.1100) दि.12.12.2014 (श्रीमती रेखा यादव)	छतरपुर जिले की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को किये गये भुगतान की जांच करायी जाना।	वन विभाग से जानकारी प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।	छतरपुर जिले की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में कार्यरत् कर्मचारियों के संबंध में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत 42 निरीक्षण किये गये है । निरीक्षण के दौरान पाया गया कि समितियों द्वारा वन सुरक्षा हेतु किसी भी कर्मचारी का नियोजन नहीं किया जाता है, अपितु समिति के प्रस्ताव अनुसार समिति के सदस्यों से वन सुरक्षा का कार्य कराया जाता है, जिन्हें समिति की आय एवं प्रस्ताव के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है। अत: श्रम विभाग से कार्रवाई अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 25-57/2014/ए-16, दिनांक 13.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर 2014, सत्र

पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
270.	1163	परि.ता.प्र.सं.07 (क्र.106) दि.12.12.2014 (श्री विश्वास सारंग)	भोपाल जिले में वर्ष 2013-14 की अवधि में विभाग द्वारा अस्तित्व विहीन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण की जांच करायी जाकर दोषियों के विरूद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई किया जाना।	परीक्षणोपरांत तथ्यों के गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई संभव होगी।	उत्तर अप्राप्त	प्रकरण अत्यन्त गंभीर एवं आर्थिक अनियमितता से संबंधित है। ऐसे प्रकरण की प्राथमिक जानकारी तक उपलब्ध न कराई जाना उचित नहीं है। समिति अनुशंसा करती है कि वित्तीय कुप्रबंधन, धोखाधड़ी एवं अनियमितता के ऐसे गंभीर प्रकरण के दोषियों के साथ ही जांच कार्य में विलंब के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध त्वरित नियमानुसार कार्रवाई की जाकर दो माह की समयावधि में अवगत कराया जाए। विभाग यह भी देखे कि इस मामले में दोषियों को बचाने में जिस किसी को भी दोषी पाया जाता है तो उसे अवश्य दण्डित किया जाए।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
271.	1164	परि.ता.प्र.सं.83 (क्र.1264) दि.12.12.2014 (श्री आरिफ अकील)	म.प्र. वक्फ बोर्ड में वर्ष 2013-14 में पदस्थ रहे तत्कालीन सी.ई.ओ. को वक्फ सम्पत्ति की हेराफेरी एवं दुरुपयोग का दोषी पाये जाने के बावजूद उनके विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई न करने के दोषी व्यक्तियों के साथ ही उक्त सी.ई.ओ. पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना।	वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों/ अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।	(1) वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सी.ई.ओ. श्री दाऊद अहमद खान के विरूद्ध शासन के आदेश क्रमांक एफ 4-3/2014/54-1, दिनांक 02.07.2014 द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है तथा विभागीय जांच आयुक्त म.प्र.भोपाल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया अंतर्गत आरोप सिद्धि पत्र दण्डात्मक कार्रवाई संभव है। (2) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल इकाई द्वारा कुरवाई, जिला विदिशा स्थित वक्फ संपत्ति के संबंध में तत्कालीन अध्यक्ष वक्फ बोर्ड एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 41/2014, धारा 420, 120 बी, भादवि एवं 13(एक)(डी) सहपठित 13(2) भ्र.नि.अ 1988 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर लिया गया है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** एफ 3-25/2014/54-1, दिनांक 02.03.2015	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई 2014, सत्र
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
272.	1238	परि. अता.प्र.सं. 83 (क्र. 4879) दि. 25.7.2014 (श्री सज्जन सिंह उइके)	बैतूल जिले के विकासखण्ड घोड़ाडोंगरी के अंतर्गत ग्राम बगडोना में स्वीकृत प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का स्थान परिवर्तन करते हुये घोड़ाडोंगरी में छात्रावास आरंभ कराया जाना।	स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन है.	शासन पत्र क्र. एफ 23-1/2013/25-5, दिनांक 24 जुलाई 2014 के द्वारा प्री-मैं. कन्या छात्रावास बगडोना के स्थान पर प्री-मैट्रिक कन्या छात्रावास घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल में संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 84/47/2015/25-5, दिनांक 06.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई 2014, सत्र
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
273.	1260	परि.ता.प्र.स.63 (क्र.4909) दिनांक 28.07.2014 (श्री प्रहलाद भारती)	शिवपुरी जिले के पोहरी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 से मध्याह्न भोजन योजना में हुई अनियमितताओं की जॉच एवं समायोजन कराया जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।	समायोजन की कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत यथोचित कार्रवाई की जावेगी।	उत्तर अप्राप्त	विभाग द्वारा प्रारंभिक जानकारी भी उपलब्ध न कराये जाने को समिति आपत्तिजनक मानती है एवं निर्देश देती है कि प्रकरण 02 माह की समयावधि में विधिसम्मत् कार्रवाई करते हुये समिति को भी अवगत कराया जाए । मामलों में समय पर जानकारी न देने वाले भी दण्डित हों ।

दिसम्बर, 2014 सत्र

जन शिकायत निवारण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
274.	1261	परि.ता.प्र.स.98 (क्र. 5019) दिनांक 28.07.2014 (डॉ. मोहन यादव)	उज्जैन जिले में वर्ष 2013-14 में राजस्व विभाग के संबंध में प्राप्त जनशिकायतों का शीघ्र निराकरण कराया जाना।	लंबित शिकायतों का यथा शीघ्र निराकरण किया जाएगा।	उज्जैन जिले में वर्ष 2013-14 राजस्व विभाग की 121 लंबित शिकायतें थी, जिनका पूर्ण रूप से निराकरण किया जा चुका है। **विभागीय पत्र क्रमांक** :- एफ 07-14/53/2014, दिनांक 28.02.2015	कोई टिप्पणी नहीं

जुलाई 2014, सत्र
लोक सेवा प्रबंधन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
275.	1262	अता.प्र.स. 111 (क्र. 5040) दिनांक 28.07.2014 (श्री विष्णु खत्री)	भोपाल जिले की बैरसिया तहसील के टप्पा नजीराबाद में लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय आरंभ कराया जाना।	निष्पादित अनुबंध की शर्तों एवं नियमों के अंतर्गत परीक्षण कर जिला कलेक्टर स्तर पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।	शासन स्तर पर मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्थापित प्रदेश के लोक सेवा केन्द्रों के नवीनीकरण एवं सेवा शर्तो में संशोधन विषयक प्रकरण मंत्री-परिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्रवाई प्रचलन में है। **विभागीय पत्र क्रमांक :-** 700/91/2015/61/लासेप्र, दिनांक 09.07.2015	कोई टिप्पणी नहीं.

दिसम्बर 2014, सत्र
पुनर्वास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/ सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्रवाई	समिति का अभिमत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
276.	1266	23 जुलाई 2014 के प्रश्नों के प्राप्त पूर्ण उत्तर संख्या 116 (क्र.4473) (श्री दिलीप सिंह परिहार)	माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार प्रभावित शेष सिंधी विस्थापित परिवारों के लिए 'पुनर्वास संबंधी योजना'' का त्वरित कार्यान्वयन किया जाना।	'विस्थापितों के लिए पुनर्वास योजना बनाई जाएगी'' के तहत लंबित प्रकरणों पर निराकरण की कार्रवाई की जाएगी।	उत्तर अप्राप्त	विस्थापित नागरिकों के पुनर्वास जैसे गंभीर मामले में विभाग द्वारा समिति को प्राथमिक जानकारी तक उपलब्ध न कराई जाना समझ से परे है। समिति इसे अत्यधिक आपत्तिजनक मानती है। समिति अनुशंसा करती है कि ऐसे महत्वपूर्ण मसले पर, जिसमें मा.मुख्यमंत्री जी द्वारा भी घोषणा की जा चुकी है, मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुये लंबित प्रकरणों पर एक निश्चित समयावधि में कार्रवाई हो तथा विभाग द्वारा कृत कार्रवाई से दो माह की समयावधि में समिति को भी अवगत कराया जाए।

स्थान :- भोपाल
दिनांक :- 01 दिसम्बर, 2015

राजेन्द्र पाण्डेय
सभापति
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

:: परिशिष्ट - 1 ::

विशेष टिप्पणी/अनुशंसा

विचाराधीन प्रतिवेदन के आश्वासनों की पूर्ति के साथ ही लंबित आश्वासनों पर जानकारी भेजने हेतु विभागीय अधिकारियों के मौखिक साक्ष्य समिति ने समय-समय पर लिये। विभागीय अधिकारियों के स्पष्ट आश्वासन के बावजूद भी लंबित आश्वासन निपट नहीं पाये। विचाराधीन प्रतिवेदन के 74 आश्वासनों की जानकारी अंत तक अप्राप्त रही। इसमें भी सहकारिता, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के लंबित आश्वासनों की संख्या अधिक है। इस वर्ष सहकारिता विभाग के अधिकारियों की मौखिक साक्ष्य दिनांक 28 जनवरी एवं 6 मई को ली गई थी। दिनांक 28.1.2015 की मौखिक साक्ष्य में विभागीय अधिकारियों ने समस्त (वर्ष 2001 से 2015 तक) लंबित आश्वासनों की जानकारी शीघ्र भेजने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं हो पाई। दिनांक 6 मई 2015 को समिति ने विभाग द्वारा संधारित आश्वासन पंजी का अवलोकन किया तो यह पाया गया कि उसमें न तो विभागीय प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर थे और न विभागीय मंत्री के। यही स्थिति आदिम जाति कल्याण विभाग की मौखिक साक्ष्य के दौरान् भी देखने को मिली। आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी दिनांक 28 जनवरी 2015 एवं 6 मई 2015 की बैठक में लिया गया था। दिनांक 6 मई 2015 की बैठक में विभागीय आश्वासनों संबंधी पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि न तो उसमें विभागीय प्रमुख सचिव के हस्ताक्षर थे और न ही विभागीय मंत्री के। लंबित आश्वासन भी समय पर प्राप्त नहीं हो पाये।

विभागों में आश्वासनों की पंजी विधिवत् संधारित हो एवं उसकी समीक्षा समय-समय पर विभागीय अधिकारी समीक्षा कर पंजी में अपने हस्ताक्षर करें। साथ ही समय-समय पर विभागीय मंत्री भी समीक्षा कर उस पंजी पर हस्ताक्षर करें, इस आशय के स्पष्ट निर्देश न केवल संसदीय कार्य विभाग के हैं, वरन् समिति ने भी अपने विगत प्रतिवेदनों में भी ऐसी अनुशंसा की है, लेकिन इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जो उचित नहीं है।

दिनांक 29 जून 2015 की बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के विभागीय प्रमुख सचिव ने 15 दिन में अभियान चलाकर 20 जुलाई तक समस्त लंबित आश्वासनों की (वर्ष 2001 से 2015 तक) पेन्डेन्सी को निरंक करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 23 नवम्बर को पुन: उन्हें साक्ष्य में बुलाया गया, तब तक भी लंबित आश्वासनों की पूर्ति नहीं हो पायी है और विभाग के अनेक आश्वासन आज भी लंबित बने हुए हैं।

इसी प्रकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा दिनांक 17.10.2014 की बैठक में समिति को आश्वस्त किया गया था कि 1 माह के भीतर सभी लंबित आश्वासनों के प्रकरण समाप्त कर दिये जायेंगे। बाद में दिनांक 24 जुलाई 2015 को वर्तमान प्रमुख सचिव ने भी 3 माह के भीतर पेन्डेन्सी निरंक करने का आश्वासन दिया और दिनांक 28 सितम्बर 2015 की बैठक में पुन: उन्होंने शीघ्र ही लंबित आश्वासन पूर्ण करने का आश्वासन दिया, किन्तु ऐसा हो नहीं पाया।

राजस्व विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव ने दिनांक 6 मई 2015 की बैठक में आश्वस्त किया था कि 15 अगस्त तक सभी आश्वासन निपटा दिये जायेंगे, लेकिन इसकी पूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात् दिनांक 28 सितम्बर 2015 को पुन: प्रमुख सचिव को साक्ष्य में बुलाया गया, फिर भी स्थिति में कोई विशेष सुधार परिलक्षित नहीं हुआ। दिनांक 14 जुलाई 2015 की बैठक में वन विभाग के प्रमुख सचिव ने सभी लंबित आश्वासन 15 अगस्त तक समाप्त करने का आश्वासन दिया था। इसी प्रकार नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने भी दिनांक 6.9.2015 और 9.10.2015 को प्रकरण शीघ्र समाप्त करने का आश्वासन दिया था, किन्तु प्रकरण अभी भी लंबित है।

इस स्थिति पर समिति अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करती है ।

आश्वासनों की जानकारी समय पर नहीं भेजने का एक कारण जो समिति की समझ में आता है, वह यह है कि विभागीय अधिकारी आश्वासनों को स्वयं नोट नहीं करते हैं ओर न ही उनका समय पर पालन सुनिश्चित करते हैं। विभागों में आश्वासनों की पंजियां विधिवत् संधारित नहीं है। आश्वासन की पंजी जो कि विभागीय प्रमुख सचिव / सचिव अथवा मंत्री को नियमित अंतराल के बाद भेजी जाना चाहिए, वहीं नहीं भेजी जा रही है। अर्थात् यथासमय समीक्षा के अभाव में ही आश्वासन लंबित हो रहे हैं। पवित्र सदन में माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों की पूर्ति के प्रति विभागीय अधिकारियों / कर्मचारियों की यह उदासीनता गंभीर है, जिसका समय रहते निराकरण जरूरी है।

उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए समिति पुन: अनुशंसा करती है कि -

1. विभागों में लंबित आश्वासनों की पंजी का विधिवत् संधारण हो। संसदीय कार्य विभाग की नियमावली के प्रावधानों के तहत् प्रत्येक पखवाड़े में प्रमुख सचिव / सचिव उसका अवलोकन कर, उस पर हस्ताक्षर करें। सभी विभागों द्वारा नियमानुसार प्रत्येक माह में विभागीय मंत्री को लंबित आश्वासनों की जानकारी देकर उस पंजी में हस्ताक्षर लिये जायें। इस व्यवस्था को सुनिश्चित कराने में संसदीय कार्य विभाग भी आवश्यक पहल करे।
2. लंबित आश्वासनों की स्थिति को देखते हुए प्रत्येक विभाग विशेष अभियान चलाकर समस्त लंबित आश्वासनों वर्ष 2001 से 2015 तक की पूर्ति अधिकतम 3 माह में करे।
3. विभागीय अधिकारी, समिति के समक्ष दिये गये आश्वासनों के प्रति गंभीरता बरतें। भविष्य में विभागीय अधिकारी समय-सीमा में लंबित आश्वासनों पर कार्यवाही को सुनिश्चित करेंगे, समिति ऐसी अपेक्षा करती है।